सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
४ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ४ मार्च १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेडियो द्वारा हिन्दी प्रसार

*६०२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या समुद्र पार के सुनने वालों को रेडियो द्वारा हिन्दी अथवा कोई अन्य भारतीय भाषा सिखाने के कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जी नहीं, श्रीमान् इस समय समुद्रपार के सुनने वालों को हिन्दी सिखाने के लिए कोई प्रसारण नहीं किये जाते हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता था कि जब कि दूसरे देश, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम इत्यादि, अपने देश की भाषाओं का प्रचार करने में और उसकी शिक्षा देने में रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मंत्री महोदय अपने देश की भाषा का दूसरे देशों में सुनने वालों के लिए प्रचार करने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हैं ?

डा० केसकर : हिन्दी के प्रचार के बारे में हम भी चाहते हैं कि हिन्दी का प्रचार अधिक से अधिक हो, लेकिन इस मामले में इसकी आवश्यकता और इसके बारे में जो मांग होगी उसको देख कर ही हमको काम करना पड़ेगा। जो विदेशों में हिन्दुस्तानी रहते हैं उनके लिए हमारी एक्सटरनल सरविसेज़ में प्रोग्राम होते थे लेकिन वहां उनको सुनने वाले करीब करीब नहीं के बराबर थे इसलिये उनको बन्द करना पड़ा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय यह मानते हैं कि हिन्दी लिपि संसार की और दूसरी भाषाओं की लिपि से अच्छी है और यदि हम इसका प्रचार करें तो यह संसार भर की भाषा बन सकती है, और क्या इस सबन्ध में . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति विषय भाषा है लिपि नहीं। उनका प्रश्न लिपि के सम्बन्ध में है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : हिन्दी लैंग्वेज की लिपि के कारण हिन्दी भाषा बहुत अच्छी भाषा है और इसे दूसरे देशों के लोग अपना सकते हैं। इसलिये मैं पूछना

चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इ दिशा में कोई उपाय सोच रहे हैं कि जिससे दूसरे देशों में हिन्दी का प्रचार हो ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वह इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री ने अभी यह कहा कि पहले वैदेशिक विभाग से कुछ हिन्दी के कार्यक्रम बाहर प्रसारित होते थे लेकिन उनको सुनने वाले नहीं थे इसलिये वह बन्द कर दिये गये। म यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को यह कैसे मालूम हुआ कि वहां पर सुनने वाले नहीं थे, क्या उनकी सूची माननीय मंत्री के पास आयी है, और क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि जहां तक उन भारतीयों का सवाल है जो कि विदेशों में रहते हैं, वे आज भी हिन्दी के कार्यक्रमों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं ?

डा० केसकर : आनरेबुल मैम्बर के मनमें कुछ गलतफहमी है। हिन्दी के कार्यक्रम तो हमारे यहां से बहुत होते हैं, बल्कि घंटों होते हैं, लेकिन यह रेडियो द्वारा हिन्दी के सबक सिखलाने का सवाल है। इसके बारे में मैंने कहा कि यह दो बार और दो अलग अलग जगहों के लिये यानी ईस्ट अफ़्रीका और फीजी के लिए प्रयत्न किया गया था लेकिन पहले फिजी में और फिर ईस्ट अफ़्रीका में जांच करने पर पता चला कि जो हिन्दी के सबक सिखाये जाते थे उनको कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिये उनको बन्द कर दिया गया लेकिन हम फिर प्रयत्न करेंगे। यदि वहां कुछ सुनने वालों की संख्या हुई तो उसको शुरु करने का प्रयत्न करेंगे।

सीमा घटनायें (अपहरण)

*६०३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त १९५३ में जैसलमेर ज़िले के एक गांव से तीन साहूकारों को अपहृत किया गया था और वह अब बहुत अधिक धन दिये जाने पर छोड़े गये हैं;

(ख) क्या कोई मवेशी भी हांक कर ले जाये गये थे; तथा

(ग) क्या सरकार ने इस संबन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) तीन ऊंट डकैतों द्वारा हांक जाये गये थे।

(ग) राज्य सरकार से एक सविस्तार विवरण मांगा गया है।

श्री बहादुर सिंह : क्या सरकार को ज्ञात है कि किस अभिकरण के द्वारा यह धन दिया गया था; और यदि हां, तो उन दुर्जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : डकैत पाकिस्तानी इलाके से आये थे और जैसा कि मैंने निवेदन किया, हम राजस्थान सरकार से सरकारी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

तिब्बत के सम्बन्ध में भारत-चीन सम्मेलन

*६०४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तिब्बत के सम्बन्ध में पेकिंग में चीन की जन-गणराज्य सरकार तथा भारत सरकार का कोई सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन मामलों पर चर्चा की गई थी; तथा

(ग) क्या सम्मेलन में कोई समझौता किया गया ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग)। तिब्बत सम्बन्धी समान हितों वाले मामलों के विषय में पेकिंग ने चीन सरकार तथा एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल के मध्य चर्चा हो रही है। क्यों कि चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है अतः इस स्थिति पर कोई वक्तव्य देना उचित नहीं होगा।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कोई सीमा सम्बन्धी झगड़े अन्तर्ग्रस्त हैं?

श्री अनिल के० चन्दा : चर्चा अभी हो रही है, और मेरा निवेदन है कि जब तक वह समाप्त न हो जाय मेरे लिये कोई अग्रेतर सूचना देना उचित नहीं होगा।

सरदार हुक्म सिंह उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

भाखड़ा बांध द्वारा सिंचित भूमि की बांट

*६०५. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भाखड़ा जलाशय में डूब जाने वाली भूमि के बदले बिलासपुर के किसानों को भाखड़ा की नहरों द्वारा सींची जानें वाली भूमि दी जायेगी ?

(ख) क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिस के अनुसार बिलासपुर के लोगों को भाखड़ा की नहरों द्वारा सींची जाने वाली भूमि देने में प्राथमिकता दी जाये ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) और (ख)। यह मामला भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री के पास और क्या बोर्ड के पास इस सम्बन्ध में बिलासपुर के कृषकों की कोई दरख्वास्तें आई हैं और क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि वहां पर इस सम्बन्ध में बहुत अधिक असन्तोष है ?

श्री हाथी : यह मामला भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन है। उसने एक पुनर्वास समिति नियुक्त की है जो कि इस मामले पर विचार कर रही है।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि भाखड़ा कैनाल से जिस भूमि में सिंचाई होगी उसमें से कितनी भूमि ऐसी है जो कि गवर्नमेंट के पास है और किसानों के कब्ज़े में नहीं है ? और जो भूमि सरकार के कब्ज़े में है क्या उस पर बिलासपुर के किसानों को बसाने का प्रयत्न किया जायेगा ?

श्री हाथी : यही तो वह बात है जिस पर पुनर्वास बोर्ड विचार कर रहा है।

नैटाल में भारतीय

*६०६. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पाइन टाउन (नैटाल) के भारतीयों से अपने मकानों को खाली कर देने को लिये कहा जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाइन टाउन के अधिकांशतः भारतीय जन-बहुत क्षेत्रों को जिसमें मुख्य भारतीय व्यापारिक केन्द्र भी सम्मिलित हैं, यूरोपियन अधिवास के लिये पृथक रक्षित कर दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय संस्था ने परिषद् से कई बार भेंट की थी और उसे आश्वासन दिया गया था कि उनके प्रति समुचित व्यवहार किया जायेगा और इस के अनपेक्षा भी उनसे उन क्षेत्रों को खाली कर देने के लिये कहा जा रहा है; तथ

(घ) यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा):(क) जी हां क्षेत्र विभाजन अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न जातियों के लिये क्षेत्र विभाजन करने के सम्बन्ध में पाइन टाउन नगर परिषद् द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार पाइन टाउन में रह रहे भारतीयों को वहां से हटाया जायेगा। जो क्षेत्र उनके लिये प्रस्तावित किया गया है वह नगर से कोई तीन मील दूर है।

(ख) जी हां।

(ग) समाचार पत्रों में इस विषय सम्बन्धी रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं।

(घ) सन् १९५० में भारत सरकार ने क्षेत्र विभाजन अधिनियम की बात संयुक्त राष्ट्र की महा सभा के पांचवें सत्र में उठाई थी और उसके बाद के सभी सत्रों में यह बात उठाई गई है। महा सभा प्रत्येक वर्ष संकल्पों को पारित करके दक्षिणी अफ़्रीका सरकार से क्षेत्र विभाजन अधिनियम की कार्यान्विति को रोक देने के लिये कहती रही है, परन्तु सरकार ने अभी तक उन संकल्पों के प्रति उपेक्षा ही दिखाई है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या भारत सरकार नैटाल सरकार से आपसी समझौता करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है जिससे कि आगे चलकर इस बात में कुछ वृद्धि हो ?

श्री अनिल के० चन्दा : माननीय सदस्य अंग्रेजी के धारा प्रवाह वक्ता हैं, यदि वह अपने प्रश्न अंग्रेजी में पूछें तो . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई प्रगति हुई है।

श्री अनिल के० चन्दा : जो कुछ प्रगति की जा सका है वह महासभा से प्रार्थना करना है।

ब्रह्मा विद्युत प्रदाय बोर्ड प्रतिनिधि मंडल

*६०७. **श्री मुनिस्वामी** : क्या सिचाई तथा विद्यूत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर १९५३ में एक ब्रह्मा विद्युत प्रदाय बोर्ड प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट की थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल से किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी; तथा

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार से ब्रह्मा को प्रविधिक सहायता देने की प्रार्थना की गई थी?

सिचाई तथा विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ब्रह्मा में सामान्यतः विद्युत विकास योजनाओं के सम्बन्ध में।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

श्री मुनिस्वामी : मै जान सकता हूं कि किन शर्तो पर हम यह सहायता दे रहे हैं ?

श्री हाथी: बातें अभी विचाराधीन है।

श्री मुनिस्वामी : क्या हम अपने देश से कोई प्रविधिक विशेषज्ञ भेज रहे हैं ?

श्री हाथी : हम प्रविधिक विशेषज्ञ नहीं भज रहे हैं परन्तु हम उनका काम-डिजाइन तथा अन्य काम यहां करेंगे।

बेकारी

*६०८ **श्री एस० एन० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा देहाती तथा शहरी बेकारी को दूर करने के लिये प्रस्तुत की गई योजनाओं पर विचार तथा अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक योजना में अन्तग्रस्त कुल खर्च को दिखाने वाला तथा उसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का भाग बताने वाला इन योजनाओं का एक विवरण सदन पटल पर रखा जायगा ?

योजना व सिंचाई, तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां। उन सब मामलों में, जिन में राज्य सरकारों से निश्चित योजनायें आ चुकी हैं निर्णय किया जा चुका है तथा राज्य सरकारों को सूचित किया जा चुका है।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रख दिया गया देखिये अनुक्रमणिका संख्या एस—६०।५४**

श्री एस० एन० दास : हाल में बेकारी के सम्बन्ध में जो नमना परिमाप किया गया था क्या उससे प्राप्त होने वाले परिणामों की इन योजनाओं को अनुमोदन देने से पहले पड़ताल की गई है ?

श्री नन्दा : दिल्ली को छोड़ कर इन परिमापों के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ये परिणाम अभी अन्तिम रूप में तैयार नहीं किये गये हैं ।

श्री एस० एन० दास : इन योजनाओं को कार्यान्वित करने से जिस मात्रा में बेकारी दूर होगी, क्या उस का कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री नन्दा : जब राज्य सरकारों ने इन योजनाओं की मंजूरी मांगी थी, तब कुछ राज्यों द्वारा मोटे अनुमान लगाये गये थे, किन्तु तत्पश्चात, हाल में ही हमने राज्यों को ब्यौरे देने के लिये लिखा है, जिन के आधार पर हम कुशल अर्धकुशल तथा अकुशल, श्रम सम्बन्धी बेकारी का अनुमान लगा सकें ।

श्री एस० एन० दास : क्या केन्द्र के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जो इस बात का परीक्षण करे कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है, और क्या ऐसा करने की उन की क्षमता भी है ?

श्री नन्दा : इन योजनाओं की मंजूरी देते समय साधारणतः केन्द्र में इन बातों का विचार किया जाता है । जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है, इसका शीघ्र ही उपबन्ध करने के लिये व्यवस्था की गई है । इन योजनाओं की कार्यान्विति की जांच करने के लिये एक दूसरी व्यवस्था काम करती है ।

श्री साधन गुप्त : क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने वहां बेकारी को दूर करने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति की कोई योजना प्रस्तुत की है, और यदि हां, तो उस योजना का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री नन्दा : मेरे पास यहां लगभग तीस कागजात हैं, जिन में विभिन्न राज्यों की योजनायें हैं, और यदि माननीय सदस्य उन कागज़ात को देखेंगे, तो उन को ज्ञात होगा कि पश्चिमी बंगाल की योजना भी उन में सम्मिलित है ।

श्री साधन गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि उस योजना का क्या हुआ ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार अथवा उस के लिये योजना आयोग ने बेकारी के मूल कारण का पता लगाने का कुछ प्रयत्न किया है ; और यदि हां, तो

उसे दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री नन्दा : कई महीनों से, संसद् को मिलाकर हम सब, इस समस्या पर विचार करने में लगे हुए हैं ।

हाथ करघा निधि से आन्ध्र राज्य को अनुदान

*६०९. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य को हाथ करघा उप कर निधि से १९.५ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य विशेष लिये यह राशि खर्च की जाने को है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) आन्ध्र के लिये अब तक कुल ३८,९५,२९३ रुपये की राशि मंजूर की गई है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या २०**]

श्री नानादास : विवरण में मद २ का निदेश "सहयोग संस्थाओं में सम्मिलित होने वाले नये बुनकरों के हेतु सहकारी संस्थाओं को कार्यवाहक पूंजी उपलब्ध करने के निमित्त" से है । क्या ऐसी कोई सीमा है, जिस से अधिक किसी व्यक्तिगत संस्था को यह राशि नहीं दी जा सकती ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खेद है कि मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं । यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो मैं आन्ध्र सरकार से इस का पता करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री नानादास : क्या इस उप कर निधि के उपयोग के सम्बन्ध में आन्ध्र सरकार से कोई सावधिक प्रतिवेदन मांगा जाता है ; और यदि हां, तो क्या आन्ध्र सरकार द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और उस का सारांश क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी , योजनायें कार्यान्विति की जा रही हैं और इतनी शीघ्र कोई प्रतिवेदन नहीं मांगा जा सकता है । परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि केन्द्रीय विक्रय व्यवस्था संगठन का एक अधिकारी विभिन्न राज्य में होने वाली घटनाओं की सूचना रखता है ।

बीड़ी बनाने की मशीनें

*६११. **श्री केशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बीड़ी बनाने की मशीनों का आयात करने के लिये कितने अनुज्ञापत्र दिये गये हैं ;

(ख) ये अनुज्ञापत्र किन को दिये गये हैं, तथा

(ग) किन राज्यों में ये मशीनें लगाई जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) । अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बीड़ी बनाने की मशीनों को आयात अनुज्ञप्ति की दृष्टि से अलग श्रेणी में विभाजित नहीं किया जाता है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि मध्य प्रदेश में और दूसरे स्थानों पर यह उद्योग हाथ से चलता है और क्या इस सम्बन्ध में कोई दरख्वास्तें माननीय मंत्री के पास उस प्रान्त से पहुंची हैं कि इस सम्बन्ध में कोई मशीन

विदेश से न मंगाई जायें और न यहां ही तैयार की जायें ?

श्री करमरकर : कुछ समय पहले अर्थात् पिछले वर्ष हमें पता लगा था कि उत्तर-प्रदेश और बम्बई में ऐसी मशीनें लगाने का विचार किया गया था ; और हाल में ही हमें मध्य प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई है। सिद्धान्त के रूप में, जैसा कि सदन में इस विषय वाद-विवाद होने के समय मैं ने निवेदन किया था, हम इन मशीनों को लगाने के लिये निरुत्साहित कर रहे हैं, जिन के लगाने से बीड़ी बनाने वालों में बेकारी बढ़ सकती है और हम इस दृष्टि कोण से मामले पर विचार कर रहे हैं।

श्री टी० के० चौधरी : क्या माननीय मंत्री को पता है कि कल्याणी कांग्रेस प्रदर्शिनी में ऐसी एक मशीन वास्तव में ही प्रदर्शन के लिये रखी गई थी और उसे लाखों लोगों ने देखा था ?

श्री करमरकर : हम इस प्रकार प्रदर्शिनियों की रोक नहीं कर सके हैं। मुझे पता नहीं है कि वह मशीन विशेष किसी प्रदर्शिनी में दिखाई गई थी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि संसद् के कुछ सदस्य इस के सम्बन्ध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री तथा योजना मंत्री से भी मिले थे ? और मैं जान सकता हूं कि इन मशीनों के लगाने के कारण पैदा होने वाली बड़े पैमाने की उस बेकारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कुछ समय पहले इस सदन में एक वाद-विवाद उठाया गया था और मेरे कार्यबन्धु ने उस वाद-विवाद का उत्तर दिया था। तत्पश्चात हमने सब राज्य सरकारों को इन मशीनों के लगाये जाने के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने के लिये लिखा था। उन में से कुछ राज्यों के प्रतिवेदन हमारे पास आये हैं। इन मशीनों के उपयोग को अवैध घोषित करने की सरकार की शक्ति के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति इस समय कुछ अस्पष्ट है, परन्तु हम उन अर्धोपायों पर विचार कर रहे हैं, जिन के द्वारा हम हाथ से बनाई जाने वाली बीड़ी के स्थान पर मशीन से बनाई जाने वाली बीड़ी के चालू किये जाने को रोक सकते हैं। यदि अन्त में हम देखेंगे कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, तो हम इस सदन से अधिक शक्तियां मांगने में आना कानी नहीं करेंगे।

केनिया में भारतीय

*६१२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केनिया में भारतीयों का आप्रव्रजन अवैध घोषित कर दिया है और उन्हें प्रत्यावर्तन करने की मांग की गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : केनिया में कुल कितने भारतीय बस चुके हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : क्या माननीय सदस्य हाल ही में गये हुओं की कुल संख्या जानना चाहते हैं ?

श्री कृष्णाचार्य जोशी : जी, नहीं। मैं उन भारतीयों की कुल संख्या जानना चाहता हूं जो केनिया में बस गये हैं और वहां सम्पत्ति अर्जित कर ली है।

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

खादी

*६१४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार खादी कातने और बुनने वालों को पुरस्कार देने की प्रस्थापना करती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उन पुरस्कारों का कुल मूल्य क्या होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) २३,६०० रुपये।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो पुरस्कार दिये जायेंगे यह ऊन की कताई के सम्बन्ध में भी दिये जायेंगे या केवल सूत की कताई के लिये ही दिये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : खाली सूत की कताई के लिये दिये जायेंगे।

सेठ गोविन्द दास : इन पुरस्कारों के सम्बन्ध में कि किस प्रकार से ये पुरस्कार दिये जांय, क्या अखिल भारतीय चरखा संघ से भी कोई राय मांगी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में सारा काम अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा किया जाता है।

भौतिकी तथा मिट्टी सम्बन्धी प्रयोगशालायें

*६१५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में पूना की नवीन भौतिकी तथा मिट्टी सम्बन्धी प्रयोगशालाओं में किया गया मुख्य कार्य ;

(ख) क्या वहां कोई गवेषणा कार्य भी किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(घ) क्या वहां पर एक फोटो इलास्टिक प्रयोगशाला भी प्रारम्भ की जाने वाली है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) तक। एक विवरण सदनपटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत गवेषणा केन्द्र, पूना, के भौतिकी विभाग में पहले से ही एक फोटो इलास्टिक प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या राज्य सरकारों को उन की आवश्यकता के अनुसार कुछ बातों का प्रयोग करने के लिये इन प्रयोग शालाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है ?

श्री हाथी : जी, हां। राज्य सरकारें भी कई समस्याएं भेजती रहती हैं, जिन पर इन प्रयोग शालाओं में प्रयोग किये जाते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अगले वर्ष कुछ और नये विषय प्रारम्भ किये ज रहे हैं ?

श्री हाथी : यह तो उस कार्य के स्वभाव पर निर्भर है, जो प्रयोगशालाओं में आयेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस प्रयोग-शाला द्वारा किन किन मंत्रालयों को लाभ पहुंचता है ?

श्री हाथी : एक तो परिवहन मंत्रालय है । निश्चय ही सिंचाई मंत्रालय तथा प्राकृतिक संसोधन मंत्रालय को भी लाभ पहुंचता है ।

टेलीफौन केबुल फैक्टरी

* ६१६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टेलीफोन केबुल फैक्टरी उत्पादन-स्थिति तक पहुंच गई है ; तथा

(ख) इस फैक्टरी की स्थापना पर आवर्ती व्यय कितना होगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) कई एक कर्मशालाओं को उत्पादन कार्य के लिये पहले से ही आज्ञप्त किया जा चुका है तथा आशा की जाती है कि इस मास के अन्त तक उन में बिना खोल के केबुलों का उत्पादन आरम्भ हो जायगा । खोलदार केबुलों के उत्पादन के मई या जून में आरम्भ होने की सम्भावना है ।

(ख) सन् १९५० के अन्त में किये गये अनुमान के अनुसार पांच लाख रुपये प्रति वर्ष । इस समय एक पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि इस फैक्टरी द्वारा उत्पादन इस वर्ष फ़रवरी मास में आरम्भ किया जाने को था तथा, यदि ऐसा है, तो इस विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इसमें बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। हम न्यूनाधिक समय सूची के अनुसार ही चल रहे हैं । एक क्रम पर तो हमने यह प्रयत्न किया था कि फैक्टरी पिछले दिसम्बर में ही उत्पादन आरम्भ कर दे, परन्तु अपेक्षित मशीनें तथा प्लांट हमारी आशानुसार नहीं आ सके थे । अतएव कार्यक्रम सूची को दो मास तक स्थगित करना पड़ा ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या इस फैक्टरी में किसी विदेशी का स्वार्थ है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं, श्रीमान्, सम्भवतः माननीय सदस्य के अभिप्राय के अनुसार विदेशियों का इस फैक्टरी में कोई स्वार्थ नहीं है । परन्तु एक विदेशी सार्थ 'स्टैन्डर्ड टेलीफोन एन्ड केबुल कम्पनी' से हमारा सहचर्य है जिसने हमें प्रविधिक जानकारी दी है तथा इस फैक्टरी की स्थापना में हमारे साथ काम कर रहा है ।

श्री सारंगधर दास : क्या इस फैक्टरी से डाक व तार विभाग की केबुलों सम्बन्धी सारी आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : फैक्टरी को केवल एक ही प्रकार के केबुल बनाने के लिए तैयार किया गया है । जहां तक उस प्रकार विशेष का सम्बन्ध है, परियोजना रिपोर्ट के समय समस्त आवश्यकताओं के पूरा करने का विचार किया गया था। अब डाक व तार विभाग की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं । हम यथाशक्ति इन्हें पूरा करने के प्रयत्न कर रहे हैं ।

प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

* ६१८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १ दिसम्बर, १९५३ से आज की तिथि तक प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में कुल कितना धन एकत्र आ है ;

(ख) किन प्रयोजनों पर उसमें से धन व्यय किया गया है ; तथा

(ग) किस माध्यम से यह व्यय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष (सामान्य तथा बाढ़ सहायता लेखायें) दें) में १ दिसम्बर, १९५३ से २८ फ़रवरी, १९५४ तक ४१,६०० रु० ४ आ० ६ पा० चन्दों के रूप में प्राप्त हुए हैं ।

(ख) उसी काल में उक्त कोष में से ४२,९४० रु० ९ आ० ११ पा० मुख्यतः विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा प्राकृतिक विपत्तियों आदि से हुई तबाही में सहायता देने के निमित्त दिये गये हैं ।

(ग) सामान्य प्रथा यह है कि विभिन्न राज्यों के राज्यपालों तथा/या मुख्य मंत्रियों को अपने विवेकानुसार सहायता देने के लिए धन राशियां दे दी जाती हैं। कुछ धन सहायता कार्य में लगी हुई संस्थाओं को भी दिया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह एक स्थायी प्रकार का कोष है या यह केवल आपात काल के लिये ही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह कोष कुछ समय पहले से चला आता है । मैं नहीं कह सकता कि यह कितने समय तक चलेगा ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या एकत्र किये गये समस्त धन को व्यय किया जा चुका है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं नहीं कह सकता कि कोष में इस समय कितनी राशि है । यह एक निरन्तर चालू लेखा है । धन आता है तथा चला जाता है ।

श्री साधन गुप्त : सोवियत संघ की नृत्य-गान मन्डली द्वारा इस देश में दिये गये 'प्रदर्शनों' से कुल कितना धन प्राप्त हुआ था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री डी० सी० शर्मा : अधिक से अधिक तथा कम से कम दान की कितनी राशियां थीं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

गोआ

* ६१९. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान इस अभिप्राय की एक प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि गोआ सरकार कुछेक परिस्थितियों में व्यक्तियों को राज्य की सेवा करने तथा सम्पत्ति के त्याग के लिए विवश करने के लिए एक विधायिनी आज्ञाप्ति का आश्रय ले रही है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जी हां,

पुर्तगाली प्रशासन ने गोआ में २४ दिसम्बर, १९५३ को एक आशान्ति प्रकाशित की थी जिससे सन् १९५२ में पुर्तगाल में प्रख्यापित एक विधि को क्रियान्वित किया गया है । इससे स्थानीय सैनिक अधिकारियों को सम्पति का, जिसमें निवास के मकानों तथा परिवहन की गाड़ियों को भी शामिल किया गया है, अधिग्रहण करने तथा डाक्टरों प्रविधिविज्ञों आदि को जिनकी सेवाओं की राष्ट्रीय आपात से आवश्यकता हो सकती है, अनिवार्य सेवा के लिए भर्ती करने के अधिकार दिये गये हैं ।

श्री गिडवानी : इन्हे किन अभिप्रायों से प्रयुक्त किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : वास्तव में यह प्रश्न पुर्तगाली सरकार से किया जाना चाहिये । मेरा विचार है कि वहां के लोगों को डराने के लिए ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को विदित है कि शस्त्रों से भरा एक कनाडा का जहाज़ केवल कुछ ही दिन पहले गोआ पहुंचा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें सूचना मिली है कि पिछले कुछ महीनों में भारत के तथाकथित पुर्तगाली क्षेत्रों में सैनिक सामान को काफ़ी बढ़ाया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि पुर्तगाली सरकार ने हाल ही में गोआ में कुछ व्यक्तियों को भारत में जासूसी का काम करने के लिए भर्ती किया है तथा विशेषतः कुछ पुर्तगाली महलायें जो भारत में नर्सों के रूप में काम कर रही हैं, यह जासूसी कर रही हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : निस्सन्देह गोआ की कुछ नर्सें भारत में सेवा कर रही हैं, परन्तु मैं यह नहीं कहूंगा कि वे सब जासूसी कर रही हैं।

काहिरा में भारतीय प्रदर्शनी

*६२०. **श्री राधारमण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार निर्यात के लिए उपलब्ध भारतीय वस्तुओं का विस्तृत प्रचार करने के अभिप्राय से क़ाहिरा में एक प्रदर्शनी के आयोजन का विचार कर रही है ?

(ख) किन किन विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित किया जायगा ?

(ग) क्या इस प्रदर्शनी का आयोजन मिस्री सरकार के निमन्त्रण पर किया जा रहा है ?

(घ) इस प्रदर्शनी पर अनुमानित व्यय कितना होना है ?

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशों में इस प्रकार की और अधिक प्रदर्शनियां करने का है ?

(च) यदि ऐसा है, तो कहां और कब ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया **देखिये** पुस्तकालय सूचनांक संख्या एस०६१/५४]

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) लगभग ३ लाख रुपये ।

(ङ) जी हां, श्रीमान ।

(च) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया **देखिये** पुस्तकालय सूचनांक संख्या एस० ६१/५४]

श्री राधा रमण : क्या प्रदर्शनी में वस्तुओं के विक्रय का भी प्रबन्ध किया जायेगा या इसे केवल वस्तुओं की प्रदर्शनी तक ही सीमित रखा जायगा ?

श्री करमरकर : सामान्यता प्रदर्शनियों को व्यापार की उन्नति के लिए वस्तुओं के प्रदर्शन तक ही सीमित रखा जाता है, परन्तु यदि प्रदर्शक चाहे तो प्रदर्शनी

के समाप्त होने पर विक्रय की सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाती है। परन्तु इस प्रदर्शनी का ध्येय यह नहीं है।

श्री राधा रमण : क़ाहिरा प्रदर्शनी की तिथियां कौनसी हैं ?

श्री करमरकर : मैं माननीय मित्र को केवल मास बता सकता हूं। यह अप्रैल में किसी समय होगी।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : ऐसी प्रदर्शनियों में भेजने के लिए वस्तुओं को कौन चुनता है, कौन सा अभिकरण वस्तुओं का चुनाव करता है ?

श्री करमरकर : सामान्यता हम राज्यों तथा व्यापार और उद्योग में सूचना को पारिचालित करते हैं। वे प्रदर्शनी के लिए अपनी अपनी वस्तुओं को स्वयं भेजते हैं। हाथ की बनी वस्तुओं का चुनाव अखिल भारतीय हस्तनिर्मित-वस्तु बोर्ड द्वारा किया जाता है।

श्री राधा रमण : क्या काहिरा प्रदर्शनी में सारे संसार से वस्तुओं को मंगाया जायगा या यह केवल भारत तक ही सीमित है ?

श्री करमरकर : यह पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी है।

ऊन का निर्यात

*६२१. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि हाल की निर्यात नीति से पंजाब के ऊन के व्यापारियों को बहुत हानि पहुंची है

(ख) क्या फाजिलका के व्यापारियों ने सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो उनकी कठिनाइयों के निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) तथा (ख)। सरकार को इस अभिप्राय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि छोटे व्यापारियों को ऊन के निर्यात के व्यापार में भाग लेने से वंचित किया गया है।

(ग) कच्चे ऊन के निर्यात का विनियमन करने के लिये नीति को ढीला किया गया है। लगभग वह समस्त व्यापारियों जिनका ऊन के निर्यात व्यापार में कुछ स्वार्थ था अब अभ्यंश के लिए प्रार्थना पत्र भेजने के पात्र है। २८-१-१९५४ की प्रेस टिप्पणी की एक प्रति नीचे रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२**

श्री हेम राज : नई नीति के अन्तर्गत निर्यात कर सकने वाले तथा सन् १९५० की पुरानी नीति के अन्तर्गत निर्यात कर सकने वाले व्यापारियों की क्रमशः संख्या क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास यह ब्योरा नहीं है।

श्री हेम राज : क्या अमेरिका को इस समय किये जा रहे पश्मीना ऊन के निर्यात से कुल्लू तथा कांगड़ा घाटियों का कुटीर उद्योग नष्ट हो गया है तथा क्या सरकार ऐसे निर्यात को सीमित करने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक निर्यात के ऊन का सम्बन्ध है, इसका स्तरीकरण नहीं किया जाता है और पश्मीना ऊन के बारे में मैं कोई सूचना नहीं दे सकता हूं। सफेद ऊन तथा कुछ सीमा रंग दूर कर दिये गये ऊन के बारे

में भी हम निर्यात के विनियमन में बहुत सी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं।

श्री निस्वामी : क्या इन मामलों पर चर्चा करने के लिए इन सब व्यापारियों के सम्मेलन के बुलाने की कोई प्रस्थापना की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां हमने व्यापारियों का एक सम्मेलन किया थी। विषय पर चर्चा की गई थी तथा अभ्यंश सम्बन्धी कुछ फैसला किया गया था।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि उस सम्मेलन में मंत्री महोदय की कुछ बातों से विरोध प्रगट करने के लिये ऊन व्यापारी संघ के कुछ प्रतिनिधि सभा त्याग कर चले गये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां ऊन व्यापारी संघ के प्रधान या जो भी उन का नाम हो उठ कर चले गये थे।

श्री गिडवानी : सभा त्यागने का कारण क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति अगला प्रश्न।

सामुदायिक परियोजनाओं की प्रगति की पड़ताल

*६२२. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वे कौन सी सामुदायिक परियोजनाएं हैं जिनमें प्रगति की पड़ताल करने के लिये अधिकारीगण नियुक्त किये गये हैं;

(ख) अब तक जो काम हुआ है क्या उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; तथा

(घ) क्या ये प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जायेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) जी हां। पड़ताल केन्द्रों से साप्ताहिक मासिक एवं विशेष प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं।

(ग) तथा (घ)। सामुदायिक परियोजनाओं के कार्यकरण के प्रथम वर्ष के अध्ययन के अनुभव के आधार पर एक एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और आशा की जाती है कि वह इस सत्र में आगे चल कर सदन पटल पर रखा जायेगा।

श्री के० सी० सोधिया : ये पदाधिकारी कब से नियुक्त किये गये हैं ?

श्री हाथी : मई १९५३ से।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उन को प्रत्येक सामुदायिक परियोजना में नियुक्त करने का विचार है ?

श्री हाथी : अभी केवल १९ स्थानों पर काम किया जाना है, परन्तु एक स्थान और बढ़ाया जा सकता है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या जैसा कि वित्त मंत्री के आय व्ययक संबंधी भाषण में प्रकट किया जाता है, सामुदायिक विकास योजना को दिये गये साधनों का उपयोग न किया जाना इस बात का संकेत नहीं है कि उस योजना में निश्चित बहुत सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में गंभीर बाधाएं हैं ?

श्री हाथी : क्या वह अपना प्रश्न दोहरायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जानकारी प्राप्त करने के लिये न कि विचार जानने के लिये, क्या वह अपने प्रश्न को संक्षिप्त रूप में पूछेंगे ?

श्री एन० एम० लिंगम : अभी उस दिन वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि सामुदायिक परियोजनाओं को दिये गये साधनों के उपयोग किये जाने में कुछ कमी हुई थी, इस कमी के क्या कारण हैं और संगठन के दोषों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री हाथी : आरंभ में मंजूरियों के दिये जाने में कुछ कठिनाइयां और विलम्ब हुए थे। उसकी जांच की जा रही है और इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है कि मंजूरियों के दिये जाने में कोई विलम्ब न हो।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इन में से किसी भी केन्द्र के बंटवारे में संशोधन और कमी की गई है और यदि हां, तो इसका इन केन्द्रों के कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री हाथी : जिन सामुदायिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है उन की धन राशि कम नहीं की गई है।

सामुदायिक परियोजनायें

*६२३. **श्री बी० के० दास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) एक सामुदायिक परियोजना की कुल लागत ६५ लाख रुपये से घटा कर ४५ लाख रुपये कर दिये जाने के क्या कारण है ;

(ख) कार्य की विभिन्न मदों के संबंध में इस कमी को किस प्रकार समायोजित किया गया है ;

(ग) क्या उसी के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारों के हिस्से भी समायोजित कर दिये गये हैं ; तथा

(घ) यदि हां तो किस प्रकार ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) मैं आपका ध्यान प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्याय १५ के पैराग्राफ २२ की ओर आमंत्रित करता हूं।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

श्री बी० के० दास : यह कमी किस समय लागू की गई थी ?

श्री हाथी : १९५३ से।

श्री बी० के० दास : क्या उसको उन सभी ५३ परियोजनाओं पर लागू किया गया है, जो १९५२ में आरम्भ की गई थीं ?

श्री हाथी : इनमें से प्रत्येक परियोजना को दी गई राशि कम नहीं की गई थी, परन्तु उनके प्रस्तावित प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार अब प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत २,००,००० के बजाय २,९०,००० जनसंख्या आती है। अब ६५ लाख रुपये की राशि २,९०,००० जनसंख्या वाले क्षेत्र पर व्यय की जानी है।

खादी

*६२४. **श्री राम दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) खादी के प्रचार और उसको बढ़ावा देने के लिये अखिल भारतीय खादी

और ग्रामीण उद्योग बोर्ड ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; तथा

(ख) कताई में और अच्छा प्रशिक्षण देने के लिये, ताकि और अच्छी एवं आकर्षक खादी बनाई जाये, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट** ३, अनुबन्ध **संख्या** २४]

श्री राम दास : विवरण को देखने से प्रतीत होता है कि सरकार बिक्री प्रदर्शनालय खोलने जा रही है। क्या इन राज्यों में से पंजाब भी एक है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : बम्बई सरकार कोई प्रदर्शनालय आरंभ करने जा रही है। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या पंजाब सरकार भी उसी प्रकार का प्रदर्शनालय आरंभ कर रही है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : १९५२ से खादी का उत्पादन बढ़ा है या घटा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : खेद है कि मेरे पास उत्पादन संबंधी कोई आंकड़े नहीं हैं, परन्तु बिक्री के संबंध में, मैं देखता हूं कि १९५३ में पिछले वर्ष की बिक्री से लगभग १३ लाख रुपये की बिक्री अधिक हुई।

नमक शोधक कारखाने

*६२६. **श्री राघवय्या** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में नमक शोधक कारखाने कितने हैं ?

(ख) आंध्र में कितने हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है, ऐसे ३१ कारखाने हैं।

(ख) गुन्तूर जिले के कानूपार्ती में एक कारखाना है।

श्री **राघवय्या** : इस शोधक कारखाने में कितना माल तैयार करने के लिये मशीनें लगाई गई हैं, और वहां पर वास्तव में कितनी मात्रा का शोधन होता है ?

श्री आर० जी० दुबे : इस विशेष शोधक कारखाने की सामर्थ्य ३५,००० मन साफ किया हुआ नमक और ८४,००० मन सामुद्री नमक है।

श्री राघवय्या : क्या आन्ध्र के इस शोधक कारखाने को कोई आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी नहीं। किसी भी शोधक कारखाने को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

श्री राघवय्या : क्या सरकार को गुन्तूर जिले के इस शोधक कारखाने विशेष की गिरती हुई दशा का हाल मालूम है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां। आरंभ में इस कारखाने विशेष को इस आधार पर काम करने की अनुमति दी गई थी कि वह केवल साफ किया हुआ नमक ही बनायेगा। बाद में उन्होंने अपनी कठि-

नाइयां नमक विशेषज्ञ समिति के सामने रखीं । उस समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने अनुज्ञप्ति की शर्तें ढीली कर दी हैं, और अब उन्हें साफ़ किया हुआ और समुद्री दोनों ही प्रकार का नमक तैयार करने की अनुमति है ।

श्री राघवय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह शोधक कारखाना आज कल नमक तैयार नहीं कर रहा है, क्या सरकार इन ज़मीनों को किसी सहकारी संस्था को देने का और इस प्रकार उन्हें नमक बनाने का जो इस शोधक कारखाने में साफ हो सकता है, अवसर देने का विचार करती है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

रेशम उद्योग

*६२८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में रेशम उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदान की राशि कितनी है; तथा

(ख) इस काल में मैसूर राज्य के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ११,६८,५४५ रुपये ।

(ख) ४,०५, ५०० रुपये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या कोई राशि इसलिये व्ययगत हो गई क्योंकि बोर्ड ने इस वर्ष उस राशि का उपयोग नही किया था ?

श्री करमरकर : यह तो सहायता की एक निरंतर प्रक्रिया है । यदि कोई राशि प्रविधिक रूप से व्ययगत हो भी गई है, तो भी वह पूरी कर दी जाती है...

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

श्री करमरकर : मैं ने गलत कहा था । वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है । अतः कोई राशि व्ययगत नहीं हो सकती है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : विकास कार्यों के लिये, गवेषणा कार्य और ऐसे कार्य के लिये, जिसमें गवेषणा नहीं की जानी हैं, कितनी राशि दी गई है ?

श्री करमरकर : हमने मैसूर को गवेषणा के सम्बन्ध में ५२,५०० रुपये और बाकी मदों के लिये शेष राशि दी है ।

श्री मुनिस्वामी : १९५२-५३ में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की कितनी बैठकें हुई थीं और उनमें क्या कार्य हुआ था ?

श्री करमरकर : १९५३ के पिछले भाग में यह बोर्ड फिर से बनाया गया था । मैं अपने मित्र को उनकी बैठकों की ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता हूं ।

हथकरघे का कपड़ा

*६२९. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघे के कपड़े के निर्यात पर सीमा शुल्क लगाया जाता है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या इसके पुनरीक्षण के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में हो, तो क्या सरकार उसके पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) तक। हथकरघे के कपड़े पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इस वर्ष हथकरघे के कपड़े का कितना निर्यात किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णामारी : १९५३ में ६,३९,७०,००० गज।

श्री एम० डी० रामस्वामी : हथकरघे के कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने और क्या कार्य किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैंने अभी तक यही बताया है कि हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्य किये गये है।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : इस बारे में एक पेम्फलेट भी है।

तेल उद्योग

*६३०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में कितने भारतीयों को तेल उद्योग में अनुभव तथा विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये अमरीका भेजा गया; और

(ख) कितने लोगों को सरकारी सहायता देकर भेजा गया है और कितने लोगों को स्टैन्डर्ड वैकुम आयल कम्पनी आफ इन्डिया ने अपने खर्च पर भेजा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) तथा (ख) ३१ जनवरी १९५४ तक स्टैन्डर्ड-वैकुम आयल रिफाइनिंग कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड, बम्बई ने पांच भारतीय अमरीका भेजे थे।

सरकार द्वारा दी जाने वाली वृत्तिका पर और एस० वी० ओ० सी० द्वारा अमेरीका भेजे गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें यू० पी० का भी कोई आदमी था ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : यह तो नहीं बताया जा सकता।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे वह इस बात की जांच कर सके कि स्टैन्डर्ड वैकुम आयल कम्पनी द्वारा चुने गये इन प्रशिक्षणार्थियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ? या यह पूर्ण रुप से कम्पनी का ही काम है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं। सम्बन्ध आयल कम्पनी ने अपनी आवश्यकतायें निश्चित कर दी हैं और यह उन व्यक्तियों को चुनती है जिन्हें प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा जाता है। सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार यथा सम्भव अधिक भारतीय भेजे जायें।

श्री के० के० बसु : प्रशिक्षण किस प्रकार का है ?

सिन्द्री उर्वरक प्लांट

*६३१. **श्री तुलसीदास** : क्या उत्पादन मंत्री बताने की कृपा करेंगें :

(क) सिन्द्री के उर्वरक प्लान्ट का अनुमानित कार्य काल कितना है; तथा

(ख) क्या उसके अवक्षयण का हिसाब उसके अनुमानित कार्यकाल के या प्लांट के प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर लगाया जाता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख)। प्लांट के अवक्षयण का हिसाब उसके अनुमानित कार्यकाल, जो कि दस वर्ष है, के आधार पर लगाया जाता है ।

श्री तुलसीदास : क्या कम्पनी ने पर्याप्त लाभ कमा लिया है जिस से वह आय-कर विधि के अन्तर्गत समान्य अवक्षयण तथा आरम्भिक और अतिरिक्त अवक्षयरा के लिये अधिकतम राशि अलग रख सके ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां। पहिले वर्ष में ही अवक्षयण के लिये आवश्यक राशि अलग रख दी गई थी। माननीय सदस्य इसे प्रकाशित वार्षिक लेखे में देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या कम्पनी ने इतना पर्याप्त लाभ कमा लिया है जिसमें से अवक्षयण निधि अलग बनाई जा सके ।

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां। आवश्यक आवक्षयण की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री तुलसीदास : सामान्य अवक्षयण तथा आरम्भिक और अतिरिक्त अवक्षयण के लिये अधिकतम कितनी राशि अलग रखी जा सकती हैं, और प्रतिवर्ष कितनी तत्संवादी राशि अलग रखी जाती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

हथ करघ के कपड़े पर विक्री कर

*६३२. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन राज्यों ने हथ करघे के कपड़े पर विक्री कर की पहिले से ही छूट दे रखी और किन किन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है; तथा

(ख) इस सम्बन्ध में एक रुपता लाने के लिये अब तक क्या कार्य किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५**]

इस विवरण के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा कि पत्रों से मालूम होगा मद्रास सरकार हथ करघे के कपड़े पर विक्री कर न लगाने का प्रयत्न कर रही है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से हथकरघे के कपड़े पर विक्री कर न लगाने के लिये कहा है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : हथकरघे के कपड़े पर विक्री कर की छूट देने के परिणाम-स्वरुप आय में कुल कितनी कमी होगी ? इस प्रकार की छूट के परिणामस्वरुप उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि मैं माननीय सदस्य की इस बात को ठीक प्रकार से समझ सका हूं कि विक्री कर के द्वारा कितनी राशि वसूल की जाती हैं, तो मुझे खेद है कि मेरे पास यह आकड़े नहीं हैं।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : किस तारीख को केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से

हथकरघे के कपड़े पर बिक्री कर की छूट देने के लिये कहा था ?

श्री टी० टी० कृष्णामाचारी : यह ठीक तारीख मैं नहीं बता सकता; यह कुछ दिन पहिले की बात है, जब हमने हथकरघा बोर्ड स्थापित किया था। ऐसा हमने गत वर्ष की समाप्ति पर लिखा था।

पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान

*६३३. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : (क) क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१, १९५२ तथा १९५३ में पाकिस्तान से कितने मुसलमान भारत में अस्थायी परमिटों पर आये ?

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति अपनी परमिट की अवधि से अधिक समय तक ठहरे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री **अनिल के० चन्दा**): (क) तथा (ख)। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डियन काफी बोर्ड के कर्मचारी

*६३६. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन काफी बोर्ड के कर्मचारियों को मकान तथा नगर क्षतिपूरक भत्ते नहीं मिलते जिन के मिलने की केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिपारिश की है; तथा

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]**।

(ख) यह काम इण्डियन काफी बोर्ड का है कि वह यह निश्चय करे।

डा० रामा राव : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं कि कर्मचारियों को ये भत्ते नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन बातों के सम्बन्ध में कोई विशेष अभ्यावेदन नहीं मिला है। श्रमसंघों को अभिज्ञात करने तथा उन के वेतन और अन्य भत्तों के सम्बन्ध में काफी बोर्ड तथा कर्मचारियों के बीच मतभेद के सम्बन्ध में हमें बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

डा० रामा राव : कम से कम वेतन तथा भत्तों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्य किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुर्भाग्यवश, हम कुछ विषम स्थिति में हैं। काफी बोर्ड बहुत हद तक स्वायत्तशासी निकाय है। कुछ मामलों में हमें निषेधाधिकार प्राप्त है; अर्थात्, यदि वह कोई विशेष कार्य करे तो हम उस कार्य का निषिद्ध कर सकते हैं। किन्तु मैं अपने माननीय मित्र को यह बतला दूं कि इस मामले के बारे में मुझे चिन्ता होती रही है। जब मैं ने बोर्ड के अधिकारियों से इस मामले पर बातचीत की तो मुझे मालूम हुआ कि बोर्ड ने काफी की कुछ दुकानों को बन्द करने की सिपारिश की है। इस मामले का फिर पुनर्विलोकन किया जाना है। मैं इस बात को पूर्ण रुप से मानता हूं कि जो वेतन दिये जा रहे हैं वे बहुत कम हैं। मैं स्वयं न में से बहुत सी काफी की दुकानों पर गया हूं और वहां पूछताछ की है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनके वेतन तथा नौकरी की उन्नति के अवसर अच्छे होने

चाहिये जितने अधिकार मुझे प्राप्त हैं उनके अन्तर्गत इस मामले में मैं अपना पूरा प्रयत्न कर रहा हूं किन्तु सारी बात का पता लगाने में कुछ समय लगेगा।

श्री नानादास : इस बोर्ड के अधीन कितने कर्मचारी काम करते हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : चूंकि यह बोर्ड सरकार के अधीन कार्य नहीं कर रहा है इसलिये जब तक कि कोई विशेष प्रश्न न किया जाय, मैं यह ब्योरे की बातें नहीं बता सकता।

श्री ए० एम० टामस : अन्य बोर्डों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से भी इसी प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। क्या सरकार का विचार एक समान नीति निर्धारित करने का है, जिस का इस सम्बन्ध में अन्य वस्तुओं के सभी बोर्ड पालन करेंगे?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं एक ऐसी नीति निर्धारित करने के पक्ष में नहीं जिसका पालन करने के लिए इन बोर्डों को अनुचित कठिनाइयां उठाने पर मजबूर किया जाय।

पेट्रोल पर विदेश अधिभार

*६३७. **श्री विश्वनाथ राय** : (क) **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सभी कम्पनियां (बी० ओ० सी०, एस० वी० ओ० सी० तथा काल्टेक्स) प्रति गैलन पर विदेश अधिभार के रुप में दो आना लेती हैं?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह सच है कि यह कम्पनियां इस शक्ति मधसार पर भी, जो कि उन्हें इस देश में खपत के लिए पेट्रोल के साथ मिलाने के लिये दिया जाता है, यह अधिभार लगाती हैं?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख)। मैं एक विवरण, जिसमें इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गई है, सदन पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७**]

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का भारत में उत्पादित शक्ति मधसार पर विदेश अधिभार लगाने की प्रथा को बन्द करने का विचार है?

सरदार स्वर्ण सिंह : जैसा कि मैंने विवरण में स्पष्ट कर दिया है, यह सारा अधिभार अस्थायी रूप से लगाया जाता है और जैसे ही सामान्य स्रोतों से मधसार मिलने लगेगा हम इसे हटा देंगे।

श्री सिंहासन सिंह : भारत में मधसार उत्पादन करने वाली डिस्टिलरियों की संख्या कितनी है?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं। यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता और मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री विश्वनाथ राय : भारत में उत्पादित मधसार पर कितना विदेश अधिभार लिया जाता है?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं, यह तो प्रत्यक्षतः उसी प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसके लिये मैंने पूर्व सूचना मांगी है, क्योंकि यदि मात्रा के बारे में मालूम हो तो इस अधिभार का हिसाब लगाया जा सकता है।

कुम्भ मेला

६३८. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) कुम्भ मेला दुर्घटना का समाचार दुघटना के कितने घंटे बाद

आकाश वाणी द्वारा प्रसारित किया गया था ;

(ख) यह समाचार कहां से प्राप्त हुआ था ; और

(ग) क्या समाचार प्रसारित करने से पहले, दुर्घटना के तथ्यों की पड़ताल की गई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) पहला समाचार दुर्घटना के समय से लग भग चार घंटे बाद प्रसारित किया गया था। यह एक संक्षिप्त समाचार था और इस में ब्योरा नहीं दिया गया था। ४ बजे एक और समाचार प्राप्त हुआ था, जिस में कुछ ब्योरा दिया गया था । ६-४० पर टेलीफोन द्वारा एक और संदेश में कुछ अग्रेतर ब्योरा दिया गया था ।

(ख) उत्तर प्रदेश में आकाश वाणी के संवाददाता से ।

(ग) तथ्यों की पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि समाचार हमारे अपने संवाद दाता ने भेजा था ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां तक एजेंसी के समाचारों का सम्बन्ध है, पी० टी० आई० से पहला समाचार ३-२८ पर प्राप्त हुआ था और दूसरा ५-५९ पर ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट जनरल के कुम्भ दुर्घटना में दबने की खबर फैली थी और उसके बाद तुरन्त यह मालूम हुआ कि यह बात गलत है । उस पर उत्तर प्रदेश के चीफ मंत्री जी उन्हें दुर्घटना से बच जाने के उपलक्ष में बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पर गये ?

डा० केसकर : मुझ से इसका कुछ ताल्लुक नहीं। जो सवाल है वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और वहां के गवर्नर से ताल्लुक रख सकता है ।

नमक

*६३९. **श्री मुरारका** : क्या उत्पादन मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २८ अप्रैल, १९५० से जब से कि राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये मनोनीत व्यक्तियों के सीधा नमक मंगवाने पर, सरकार ने उन्हें नमक भेजना शुरु कर दिया है, सांभर के नमक के व्यापारी विस्थापित हो गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई बेकारी और सांभर लेक के नगर में लोगों की तकलीफ का ज्ञान है ; और

(ग) इस विषय में सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त मनोनीत व्यक्तियों द्वारा सीधा नमक मंगवाने की प्रणाली से जो कि २८ अप्रैल, १९५० से लागू हुई थी, सांभर के नमक के व्यापारियों को कुछ तकलीफ पहुंची है । तथापि बताया जाता है कि राज्य सरकारें द्वारा मनोनीत व्यक्ति सामान्यतया अपनी ओर से नमक मंगवाने के लिए सांभर के व्यापारियों की सेवाओं का उपयोग करते हैं और इसके लिए उन्हें कमीशन मिल जाता है।

(ग) १९५३ में बिहार को संभरित करने के लिए, सांभर के व्यापारियों को २ लाख मन

सांभर नमक का कोटा दिया गया था। १९५४ में भी बिहार को संभरित करने के लिए व्यापारियों को इतना ही कोटा देने का विचार है। इस के अतिरिक्त राज्य सरकारों की सहमति से राजस्थान को संभरित करने के लिए २·७५ लाख मन का कोटा और दिया जायेगा। मनोनीत व्यक्ति प्रणाली को हटा देने या इस में संशोधन करने का प्रश्न अब विचाराधीन है, ताकि सांभर के नमक के व्यापारियों द्वारा राज्यों में 'निःशुलक' नमक की आयात की अनुमति दी जा सके। इस विषय में राज्य सरकारों को लिखा गया है ?

श्री मुरारका : नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को क्या कोई लाभ हुआ है।

श्री अरा० जी० दुबे : युद्ध से पहले नमक का व्यापार सांभर के व्यापारियों के हाथ में था। युद्ध के दौरान में, असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी और सांभर के व्यापारियों ने इन से लाभ उठाया और इस के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को हानि पहुंची यह प्रतिबन्ध उसके बाद से लागू हुए थे।

श्री मुरारका : मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया गया व्यवस्था के बदलने से उपभोक्ता को क्या कोई लाभ हुआ है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैंने कहा है कि जहां तक नमक संभरित करने का सम्बन्ध था, उस समय राज्य सरकारों के मनोनीत व्यक्तियों को कुछ प्राथमिकता दी गई थी जिस के फलस्वरूप राज्य सरकारों को माल भेजने की आज्ञा दी गई थी यही मुख्य लाभ था।

श्री मुरारका : क्या सरकार सांभर लेक के व्यापारियों को नमक विभाग में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है किन्तु मैं कह सकता हूं कि १९५४ में भी बिहार को संभरित करने के लिए सांभर के व्यापारियों को कुछ और कोटा दिया गया है इस के अतिरिक्त वस्तु नियंत्रण समिति की सिफारिशों से भी अन्त में सांभर के व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा।

श्री राधेलाल व्यास : राज्यों के नमक विभागों और निर्माताओं के बीच दलालों का काम करने के लिए सांभर के व्यापारियों को कितनी कमीशन दी जा रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : आरम्भ में कमीशन एक आना ६ पाई प्रति मन थी। बाद में शुल्क के हटाने पर इसे घटा कर एक आना प्रति मन कर दिया गया था।

श्री के० के० बसु : सांभर लेक के क्षेत्र में कितनी बेकारी और विपत्ति फैली हुई है ? भाग (ख) का उत्तर पूर्ण नहीं है।

श्री आर० जी० दुबे : बेकारी कोई नहीं है व्यवस्था के बदलने पर नमक के व्यापारियों ने कम्पनियां बना ली थी। सरकारी व्यवस्था का कोई प्रश्न नही था। व्यापारी नमक विभाग द्वारा रजिस्टर किये गये थे और प्रेषण एजेंसियों तथा राज्यों के मनोनीत व्यक्तियों के आपस में कुछ प्रबन्ध थे।

सिन्ध के पानी का आयोग

*६४०. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिन्ध जलतास के

सम्बन्ध में वाशिंगटन में होने वाली त्रिपक्षीय बातचीत में कोई प्रगति हुई है ?

(ख) किन प्रश्नों के सम्बम्ध में समझौते की बातचीत हो रही है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का निर्देश सिन्ध तास कार्यकारी से दल की बैठक में होने वाली बातचीत की ओर है, जो कि ८ सितम्बर १९५३ से वाशिंगटन में हो रही है। यदि यही बात है, तो बातचीत अभी जारी है और समाप्त नहीं हुई।

(ख) कोई विशेष प्रश्न नहीं रखा गया था कार्यकारी दल का कास "इन्जीनियरिंग सम्बन्धी कुछ विशेष कार्यो को जिस से कि प्रत्येक देश को उपलब्ध अधिक से अधिक मात्रा काफी बढ़ जाये, क्रियान्वित करना और अन्तिम उद्देश्य उसे पूरा करना" बताया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : यह बातचीत कैसे शुरू की गई थी और विश्व बैंक का सम्बन्ध इस मामले में कैसे पैदा हुआ ?

श्री नन्दा : मैं बतलाता हूं क्या हुआ था। अगस्त १९५१ में श्री डेबिड ई० लिलियंथल ने, जो कि उस समय टी० बी० ए० के अध्यक्ष थे, नहरों के पानी के झगड़े के चुकाने के सब से अच्छे तरीके के बारे में एक अमेरिकन पत्रिका में लेख लिख कर अपनें विचार प्रकट किये थे। उन्होंने कहा था कि केवल इन्जीनियरिंग आधार पर इस समस्या को एक सहकारी तरीके से हल करने से दोनों देशों को जितना पानी मिल सकेगा, उतना किसी अन्य तरीके से मिलना संभव न होगा। इस विचार को विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपना लिया था और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों को लिखा। यह सुझाव दोनों नें स्वीकार किया था और इस के फलस्वरूप यह कार्यकारी दल स्थापित किया गया था।

सरदार हुक्म सिंह : मूल सुझाव के बाद क्या किसी प्राधिकारी द्वारा चर्चा का क्षेत्र निश्चित किया गया है या अब कोई निर्देश शर्तें निश्चित की गई हैं ?

श्री नन्दा : कोई निश्चित निर्देश शर्तें नहीं थीं। इन्जीनियरों को मोटी मोटी बातों पर इकट्ठा विचार करने के लिये इकट्ठा होना था। यह सिन्ध के तास के जल साधनों को मिल जुल कर विकसित करने और इस प्रकार से प्रयोग करने का विषय था, जिस से कि एक इकाई के रूप में सिन्ध के तास के आर्थिक विकास को अत्याधिक प्रभावशाली ढंग से उन्नत किया जाये और सिन्ध के तास के जल साधनों के विकास और प्रयोग की समस्या को राजनैतिक स्तर पर नहीं अपितु क्रियात्मक ढंग पर हल किया जाये।

सरदार ए० एस० सहगल : अब जो बैठक वाशिंगटन में हो रही है, उस का उद्देश्य क्या है ?

श्री नन्दा : जनवरी १९५३ में दिल्ली में किये गये एक समझौते के अनुसार वाशिंगटन की बैठक का उद्देश्य एक व्यापक योजना, प्रारंभिक लागत प्राक्कलन और व्यापक योजना में सम्मिलित इन्जीनियरिंग कार्यो की निर्माण अनूसूची तैयार करना है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि बैंक का इस सम्बन्ध में क्या भाग है और अब तक जो तीन मीटिंगें हुई हैं, उन में क्या प्रगति हुई है ?

श्री नन्दा : बैंक का एक प्रतिनिधि है, वह इंजीनियर है, जिस का मतलब सिर्फ यही है वह दोनों पार्टियों को सहायता दे और अपने न्यूज जब भी मौका हो, प्रकट करें।

उद्योगों की उत्पादन क्षमता

* ६४१. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) पाइप्स और टयूब्स, मशीन स्क्रू, रेजर ब्लेड, डीज़ल इंजन, कार्डिग इंजन और मैलियेबल आयरन कास्टिग्ज़ के निर्माण के लिए देश की कुल उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ख) इस समय कितने प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी हुई है और उसके कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) कुल उत्पादन क्षमता जैसा कि उद्योग द्वारा बतलाया गया है, संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]**

इन उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता को ठीक ठीक आंकना सम्भव नहीं है। कुछ क्षेत्रों में कुछ क्षमता बेकार हो सकती है। और संयन्त्र और मशीनरी लगा कर इस का उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने कुछ उद्योगों में बेकार क्षमता को आंकने के लिए एक इंजीनियरिंग क्षमता सर्वेक्षण समिति नियुक्त की है, ताकि इस का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

श्री नानादास : विवरण में उल्लिखित उद्योग किस हद तक देश की मांगें पूरी कर सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विवरण में ६ उद्योग बतलाये गये हैं और ऐसा कोई मूल आधार नहीं है, जिस पर इन सब को सम्बन्धित किया जा सके। इस प्रश्न का तत्काल उत्तर देना मेरी शक्ति से बाहर है।

श्री नानादास : विवरण के पद १, अर्थात् स्टील पाइप्स और टयूब्स उद्योग के सम्बन्ध में बताया गया है कि इस की उत्पादन क्षमता १५,००० टन है। सरकार इस उद्योग को बढ़ाने और विकसित करने के लिए क्या पग उठा रही है, ताकि यह देश की मांगें पूरी कर सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्टील पाइप्प और टयूब्स विभिन्न आकार और श्रेणियों के होते हैं और इन का प्रयोग भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए किया जाता है। हमारे सामने एक योजना है। मेरे विचार में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस के अनुसार टाटाज़ और स्टयूर्टस एंड लायडज़ एक टयूब का संयन्त्र स्थापित करेंगे। हमारी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत साइकल निर्माता एक भिन्न प्रकार के टयूब बनाना शुरू करेंगे। इस सम्बन्ध में हमारे पास कई योजनाएं हैं। हमारा लक्ष्य आत्म निर्भरता के लिए प्राप्त करना नहीं है हम केवल अपने आप पर भरोसा करना चाहते हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या कालिगा टयूब्स भी इस योजना में सम्मिलित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, इस अर्थ में कि यह उन में से एक कारखाना होगा जो कि टयूब्स बनायेगा, किन्तु यह इस विवरण में सम्मिलित नहीं है; क्योंकि यह अभी कोई चीज़ तैयार नहीं करता।

रेडियो लाइसेंस

*६४२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारत में रेडियो लाइसेंसों की संख्या को बढ़ाने के हेतु क्या उपाय किए गए थे ; तथा

(ख) आगामी वर्ष के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) निम्न उपाय किए गए थे :—

(१) डाक तथा तार निदेशालय द्वारा चोरी छुपे रखे हुए रेडियो सैटों को खोज निकालने के लिए ज़ोरदार कार्यवाही की गई थी ;

(२) प्रसारण सेवाओं का विस्तार ;

(३) सेवा के स्तर का सुधार ।

(ख) इसी प्रकार के उपाय इस वर्ष भी किए जाएंगे । इस के अतिरिक्त जनता को अधिक रेडियो प्रेमी बनाने के लिए विशेष प्रचार कार्यक्रम चालू करने का भी विचार है । सस्ते रेडियो सैट बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि अयातित रेडियो सैटों के पुर्जों को यदि यहां एकत्रित किया जाय तो एसे सैटों का मुल्य आयातित सैटों के मूल्य से कम रहता है ; और यदि ऐसा है तो सरकार सस्ते रेडियो सैंटो के सम्मरण के हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जिस से लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि हो सके ?

डा० केसकर : लाइसेंस वाले सैटों की संख्या के विषय सस्ते सैटों का महत्व तो स्पष्ट ही है अतः सरकार को इस बात का बोध है कि सस्ते से सस्ते सैट जनता को मिलने चाहिएं । इस प्रश्न पर विचार किया जारहा है । हम इस विषय में कोई विशेष नीति निर्धारित नहीं कर पाए हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि मंत्रालय वे पुर्जे मंगवाकर और उन्हें सैट के रूप में एकत्रित कर के इस विषय में जाच की थी, और यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार स्वयं इस प्रकार के एकत्रण के लिये कोई फैक्टरी खोलने का है या वे अन्य फेक्टरियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहते हैं ?

डा० केसकर : यह सत्य नहीं हैं कि हमने अधिक संख्या में पुर्जों का आयात इस आशय से किया हो कि उन्हे एकत्रित कर के रेडियो सैट बनाए जाएं । मंत्रालय के गवेषणा विभाग ने पुर्जे अवश्य मंगवाए थे जिन को उन्हों ने एकत्रित कर के रडियो सैटों का रूप दिया वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सैटों को एकत्रित करके बहुत सस्ते दामो पर बेचा जासकता है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या सरकार किसी फेक्टरी की स्थापना करें अथवा प्राइ-वेट निर्माताओं के सहयोग से काम करे जिन से लोगों को सस्ते सैट मिल सकें, मैं इस समय कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकूंगा ।

हाथ करघा उद्योग

*६४३. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) सितम्बर से दिसम्बर, १९५३, तक राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई हाथ कर्घा उद्योग के विकास सम्बन्धी योजनाओं

के लिय संघ सरकार द्वारा स्वीकृत की गई कुल राशि ;

(ख) क्या सभी सम्बद्ध राज्यों ने अपनी हाथकर्घा विकास योजनाएं भेज दी हैं; तथा

(ग) गत वर्ष, अर्थात दिसम्बर १९५३, तक निर्यात किए गए हाथकर्घा माल की कुल मात्रा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट १३, अनुबन्ध संख्या २९]

(ख) कच्छ तथा विन्ध्य प्रदेश को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों से यह योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या केन्द्रीय मंडी संगठन की स्थापना हो चुकी है; और, यदि ऐसा है तो कहां और कब ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केन्द्रीय मंडी संगठन स्थापित हो चुका है, और अभी इस का केन्द्रीय कार्यालय मद्रास में है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गंधक का उत्पादन

*६१०, **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन इंस्टिट्यूट आफ केमिकल इंजिनीयर्स के उस कथन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कि उन्हों ने राष्ट्रीय उद्योग के नाते देश में गंधक के उत्पादन के संगठन की तथा इस काम के लिये सरकारी सहायता दिय जाने की बात कही हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकारने इस पर क्या निर्णय किया है ?

वणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। गंधक तथा गंधक का तेज़ाब बनाने के लिए गिप्सम तथा आयरन पाइरैट जैसी गंधक युक्त देशी धातुओं के उत्पादन का प्रश्न कुछ समय से सरकार के सम्मुख विचाराधीन है। इन धातुओं से गंधक तथा गंधक का तेज़ाब बनाने की योजनाओं का परीक्षण किया जा रहा है।

गंगा नगर में भूमि की बांट

*६१३. **श्री पी० एल० बारुपाल** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला श्री गंगा नगर में ऐसे व्यक्तियो की संख्या कितनी है जिनके लिए की गई भूमि की बांट पिछले तीन महीनों मे रद्द कर दी गई है;

(ख) ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनके पास पाकिस्तान में भूमि नहीं थी और यहां उनके लिए की गई भूमी की बांट उपरोक्त काल में रद्द कर दी गई;

(ग) इन लोगों में अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं; और

(घ) भूमि की बांट रद्द किए जाने के क्या कारण थे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन)

(क) १०५४।

(ख) ७४०।

(ग) २१४

(घ) निम्न लिखित कारणों में से एक या अधिक के होने पर बांटें रद्द कर दी गई :

(१) जिन लोगों को भूमि दी गई थी वे स्थानीय व्यक्ति थे न कि विस्थापित व्यक्ति।

(२) वे स्वयं खेती नहीं करते थे।

(३) जहां से भूमि दी गई थी उस देहात में अथवा जिले में वे नहीं रहते थे।

(४) अस्थायी तौर पर की गई बांटें बनावटी नामों पर कपट से ली गई थीं और झूठी थीं।

(५) जिन लोगों को भूमि मिली थी वे उन लोगों से भिन्न थे जिनके नाम पर वास्तव में भूमि दी गई थी।

(६) भूमि मांगने वाले लोगों को पंजाब पेप्सू में तथा गंगानगर जिले में दोबारा भूमि प्राप्त हुई थी।

उत्तरी बिहार के लिए कोयला तथा सीमेंट

*६१७. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि गत वर्ष उत्तरी बिहार में भारी बाढ़ आने के कारण बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से कोयले और सीमेंट की तीव्र मांग रही है ;

(ख) क्या गत वर्ष बिहार को कोयले तथा सीमेंट की कोई अतिरिक्त बांट की गई थी ; तथा

(ग) १९५३-५४ की तीसरी तथा चौथी तिमाही में बिहार को की गई इन वस्तुओं की कुल बांट ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) राज्य सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोयले तथा सीमेंट की कोई विशेष मांग नहीं की है। किन्तु राज्य सरकार सीमेंट की अधिक बांट की मांग करती आ रही है।

(ख) जी हां।

(ग) २१८२८४ टन कोयला तथा ७३६०० टन सीमेंट।

हिराकुड परियोजना

*६२५. **श्री आर० एन० एस० देव :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५३ को हीराकुड परियोजना के सीधे लाभों के सर्वेक्षण के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३३२-क का निर्देश करने की तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखित 'अन्य विषय' क्या थे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : २३ दिसंबर, १९५३ के मेरे उत्तर में उल्लिखित 'अन्य विषयों' में निम्न बातें सम्मिलित थीं :

फसल का प्रकार, बारी बारी से फसल बदलना, भूमि सुधार, उर्वरकों का उपयोग, उपज के विषय में प्रयोग तथा नमूने के खेत।

क्रूड आयल

*६२७. **श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मंत्री भारत में आयात किये जाने वाले क्रूड आयल की कुल मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

उत्पादन मंत्री श्री के० सी० रेड्डी): इस समय भारत में कोई क्रूड आयल आयात नहीं किया जाता।

केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के कर्मचारी

*६३४. **श्री टी० बी० बिट्ठल राव :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के कार्यभृत कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान सरकारी काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है ।

(ख) जब वे कहीं बाहर जाते हैं तब क्या उन्हें ठहरने का या दैनिक भत्ता दिया जाता है और यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या उन्हें केवल रेलवे के तीसरे दर्जे का किराया दिया जाता है फिर चाहे वे श्रेणी ३ के कर्मचारी हों या श्रेणी ४ के ।

(घ) यदि हां, तो उसके कारण ; तथा

(ङ) क्या सरकार कार्यभृत कर्मचारियों को भी दैनिक भता तथा उचित रेलवे किराया देने का विचार कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, किन्तु क्वचित् ।

(ख). ऐसा कोई भत्ता नहीं दिया जाता ।

(ग) तथा (घ). जी हां, क्योंकि आवास व्यवस्था उपदान, छुट्टियां तथा निवृत्ति-वेतन के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए कार्यभृत कर्मचारियों का श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ में वर्गीकरण नहीं किया जाता ।

(ङ) यह विषय विचाराधीन है ।

दिल्ली में नये मकानों के लिए बिजली

*६३५. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री ९ सितंबर १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१० का निर्देश करने की तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि चपरासियों, दफ्तरियों तथा लिपिकों के लिए दिल्ली तथा नई दिल्ली में अभी अभी निर्माण की गई नई बस्तियों में बिजली का प्रबंध कब किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : लिपिकों के लिए बनाए गए सारे मकानों में बिजली का प्रबंध किया गया है । चपरासियों तथा दफ्तरियों के २५०० गृहों में बिजली लगाने का काम आरम्भ करने के आदेश दिये गये हैं और शेष गृहों के बारे में भी ऐसे आदेश नये वित्तीय वर्ष में जल्दी ही दिये जायेंगे ।

बेरोजगारी का सर्वेक्षण

*६०८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कितने स्थानों में नमूने के तौर पर बेरोजगारी का सर्वेक्षण किया गया है ?

योजना, व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : राष्ट्रीय नमूना सर्वक्षण द्वारा किये गये पंजाब की बेरोजगारी के सवक्षण का संबंध अमृतसर से है ।

क्षेत्र प्रचार दल

*६४५. **श्री के० सी० सौधिया :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय कार्य करने वाले क्षेत्र प्रचार दलों की कुल संख्या ;

(ख) उनके पास की क्षेत्र प्रचार गाड़ियों की कुल संख्या ;

(ग) उन सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों की संख्या जहां ये दल गये थे ; तथा

(घ) चालू वर्ष में इन पर किया गया कुल व्यय ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख)। क्षेत्र प्रचार-दलों की निर्मिति का व्यय सितंबर १९५३ में मंजूर किया गया था। अभी ३२ गाड़ियां बनाई जा रही हैं। गाड़ियों पर सारे साधन तथा सामान लगाये जाने पर वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य आरंभ कर देंगे ऐसी आशा की जाती है। इसी अवकाश में, एक दल पंजाब के उत्तरी क्षेत्र तथा पेप्सू में गया था। आशा की जाती है कि एक दूसरा दल शीघ्र ही दक्षिण क्षेत्र में जायेगा। प्रलेखीय चित्र, रेडियो, भित्ति-पत्रक, आदि द्वारा जनता को पंच वर्षीय योजना से परिचित कराने के लिए कुंभ मेले में सात केंद्र खोले गए थे।

(ग) सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों का अपना अलग प्रबंध है जिस के अधीन प्रत्येक विकास खंड में एक चित्रपटगृह की व्यवस्था की गई है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में किये गए कुल व्यय की राशि तभी मालूम हो सकती है जब कि वित्तीय वर्ष खत्म हो जायेगा।

सिंदरी उर्वरक

*६४६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सिंदरी उर्वरक कारखाने में बने हुए उर्वरक पर प्रति टन ३८ रुपए के लाभ की अनुमति देती है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुम्भ मेले में प्रचार केन्द्र

*६४७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने कुंभ मेले के स्थान पर कितने प्रचार केन्द्र खोले ;

(ख) इन प्रचार केन्द्रों पर कितना खर्च किया गया ; और

(ग) वहां केन्द्रीय सरकार के कितने प्रकाशन बेचे गए ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :

(क) कुंभ मेले के स्थान पर पंच वर्षीय योजना के प्रचार के लिए अनेक केन्द्र खोले गए थे जहां प्रलेखीय चलचित्र दिखाने तथा इलाहाबाद के आकाशवाणी से प्रसारित किये गए विशेष कार्यक्रम सुनवाने का प्रबंध किया गया था ;

(ख) खर्च के निश्चित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ; किन्तु आशा की जाती है कि कुल खर्च ३०,००० रुपए से अधिक नहीं होगा।

(ग) प्रकाशन-विभाग के लगभग ४००० प्रकाशन बेचे गए।

दामोदर घाटी निगम

*६४८. **श्री तुलसीदास** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी निगम योजना के अनुसार खुदाई बांधों का निर्माण, आदि काम ठेकेदारों द्वारा नहीं किये जा सकते ?

(ख) विभाग द्वारा काम किये जाने से क्या लाभ है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दामोदर घाटी निगम का काम सर्वोत्तम फल प्राप्त करने की दृष्टि से परिस्थिति के अनुसार ठेकेदारों द्वारा अथवा विभाग द्वारा किया जाता है ।

(ख) जब सुयोग्य ठेकेदारों की कमी होती है और जब वे उचित दरों पर काम की जिम्मेवारी उठाने के लिए तुरन्त उपलब्ध नहीं होते हैं तब विभाग द्वारा काम करवाना लाभप्रद होता है। प्रत्यक्ष निर्माण आरंभ हो जाने के बाद जब कभी रचना में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है तब विभाग द्वारा काम करने में अधिक स्वतंत्रता तथा मितव्ययता अनुभव की जाती है।

विस्थापित व्यक्तियों के नगर तथा बस्तियां

*६४९. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के नगरों तथा बस्तियों में रहने वाले निर्धन विस्थापित व्यक्तियों के किराये माफ करने के निदेश दिये हैं ;

(ख) क्या उल्हासनगर में किराया माफी के प्रार्थना पत्र दो वर्षों से निबटाये नहीं गए हैं ;

(ग) यदि हां; तो इस के कारण; तथा

(घ) वहां की किराया-माफी का वहां के कुल किराये से क्या प्रतिशत परिमाण है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अप्रैल १९५३ में बम्बई राज्य के पुनर्वास बस्तियों के विस्थापित व्यक्तियों को किरायों में बहुत छूट दी गई। पुरानी अविभाजित बैरेकों में रहने वालों के किरायों का सारा बकाया माफ कर दिया गया। और विभाजित बैरेकों में रहने वाले अति निर्धन व्यक्तियों को भी यह रियायत दी गई । नवनिर्मित गृहों के किराये भी नये सिद्धान्त के आधार पर निश्चित किये गए और किरायों में की गई इस कमी को पूर्वगामी प्रभाव दिया गया ।

(ख) तथा (ग) : उल्हासनगर के विस्थापित व्यक्तियों ने पहले जो प्रार्थना-पत्र दिये थे वे अशुद्ध तथा अपूर्ण थे। अतः उन्हें शुद्ध तथा पूरे करने के लिए प्रार्थियों के पास वापिस भेजना पड़ा। अब राज्य सरकार ने उन प्रार्थनापत्रों का परीक्षण पूरा कर लिया है और अब वह इस बात का निर्णय कर रही है कि किस को कितनी माफी दी जाये।

(घ) उल्हासनगर में दी गई कुल किराया-माफी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु किराये की वसूली बहुत कम हुई है और ३० जून, १९५३ तक कुल ८ लाख ५५ हजार रुपयों के किराये में से केवल १ लाख २६ हजार रुपए वसूल हुए थे ।

नार्थ ब्लाक में आग

*६५०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सचिवालय के नार्थ ब्लाक में १६ फरवरी १९५४ को लगी हुई आग के कारण; तथा

(ख) इसके फलस्वरूप संपत्ति की कितनी हानि हुई ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) आग के कारण का पता लगाया जा रहा है ।

(ख) बरामदे को बन्द कर के जो तीन कमरे बनाये गये थे वे भस्मसात हो गये । क्षतिग्रस्त कमरों के निकट के दो अन्य कमरों में दो स्तंभ, तथा घुमट एवं कमानें गिर गई और अन्य सत्रह स्तंभ फट गए । इन कमरों में जो फर्निचर तथा कागज थे वे भी जल गए ।

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

*६५१. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन विस्थापित व्यक्तियों के दावे प्रमाणित हुए हैं उन्हें शिक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए ऋण देने के बारे में क्या कोई प्रबन्ध किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : नहीं ।

गैर सरकारी उद्योग

*६५२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संस्थाओं के संघ ने उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिस में उन बातों का विस्तृत रूप में उल्लेख किया गया है जो देश की औद्योगिक प्रगति में बाधा डालती है, तथा यह भी बताया गया है कि गैर सरकारी उद्योग मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में अपना यथोचित भाग क्यों न ले सके हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसमें वर्णित सारी बातों पर विचार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। मैं ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संस्थाओं के संघ के ज्ञापन को, जिसका शीर्षक "औद्योगिक प्रगति में बाधाएं" है, देखा है ।

माननीय सदस्य का विचार होगा कि गैर सरकारी उद्योगों की दृष्टि से ज्ञापन में बहुत सी बातें कही गई हैं। सरकार का कहना यह है कि वह अपनी नीति तथा सहायता करने के सामर्थ्य के अनुसार गैर सरकारी उद्योगों को सहायता देने के लिये जो कुछ भी कर सकती हैं, कर रही है । ज्ञापन में अधिकतर मजदूर नीति तथा कल्याण विधान के संबंध में कहा गया है । यद्यपि सरकार मानती है कि अपनी नीति से प्रकट होने वाले दृष्टि-कोण से भिन्न दृष्टि-कोण भी हो सकता है, फिर भी इस संबंध में सरकार का उत्तरदायित्व यह है कि वह मजदूरों के कल्याण में उत्तरोत्तर वृद्धि करने की दृष्टि से विभिन्न हितों से समानता पूर्ण व्यवहार करें ।

अन्य प्रश्नों पर, जैसे बिक्री कर में विषमता तथा परिवहन बाधायें, सरकार निरन्तर विचार कर रही है ।

पटसन चीनी तथा चाय उद्योग

*६५३. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पटसन, चीनी तथा चाय उद्योगों के लिये आवश्यक यन्त्रों के निर्माण की देश में कुल अधिष्ठापित धारिता कितनी है तथा आजकल कितनी प्रतिशत धारिता का उपयोग नहीं हो रहा है ; तथा

(ख) उपयोग न होने वाली धारिता के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) प्रत्येक वर्ग में यन्त्रों की विभिन्न मदें हैं। इन मदों की अधिष्ठापित क्षमता, उद्योग के दावे के अनुसार, विवरण में दी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]** इन उद्योगों में बेकार पड़ी उत्पादन क्षमता का ठीक पता लगाना सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ, सम्भव है कि कुछ उद्योगों में कुछ धारिता बेकार पडी हो। यदि और संयंत्र या यंत्र अधिष्ठापित कर दिये जायें तो यह बेकार पडी धारिता प्रयोग में आ सकती है। सरकार द्वारा नियुक्त की गई इन्जिनियरिंग उत्पादन क्षमता परिसमाप समिति इस समस्या की जांच पड़ताल कर रही है ताकि सरकार देश में उपलब्ध उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग कराने का प्रयत्न कर सके।

आकाशवाणी का कार्यक्रम

***६५४. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३ में गावों में रेडियो सुनने वालों की संख्या तथा कार्यक्रमों पर उनकी प्रतिक्रियाओं के संबंध में सूचना एकत्रित की गई थी; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५३ में बम्बई तथा मद्रास के गावों में तथा आंशिक रूप में उत्तर प्रदेश के गांवों में रेडियो सुनने वालों की संख्या के संबंध में सूचना एकत्रित की गई थी। प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनने वाले ग्रामवासियों की प्रतिक्रियाओं का पता नहीं लगाया गया था। देहाती कार्यक्रमों की प्रभावशीलता निर्धारित करने की दृष्टि से गांवों में देहाती कार्यक्रम सुनने वालों की प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के लिये आजकल नियमित अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) मद्रास राज्य में किये गये परिमाप से यह माना जा सकता है कि उस राज्य में १·२ लाख ग्रामीण प्रति दिन देहाती कार्यक्रम सुनते हैं। जैसा कि भाग (क) में बताया गया है, गांवों में सुनने वालों की प्रतिक्रियाओं का अभी पता नहीं लगाया गया है।

बोकारो विद्युत

***६५५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बोकारो में उत्पन्न होने वाली विद्युत को जब कि उसकी जनन लागत ०·४६ आना प्रति यूनिट है, ६ आने प्रति यूनिट पर बेचती है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दामोदर घाटी निगम प्रति यूनिट ०४·२ आना कीसम्भावित जनन लागत के आधार पर, अधिक मात्रा में उपभोग करने वालों को, ०·९८ आना प्रति यूनिट की औसत दर पर बोकारो की विद्युत देता ह। भारत सरकार बोकारो विद्युत नहीं बेचती है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान में बेकारी

९२. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को उस राज्य में बेकारी की समस्या का विवरण भेजने के लिये चिट्ठी भेजी थी ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर प्राप्त होने वाला प्रतिवेदन सदन पटल पर रखा जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) राजस्थान सरकार से उस राज्य में बेकारी के विवरण के लिये निवेदन किया गया था। राज्य सरकार से ऐसा कोई विवरण प्राप्त नही हुआ था परन्तु गांवों में तथा नगरों में व्यवसाय में वृद्धि करने के लिये योजना आयोग को कुछ योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया था।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

निष्क्रान्त सम्पत्ति की पुन: प्राप्ति

९३. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे :

(क) क्रमश: १९५०,१९५१,१९५२ तथा १९५३ में भारत सरकार से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात, उत्तर प्रदेश में पुन: प्राप्ति के लिये निष्क्रान्त सम्पत्ति के संरक्षक (उत्तर प्रदेश) को, निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत, कितने पुन: प्राप्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये ;

(ख) उपरोक्त वर्षो में से प्रत्येक में ऐसे कितने प्रार्थनापत्रों पर अन्तिम निर्णय किया गया ;

(ग) ऐसे प्रार्थनापत्रों में सन्निहित सम्पत्ति का मूल्य क्या था ;

(घ) एसे प्रार्थनापत्रों की संख्या जिन्हे (१) अनुमति दी गई; तथा (२) जो अस्वीकार किये गये ;

(ङ) उपरोक्त खण्ड (घ) (२) के मामलों की अस्वीकृति के क्या कारण थे ;

(च) इन प्रार्थनापत्रों पर निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(छ) धारा १६ में उपबन्धित प्रमाण-पत्र कितने मामलों में नहीं दिया गया ; तथा कितने मामलों में दिया गया; तथा कितने मामलों में दिया गया ; तथा

(ज) प्रमाण पत्र न देने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ज) तक। सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रखी जायेगी।

सुपारी

९४ **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वित्तीय वर्ष भारत में कितनी सुपारी का आयात किया गया; तथा

(ख) अवैध आयात की कितनी मात्रा का पता लग चुका है तथा यह किन किन देशों से हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५३-५४ (अप्रैल १९५३ से दिसम्बर १९५३ तक) ५,७१,७३८ हन्ड्रेडवेट्स।

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सदन पटल पर रखी जायेगी।

नियंत्रित पंजीबद्ध स्टाक होल्डर संघ बम्बई

९५. **सरदार हुकम सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि

फरवरी, १९५४ से सरकार ने नियंत्रित पंजीबद्ध स्टाक-होल्डर संघ, बम्बई के साथ हुए समझौते को समाप्त कर दिया है ?

(ख) इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

(ग) प्रस्तावित नई व्यवस्था की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सदन पटल पर समझौते की एक प्रति रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध, संख्या ३१]**

(ग) बम्बई में पहले ही से एक दूसरा नियंत्रित स्टाक-होलडर काम कर रहा है, और वह है दी टाटा आयरेन एण्ड स्टील कम्पनी । इस फर्म से और अधिक माल जमा करने के लिये कहा गया है ताकि इन उपभोक्तओं को, जो भूत काल में संघ से माल लेते रहे हैं, किसी प्रकार की कठिनाई न उठानी पड़े ।

फरीदाबाद विकास बोर्ड

९६. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद विकास बोर्ड के अंतर्गत फरीदाबाद में जो बहुत सी संस्थाएं वाणिज्यिक आधार पर कार्य कर रही हैं क्या उनके सम्बन्ध में लाभ और हानि का कोई वार्षिक विवरण उपलब्ध है ?

(ख) यदि हां, तो क्या १९५२ और १९५३ के लिये ऐसे विवरणों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख)। विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये फरीदाबाद में कुछ औद्योगिक संस्थाएं खोली गई थीं। इन संस्थाओं का पुनर्संगठन किया जा रहा है और इन्हें वाणिज्यिक आधार पर चलाने का विचार है ।

फरीदाबाद में तेल से चलने वाले इंजनों का निर्माण

९७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है १९५३ के अन्तिम तीन महीनों में टेकनिकल इन्सटीट्यूट, फरीदाबाद का डीज़िल इंजन सेक्शन इतना काम नहीं करता रहा है जितना कि इसका सामर्थ्य है;

(ख) यदि 'हां', तो इसके क्या कारण हैं; तथा

(ग) अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, १९५३, में कितने तेल से चलने वाले इंजन तैयार किये गये ;

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां।

(ख) अगस्त-सितम्बर, १९५३ में मज़दूरों की आम हड़ताल तथा उसके परिणामों के कारण ऐसा हुआ ।

(ग) अक्तूबर में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ किन्तु नवम्बर तथा दिसम्बर, १९५३ में ४५ इंजन बनाये गये ।

फरीदाबाद टैकनिकल इन्सटीट्यूट

९८ **श्री वी० पी० नायर** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५३ में हड़ताल होने के बाद फ़रीदाबाद टेकनिकल इन्सटीट्यूट के मज़दूरों को कुछ समय तक बेकार रहना पड़ा था ;

(ख) यदि 'हां', तो इसके क्या कारण थे; तथा

(ग) १ नवम्बर, १९५३ से ३१ दिसम्बर, १९५३ तक इन्सटीट्यूट में कितनी वस्तुएं-नामवार-बनाई गई थी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) तक। नवम्बर, १९५३ में टेकनिकल इन्सटीट्यूट की उसकी पुरानी इमारत से हटा कर नई इमारत में लाने का काम हाथ में लिया गया था। मशीनों को साफ करने और उन्हें फिर से लगाने का काम दिसम्बर, १९५३ तक जारी रहा। मशीनों आदि के हटाये जाने के कारण मजदूरों को पूरी तरह से काम पर नहीं लगाये रखा जा सका, किन्तु उन वस्तुओं को बनाने का काम जारी रखा गया जिनको हड़ताल से पहले बनाना आरम्भ कर दिया गया था।

कपड़ा मिलें तथा हस्तकरघे

९९. श्री झूलन सिन्हा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितनी मिलें कपड़ा बना रही हैं तथा उनके लिये मशीनें आयात करने पर अनुमानतः कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) कितने हस्तकरघे हैं तथा उन पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ग) मिलों तथा हस्तकरघों द्वारा इस देश की आवश्यकताएं कहां तक पूरी होती हैं ; तथा

(घ) इस समय जितनी कपड़े की मिलें चालू हैं क्या केवल उन से ही देश की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३९९, जिसमें ११७ कताई यूनिटें हैं। तथा२८२मिली जुली(कताई और बुनाई)यूनिटें हैं इन मिलों द्वारा मशीनें आयात करने पर कुल कितनी पूंजी लगाई गई यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) बताया जाता है कि लगभग २,८९३,२७१ हस्तकरघे हैं। परन्तु गणना रिपोर्ट और नमूना परिमाप के अनुसार यह आंकड़े ठीक नहीं बैठते। १९५१ में राज्य सरकारों से संकलित सूचना के अनुसार हस्तकरघों में लगभग ३९ करोड़ रुपया लगाया गया है।

(ग) तथा (घ)। १९५३ में मिलों द्वारा कुल ४,९०५,०००,००० गज़ कपड़ा तैयार किया गया। हस्तकरघों ने लगभग १,२००,०००,००० गज़ कपड़ा त्यैार किया। निर्यात के लिये व्यवस्था करने के पश्चात्, १९५३ में प्रति व्यक्ति के लिये १५·१ गज़ कपड़ा उपलब्ध था जब कि पहली पंच वर्षीय योजना में १५ गज़ का लक्ष्य रखा गया था।

बिजली के समान का उद्योग

१००. श्री नानादास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली के सामान के उद्योग में इस समय कितने प्रतिशत उत्पादन क्षमता बेकार जा रही है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : बिजली के सामान के उद्योग में कितनी उत्पादन क्षमता बेकार जा रही है इसका ठीक ठीक पता लगाना सम्भव नहीं है। सरकार ने पहले ही एक इंजीनियरिंग उत्पादन क्षमता सर्वेक्षण कमेटी नियुक्त कर दी है जो इस मामले की जांच करके सिफारिश करेगी कि वर्तमान बेकार उत्पादन क्षमता से किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है।

पंच वर्षीय योजना

१०१. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी १९५४ के अन्त तक पंच वर्षीय योजना के संक्षिप्त संस्करण की कितनी प्रतियां बेची गईं और कितनी मुफ्त बांटी गईं ;

(ख) पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी अन्य प्रकाशनों का मूल्य तथा संख्या क्या है जो भारत में बेचे गये और मुफ्त बांटे गये;

(ग) यह प्रकाशन अब तक किन भाषाओं में प्रकाशित हुये हैं;

(घ) इन प्रकाशनों के विस्तृत परिचालन के लिए क्या प्रबन्ध हैं; और

(ङ) किन अभिकरणों द्वारा इन्हें मुफत बांटा जाता है,

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० **केसकर**) : (क) संभवतः "पंच वर्षीय योजना" लोक संस्करण नाम के प्रकाशन की ओर निर्देश किया जा रहा है । इस प्रकाशन के सम्बंध में अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :

३१. १. ५४ तक बेची गईं प्रतियों की संख्या १८,७५८

३१. १. ५४ तक मुफत बांटी गई प्रतियों की संख्या ७,५४२

(ख) योजना सम्बंधी अन्य प्रकाशन:

	संख्या प्रकाशनों की	संख्या प्रतियों की संख्या	मूल्य रु० आ० पा०
बेचे गये	२६	१,२८,११४	१,४१, ६००ई१०-०
मुफत बाटें	५०	४,३०,७३५	१,५४, ३४३-६-०

(ग) अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, असमिया गुजराती, मराठी, गुरुमुखी, कन्नड़, तामिल मलयालम और उर्दू ।

(घ) सारे भारत में बहुत से पुस्तक विक्रेताओं द्वारा इन प्रकाशनों की प्रतियां बेची जाती हैं और इन की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये सक्रिय कार्यवाही की जा रही है ।

(ङ) योजना आयोग, राज्य सरकारें और प्रकाशन विभाग यह प्रतियां मुफत बांटते हैं ।

दिल्ली क लिए पुनर्वास अनुदान

१०२. श्री राधा रमण: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मंत्रालय न वर्ष १९५२-५३ में दिल्ली राज्य सरकार को विभिन्न कार्यों के शीर्ष के अन्तर्गत कितनी राशि का अनुदान दिया है;

(ख) वस्तुतः कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) यह किन शीर्षों के अधीन व्यय की गई;

(घ) क्या कोई राशि कालातीत हो गई है; और

(ङ) यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं ?

पनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :

(क) (१) विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय ३६,४९,५०० रुपये

(२) शहरी ऋण ४,००,००० रुपये

(ख) ४०,२९,३८० रुपये

(ग) (१) ५७-विस्थापित व्यक्तियों पर विविध व्यय ३६,२९,३८५ रुपये

(२) ऋण ३,९९,९९५ रुपये

(घ) जी हां, २०,१२० रुपये

(ङ) मुख्यतः कार्य केन्द्रों में कर्मचारी देर से नियुक्त किये जाने के कारण ।

आकाशवाणी ग्रामीण मंत्रणादात्री समितियां

१०३. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में कार्य करने वाले आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से संसक्त शिक्षा संम्बधी प्रासारणों के लिये ग्रामीण मंत्रणादात्री समितियों की रुप-रचना और इनके कार्य क्या है; और

(ख) क्या ग्रामनिवासी इन समितियों में हैं अथवा केवल शहर निवासी ही इन के सदस्य हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) शिक्षा सम्बंधी प्रसारण के लिए कोई ग्रामीण मंत्रणादात्री समितियां नहीं हैं। जो ग्रामीण मंत्रणादात्री समितियां आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में इस समय हैं उनकी रुप-रचना और तथा उनके कृत्यों सम्बन्धी नियमों की एक प्रति सदन-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ख) जिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इन केन्द्रों को सुना जाता है उन क्षेत्रों के वे व्यक्ति इन समितियों के सदस्य नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें आकाशवाणी के ग्रामीण प्रसारण में अभिरुचि हो और जिन्हें ग्रामीन परिस्थितियों का पूर्ण परिचय हो।

गंधक

१०४. श्री एन० एम० लिंगम : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में गंधक के तेज़ाब के निर्माण में कितना गंधक प्रयोग किया जाता है?

(ख) वर्ष १९५३ के अन्तिम तीन चौथाई भाग के लिए गंधक की कितनी राशि अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री सम्मेलन में भारत के लिये नियत की है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) प्रति वर्ष लगभग ४२,००० टन।

(ख) १९५३ के पहले तीन मास के पश्चात गंधक की कोई राशि नियत नहीं की गई, क्योंकि २८ फरवरी १९५३ को अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री सम्मेलन की गंधक समिति बंद कर दी गई थी।

कोयला

१०५. श्री टी० के० चौधरी : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की करेंगें कि :

(१) कोयला निकालने;

(२) कोयला भेजने का कोयला-आयुक्त द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम;

(३) वस्तुत: भेजे गये कोयले ; और

(४) १९५२ तथा १९५३ में केन्द्रीय भारत की प्रत्येक कोयले की खान में प्रत्येक वर्ष के अन्त में कोयले के भंडारों के क्रमानुसार वार्षिक आंकड़े क्या हैं?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (१) से (४)। १९५२ तथा १९५३ सम्बंधी विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]**

सरकार द्वारा विदेशी कपड़े का क्रय

१०६ पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा १९५२ तथा १९५३ में क्रय किये गये विदेशी कपड़े की मात्रा तथा मूल्य; और

(ख) सरकार द्वारा इन दो वर्षों में क्रय किये गये हथकरघे के कपढ़े की मात्रा तथा मूल्य ?

निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कुछ नहीं।

(ख) मात्रा	मूल्य
१९५२ – १६.३३ लाख गज +६१,३५० कम्बल	१८.११ लाख रुपये
१९५३–२१.५१ लाख गज +२८,७०७ कम्बल	१६.४५ लाख रुपये

सांस्कृतिक सहचारी

१०७. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा रेंगे कि विभिन्न भारतीय राजदूतावासों और दुतावासों (लिगेशन्स) में संस्कृति सदाचारियों की सामान्य अर्हताएं क्या हैं !

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) केवल एक अस्थायी प्रचार व सांस्कृतिक सहचारी है। वह रोम में है और उसकी अर्हताएं यह हैं कि वह एम० एस० सी० (आनर्स) है, और भारत सरकार तथा इटली सरकार द्वारा दी गई संयुक्त पार्षद्यता प्राप्त करके वह कला तथा संस्कृति का उच्च अध्ययन करने के लिये १९५० में इटली गया था। हां उसने दीवार पर चित्रकारी और दृश्यांकन को पुनः ठीक करने के आधुनिक ढंगों में विशेषज्ञता प्राप्त की है।

वे इटेलियन और फ्रेंच भाषायें जानते हैं।

वे (१) प्राचीन भारतीय कला कृतियों में गोलाकार की पसन्द, (२) तांसे और पत्थर में भारतीय मूर्ति निर्माण कला (३) जन्ता के दीवारों पर अंकित दृश्य पुस्तकों के लेखक हैं।

पंजाब में औद्योगिक योजनाएं

१०८. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक योजनाओं के लिए पंजाब को वित्तीय सहायता देने की सहमति दे दी है, और

(ख) यदि 'हां' तो पंजाब सरकार ने क्या योजनाएं प्रस्तुत की हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में सामुदायिक परियोजनाएं

१०९. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार पंजाब में और सामुदायिक परियोजनाओं और विकास खण्ड योजनाओं को हाथ में लेने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि 'हां' तो कितनी योजनाएं कब और कहां आरम्भ होंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

रेलवे की कोयले की खानों में अतिरिक्त श्रमिक

११०. श्री राम जी वर्मा : क्या **उत्पादन** मंत्री २४ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ७४२ की ओर निर्देश करेंगे और रेलवे की कोयले की खानों में अतिरिक्त श्रमिकों के बारे में जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त

की गई तथ्यान्वेषी समिति का प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): तथ्य शोधन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। सदन पटल पर रखने के लिए प्रतिवेदन की प्रतियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हुआ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी

१११. **श्री एल० जोगश्वर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के अप्रशासित अथवा अंशतः प्रशासित क्षेत्रों में कोई चिकित्सा दल भेजे गये हैं

(ख) कितनी सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं ;

(ग) उन स्थानों की जनता को नमक और खाद्यान्न किस प्रकार भेजा जाता है जहां पर सड़कों की व्यवस्था नहीं है ;

(घ) वहां कितने औषधालय खोले गये हैं ; और

(ङ) क्या इन क्षेत्रों में जनता के लिये कपड़ा पहुंचाने के सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी हां। सामान्यतः दौरा करने वाले पदाधिकारियों के साथ चिकित्सा दल होते हैं। जब चिकित्सा पदाधिकारी और चलते फिरते स्वास्थ्य सम्बन्धी दल दौरा करते हैं तो पड़ोस के अप्रशासित क्षेत्रों के पहाड़ी लोग भी आकर चिकित्सा प्राप्त करते हैं।

(ख) सत्तर।

(ग) विमान द्वारा फेंक कर।

(घ) इकसठ।

(ङ) जी हां। पोलिटिकल अफसर कपड़े के संभरण का प्रबंध नियुक्त किये गये अभिकर्ताओं द्वारा करते हैं।

कच्ची धातुओं का निर्यात

११२. **श्री देवगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलकत्ते के बन्दरगाह से कच्ची धातुओं के निर्यात के बारे में २ जनवरी, १९५४ को अपनी नीति की घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि निर्यात का कोटा वही रहेगा जो अक्टूबर से दिसम्बर, १९५३ की कालावधि में था; तथा

(ख) उन फ़र्मों की संख्या जिन्हें कलकत्ते में १५ जनवरी, १९५४ से पहले निर्यात कोटे आवंटित किये गये थे तथा उन फ़र्मों की संख्या जिन्हें इस तारीख के बाद ये कोटे आवंटित किये गये ; (वे तारीखें भी दी जायें जब बाद वाली इन फ़र्मों को कोटे दिये गये)?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जीहां।

(ख) १९ फ़र्मों को १५-१-५४ तक अपने कोटे मिले ; ४५ फ़र्मों को २१-१-५४ को और ७ फ़र्मों को १-२-५४ को मिले।

डांगनेल (आयात)

११३. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१, १९५२ व १९५३ में विदेशों से कुल कितनी कितनी मात्रा में डांगनलों (चपटे मुंह की मोटी कीलों) का आयात किया गया ;

(ख) देश में इनकी वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ग) देश में इनका कुल उत्पादन कितना है ; तथा

(घ) विदेशी तथा देशी माल के दामों में क्या अन्तर है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):

		टन
(क)	१९५१ ..	३१७
	१९५२ ...	८०
	१९५३ ...	३

(ख) लगभग १,८०० टन प्रति वर्ष ।

(ग) लगभग १,७०० टन प्रति वर्ष ।

(घ) विदेशी डांगनेलों के दाम करीब २० रुपये प्रति टन ज्यादा हैं ।

चन्द्रनगर के निवृत्ति-वेतन पान वाले लोग

११४. श्री तुषार चटर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि चन्द्रनगर सरकार के उन निवृति-वेतन पाने वाले लोगों को, जो विधि अनुसार सत्ता-हस्तान्तरण के पश्चात् निवृत हुए थे, निवृत्ति-वेतन नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है और उनको प्रति वर्ष दिये जाने वाले रुपये की कुल राशि कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि फ़ांसीसी सरकार और भारत सरकार के बीच हस्तान्तरण-संधि द्वारा भारत सरकार ने इस विषय में सारे अधिकार, दायित्व व आभार अपने ऊपर ले लिये थे ; तथा

(घ) यदि हां, तो यह आभार पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख) । जब तक भारत सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच चन्द्रनगर के भूतपूर्व कर्मचारियों के निवृत्ति-वेतन संबन्धी दायित्वों के बटंवारे का प्रश्न तय नहीं हो जाता, तब तक यह आभार पूरा नहीं किया जा सकता । इस प्रश्न पर फैसला होने तक, निवृत्ति-वेतन पाने वाले लोगों की आर्थिक कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से, भारत सरकार निवृति-वेतन सम्बन्धी फ़ांसीसी नियमों के अन्तर्गत दी जा सकने वाले निवृत्ति-वेतन के अनुसार अन्तरिम आधार पर प्रत्याशात्मक निवृत्ति-वेतन दे रही है ।

(ख) दो । प्रति वर्ष दिये जाने वाले रुपये की राशि मालूम नहीं है क्योंकि निवृत्ति-वेतन का अभी हिसाब लगाया जाना है ।

(ग) जी हां ।

खजूर की गुठलियां

११५. श्री मुरारका: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की खजूर की गुठलियां आयात की गई ; तथा

(ख) खजूर की गुठलियां किस काम में लाई जाती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि खजूर की गुठलियों के आंकड़े समुद्रीय व्यापार के हिसाब में अलग नहीं लिखे जाते । परन्तु विभिन्न सीमा–शुल्क केन्द्रों से पूछ–ताछ करने से पता चला है कि हाल ही में खजूर की गुठलियों का कोई आयात नहीं हुआ है ।

(ख) खजूर की गुठलियों को पीस लिया जाता है और ऊंटों, बकरियों, भेड़ों, गाय–बैलों और घोड़ों को खिलाया जाता है । कभी कभी इसके गूदे को भून कर कॉफी की जगह भी प्रयोग में लाया जाता है ।

चाय लाइसेंस समिति द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्र

११६. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय चाय लाइसेंस समिति द्वारा

(१) चाय की खेती के विस्तार के लिये और (२) नये बगीचों के लिये १ अप्रैल, १९५० से ३० सितम्बर, १९५० तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या ;

(ख) उन आवेदन-पत्रों की संख्या जिनके बारे में परमिट जारी किये गये ;

(ग) अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या; तथा

(घ) विचाराधीन आवेदन–पत्रों की संख्या ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री० टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (घ) तक। एक विवरण सदन–पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट** ३, अनुबन्ध **संख्या** ३४]

यू० पी० में पम्प फैक्टरियां

११७. **श्री एच० एस० प्रसाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यू० पी० में बिजली से चलने वाले पम्प बनाने की कितनी फैक्टरियां हैं; तथा

(ख) क्या यू० पी० के पूर्वी ज़िलों में ऐसी कोई फैक्टरी है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी टी० कृष्णमाचारी) : (क) जहां तक मुझे मालूम है, कोई नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
४ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ४ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ बजे म० प०

राज्य परिषद से सन्देश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि :

(१) लोक-सभा द्वारा २३ फरवरी, १९५४ को पारित विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक विधेयक, १९५३ को राज्य परिषद् ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है;

(२) विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९५४ को राज्य परिषद् ने पारित कर दिया है ।

विमान निगम (संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में विमान निगम (संशोधन) विधेयक, १९५४, को सदन पटल पर रखता हूं ।

सदन पटल पर रखा गया पत्र

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय आदेश संख्या एस० आर० ओ० ३९२.

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय आदेश संख्या एस० आर० ओ० ३९२ दिनांक २ फरवरी, १९५४ की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० ४९।५४ ।**]

मुस्लिम वक्फ़ विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं भारत में मुस्लिम वक्फ़ों के अधिक सुचारु संचालन तथा प्रशासन और मुंतवल्लियों द्वारा किये जाने वाले उनके प्रबन्ध की देख रेख की व्यवस्था करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

रेलवे आयव्ययक--सामान्य चर्चा

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : बहुत से माननीय सदस्य सभी अवसरों पर निंदात्मक आलोचना करते हैं ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए] ।

वादविवाद के दौरान में कई सदस्यों ने यह कहा कि पुराने इंजन तथा रेल के डिब्बे हटा कर बदले नहीं गये हैं, उखाड़ी गई सभी

[श्री आल्तेकर]

लाइनों को फिर लगाया नहीं जा रहा है, अधिक नई लाइनें नहीं बनाई जा रही हैं, यात्रियों को पूरी सुविधायें नहीं दी जा रही हैं और समय का पालन नहीं किया जाता। इन वर्षों में रेलवे विकास के लिये केवल ४ अरब रुपये उपलब्ध हैं। यदि इन कामों के ८ अरब भी मिल जायें तो भी पांच वर्षों में यह सब कुछ नहीं हो सकता। रेलवे मंत्री के पास अलादीन का चिराग़ तो है ही नहीं कि वह इन सब कामों को एक दम कर दें।

२,५५४ इंजन मार्च १९५१ में ही बहुत पुराने हो गये थे और ६,८९५ यात्री डिब्बे तथा ४७,२५६ माल के डिब्बे बेकार हो गये थे। प्रत्येक वर्ष २०० से अधिक इंजन, ६०० यात्री डिब्बे तथा ५,००० माल के डिब्बे पुराने हो जाते हैं। इसलिये यदि इन कामों के लिये पूरा धन भी व्यय किया जाय तो भी इस मामले में हम अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकते। अतः हमें विभिन्न मदों के लिये अनुपात में आवंटन करना पड़ेगा और इसी उद्देश्य से यह योजना आरम्भ की गई है। इंजन तथा रेल के डिब्बों को बनाने तथा मशीनें प्राप्त करने के लिये २ अरब ७ करोड़ रुपये अलग रख दिये गये हैं। दूसरे दल के एक सदस्य ने यह कहा था कि गाड़ियों में भीड़ अब भी बहुत रहती है, यात्रियों को पूरी सुविधायें नहीं दी गई हैं तथा रेलवे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि भी नहीं की गई है। किन्तु उन्होंने इस बात का सुझाव नहीं दिया कि इसके लिये धन कहां से उपलब्ध हो। हमें पूरी स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिये हमने इन विभिन्न मदों के लिये इतनी राशि निर्धारित की है जिससे उचित तथा आवश्यक मांगें पूरी हो जायें।

यदि इस मामले पर इस दृष्टि से विचार किया जाय तो इस में सफलता प्राप्त हुई है। चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी का १९५१, १९५२ तथा १९५३ के लिये जितना लक्ष्य था वास्तव में वहां उस लक्ष्य से अधिक इंजन बनाये गये। इस बात की भी आलोचना की की गई कि इन इंजनों की लागत बहुत है। किन्तु आलोचक इस बात का ध्यान नहीं रखते कि इस फैक्टरी पर हम जो १४ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं उसमें से ७ करोड़ रुपये इमारतों तथा अन्य निर्माण कार्यों के लिये हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि विदेशों में फैक्टरियां काफ़ी पहिले स्थापित की गई थीं और वे पूरी रफ्तार से उत्पादन करती रही हैं और वे बहुत कम लागत पर स्थापित की गई थीं। इन बातों को सोचते हुए हमें काफ़ी सफलता मिली है।

रेल के पूरे डिब्बे बनाने की फैक्टरी पंच-वर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति पर पूर्ण उत्पादन करने लगेगी। उसमें ७,००० डिब्बे के स्थान ११,००० डिब्बे बनाये जायेंगे।

यह कहा गया था कि रेलवे कर्मचारियों के लिये जो क्वार्टर बनाये जा रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। रेलवे में ४ लाख कर्म-चारी आवश्यक सेवाओं में हैं। तीन लाख से अधिक क्वार्टर पहिले ही बना दिये गये हैं। प्रतिवर्ष हम नौ हज़ार क्वार्टर बना रहे हैं।

रेलवे विकास के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बार्सी लाइट रेलवे में पचास डिब्बे और लगा दिये गये हैं। किन्तु मेले में जाने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए और अधिक डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिये। इन डिब्बों में बीच वाली पंक्ति में कमर के सहारे के लिये कुछ नहीं लगा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन कठिनाइयों को दूर करने के कार्य करेंगे। टाटा इंजनों के बायलरों के बारे में जो शिकायत थी उसके सम्बन्ध में

मैं चाहता हूं कि उसकी जांच की जाय कि घटिया किस्म के लोहे के कारण थी या खराब पानी के कारण थी।

रेलवे में दुर्घटनायें बहुत हो रही हैं। इंजनों तथा डिब्बों के समान रेल पथ, पुल तथा पुलियायें पुरानी हो जाती हैं और उनकी भी मरम्मत करने की आवश्यकता होती है। पहाड़ों पर रेलवे लाइन के साथ साथ पहाड़ों के काटने के कारण जो बड़े बड़े पत्थर निकले रहते हैं उनसे खतरा पैदा हो सकता है अतः उनका भी उचित निरीक्षण किया जाना चाहिए।

यहां इस बात की भी आलोचना की गई है कि प्रति मील किराये में वृद्धि की गई है। किन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि जैसे पुराने मकानों की अपेक्षा नये मकानों का किराया अधिक होता है, क्योंकि आजकल मकानों के बनाने पर खर्च ज्यादा होता है, इसी प्रकार रेलवे लाइनें आदि बनाने पर खर्च बहुत होता है। लोग भी यह चाहते हैं कि नई रेलवे लाइनें बनाई जायें चाहे किराये में वृद्धि हो। मेरा सुझाव है कि अगली पंच-वर्षीय योजना में सतारा-कोरे गांव रेलवे लाइन बनाने पर विचार किया जाय। सतारा जिले का प्रधान कार्यालय है किन्तु रेलवे सम्बन्ध न होने से वह उन्नति नहीं कर सकता। अतः इस लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि साखरवाडी चीनी की फैक्टरी फाल्टन के पास है और वहां गन्ना बहुत होता है, किन्तु फाल्टन रेलवे स्टेशन के पास नहीं है, इसलिये लोनांद-फाल्टन-पंढरपुर रेलवे लाइन बनाई जाय। इससे उस प्रदेश के व्यापार तथा उद्योग में उन्नति होगी और इससे पंढरपुर जाने वाली गाड़ियों में भीड़ भी कम हो जायगी। वर्षा ऋतु में जलाई, अगस्त, सितम्बर तथा १५ अक्तूबर तक रेलगाड़ियों में कम यात्री सफ़र करते हैं। मेरा सुझाव है कि इन दिनों तीर्थ स्थान जाने के लिये ऐसे रिया-यती टिकिट जारी किये जायें जिससे लोग एक ओर का किराया देकर दूसरी ओर से बिना किराया दिये हुए उसी टिकिट से वापिस आ सकें।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : रेलवे की समस्याओं से कई वर्षों से मेरा सम्बन्ध रहा है और मैं इन समस्याओं के हल के सम्बन्ध में कुछ रचनात्मक सुझाव दूंगा।

मुझे इस बात पर अत्यधिक खेद है कि हमारे योजना बनाने वालों ने रेलवे की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे विचार में उनका प्राक्कलन न केवल अपर्याप्त है, बल्कि ग़लत भी है। मैंने पिछले वर्ष कहा था और इस वर्ष भी कहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए जो राशि रखी गई है, वह बहुत कम है। यह राशि ४०० करोड़ रुपये है। बढ़ते हुए व्यापार और उद्योग को ध्यान में रखते हुए, इससे हमारी रेलवे का पर्याप्त विकास नहीं हो सकेगा। माननीय मंत्री की यह बात कि इतनी राशि भी उपलब्ध नहीं हो सकेगी और भी चिन्ताजनक है। मेरा अनुमान यह है कि हमें इस प्रयोजन के लिए कम से कम ६०० करोड़ चाहिएं।

माननीय मंत्री ने और रेलवे बोर्ड ने जो आंकड़े दिये हैं, उनसे स्पष्ट है कि कार्य-वहन क्षमता कम हो गई है। मेरे विचार में इस स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। यद्यपि बहुत से नये डिब्बे और इंजन लाइनों पर चालू किये गये हैं और औद्योगिक उत्पादन भी १० प्रतिशत बढ़ गया है, माल का याता-यात कम हो गया है। टन मीलों में कमी हुई है और डिब्बा मीलों में तथा माल गाड़ी मीलों में वृद्धि हुई है। ब्राडगेज गाड़ियों पर माल का

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

लदान घट गया है और छोटे मोटे यातायात के लिए व्यापारी लोग रेलवे का प्रयोग नहीं करते। मैं यह नहीं कहता कि स्थिति बहुत गम्भीर और चिन्ताजनक है, किन्तु हमें इन त्रुटियों को दूर करना चाहिए।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में डिब्बों के चक्कर के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं दिये। मेरी अपनी धारणा यह है कि माल भेजने के लिए जितने डिब्बों की मांग है, उतने संभरित नहीं किये गये हैं। वास्तव में यातायात गतिरोध पहले की तरह जारी है।

इसका एक पहलू और है। जबकि माल यातायात और यात्री यातायात से आय कम हो गई है, १९५२–५३ में गुम हुए और खराब हुए माल के सम्बन्ध में दावों की राशि ३० लाख रुपये बढ़ गई है। मेरे विचार में मंत्री महोदय को रेलवे की विभिन्न श्रेणियों की पुलिस की स्थिति के सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए। इस का व्यय तो काफ़ी बढ़ गया है, किन्तु यह कर्मचारियों और रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर सकी।

यात्री यातायात से होने वाली आय में जो कमी हुई है, उस के मामले में माननीय मंत्री को वैज्ञानिक ढंग से जांच करनी चाहिए और इसके कारण ज्ञात करने चाहिएं। इस सम्बन्ध में मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वे फिलहाल गाड़ियों में स्थान के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न को उठा रखें। पहले दर्जे को हटा देने से हमें पहले ही कम से कम २४ लाख रुपये की हानि हो चुकी है। इस की पूर्ति के लिए हमें दूसरे दर्जे से कोई लाभ भी नहीं हुआ, क्योंकि इससे जो आय हुई है, वह पहले से भी कम है। मेरा निवेदन है कि जब तक डिब्बों की स्थिति में सुधार न हो जाये, दर्जों में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण विषय जिस के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीयकरण नहीं दिया गया, यह है कि माल के यातायात और यात्री यातायात की आय में कमी होने के बावजूद भी ४००,००० टन अधिक कोयले की खपत हुई है। इतने कोयले का मूल्य लगभग आधा करोड़ रुपया होगा। यह नहीं बतलाया गया कि इतनी वृद्धि का क्या कारण है?

पुनर्वर्गीकरण के परिणामों से मैं विशेष रूप से असंतुष्ट हूं। इससे अभिनवीकरण नहीं हुआ और एक वर्ष की अवधि में पदाधिकारियों की संख्या २२३१ से २४३४ तक बढ़ गई है। मेरे विचार में बहुत से ऐसे फालतू और अनावश्यक पद निकाले गये हैं जो कि रेलवे प्रशासन के लिए सहायक सिद्ध होने की बजाय बाधक सिद्ध हो रहे हैं। ओ एंड टी रेलवे में पहले पांच जिले थे। पुनर्वर्गीकरण के बाद इसका क्षेत्र बढ़ा दिया गया और ५½ ज़िले बना दिये गये। इस आधे ज़िले के लिए दो नये प्रादेशिक कार्यालय खोले गये हैं,—एक लखनऊ में और दूसरा मुज़फ्फरपुर में। इन के लिए नई इमारतें बनाई गई हैं, नये पदाधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं किन्तु उनका काम कुछ भी नहीं है। पहले जो काम प्रधान कार्यालय को भेजा जाता था, अब इन प्रादेशिक कार्यालयों में भेजा जाता है और वहां केवल अधिक विलम्ब होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता।

माननीय मंत्री ने रेलवे श्रमिकों की उत्पादन शक्ति के बारे में हमें कोई वास्तविक जानकारी नहीं दी। १९३८–३९ की अपेक्षा यह लगभग आधी रह गई है और यह प्रशासन के लिए एक गम्भीर मामला है। जब तक यह उत्पादन शक्ति बढ़ाई नहीं जायेगी, रेलवे की

कार्यक्षमता का पहले जो स्तर था, उस स्तर तक पहुंचना सम्भव नहीं होगा। और मेरा निवेदन है कि यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है और इसका हल समितियों या आयोगों द्वारा नहीं निकाला जा सकता। रेलवे कर्मचारियों का उत्साह कम क्यों है, इस लिए कि उन्हें बहुत सी शिकायतें हैं, जो कि अधिकांशतया पुनर्वर्गीकरण के कारण उत्पन्न हुई हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि क्वार्टरों की कमी है। मैं जानता हूं कि यह कमी एक दिन में दूर नहीं की जा सकती। किन्तु इन क्वार्टरों के लिए जितना आवंटन हम अब कर रहे हैं, उसके अनुसार हम ५० से ७० वर्षों तक भी यह आवश्यकता पूरी नहीं कर सकेंगे। परन्तु यह कठिनाई दूर की जा सकती है और अवश्य करनी चाहिए। रेलवे कर्मचारियों को एक और शिकायत यह है कि स्थानीय पदाधिकारी बिना सोचे समझे उनका स्थानांतरण कर देते हैं। एक मामले में जो मैंने रेलवे मंत्री को भेजा है, एक व्यक्ति को १४ दिनों में तीन बार स्थानांतरित किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी असुविधा होती है और उनके बच्चों की शिक्षा पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है।

छुट्टी और पासों के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि इन्हें देने का कार्य स्थानीय अधिकारियों के हाथ में रहना चाहिए, जैसा कि पहले था, क्योंकि विभागीय प्रणाली के अन्तर्गत इसमें अत्यधिक विलम्ब हो जाता है और कर्मचारी उस समय छुट्टी नहीं ले सकते, जबकि उन्हें आवश्यकता होती है।

ज्येष्ठता सूचियां अब भी तैयार नहीं की गई और पुनर्वर्गीकरण के बाद तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के किसी व्यक्ति को स्थायी नहीं किया गया। इस का परिणाम यह निकलता है कि वे लोग जिन की सेवा की अवधि समाप्त होने वाली होती है और जो पदोन्नति के अधिकारी होते हैं, पदोन्नति नहीं पा सकते। इस बात से कर्मचारियों में बहुत असंतोष है।

वेतन तथा वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास शिकायतों की बाढ़ सी आ जाती है। जब तक कर्मचारी स्थापना विभाग के किसी क्लर्क को रिश्वत न दें, वे अपने वेतन का अवशेष या वेतन वृद्धि नहीं ले सकते। इस मामले की अवश्य जांच की जानी चाहिए।

कोई कारण नहीं कि क्यों इन लोगों को दो वर्ष के वेतनावशेष अथवा भत्ते से वंचित किया जाय।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : श्री फ्रैंक एंथनी ने कहा था कि हम लोग रेलों की समस्याओं के विषय में अधिक नहीं जानते किन्तु यह सभी के लिये सत्य नहीं है। वे रेलों में श्रेणियां समाप्त कर देने के बहुत निरोध में हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]।

रेलों की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में कोई विशेष अन्तर नहीं था और प्रथम श्रेणी के समाप्त किये जाने का सारे देश ने स्वागत किया था और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री तृतीय श्रेणी भी न समाप्त कर दें। माननीय मंत्री का तात्पर्य यह है कि रेलों में एक उच्च श्रेणी रहनी चाहिये और दूसरी निम्न श्रेणी। तृतीय श्रेणी में अधिक सुविधायें दी जायेंगी। इससे समानता उत्पन्न होगी।

मैं भी फ्रैंक एंथनी की इस बात से भी सहमत हूं कि रेलों में ईंधन का व्यय बहुत बढ़ गया है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये। रेल कर्मचारियों के वेतन आदि में निस्संदेह कुछ असमानतायें पाई जाती हैं किन्तु उनके व्यवहार के सम्बन्ध में जो

[श्री रघुरामय्या]

विचार श्री एंथनी का है उससे कम लोग सहमत होंगे। स्थानान्तरण से असुविधायें होती ही हैं किन्तु इसमें गड़बड़ी की अधिक शिकायतें नहीं की गई हैं।

एक दूसरी बात जिसके सम्बन्ध में कुछ सदस्य शिकायत करते हैं वह यह है कि हमारी रेलों में कार्य वहन अनुपात अत्यधिक है और वह बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इंगलिस्तान में यह अनुपात ९० प्रतिशत है तथा अमरीका में ७६ प्रतिशत है। हमारे देश में जहां लगभग ३४,२७५ मील लम्बी लाइन है वहां यह अनुदान ८०.१७ है। रेलवे मंत्री भी इस बात के इच्छुक हैं कि भारतीय रेलों की कार्य-कुशलता बढ़े। आज कम मजदूरी के नारे लगाये जाते हैं किन्तु कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये उतना जोर नहीं दिया जाता। माननीय विधि मंत्री तथा रेलवे मंत्री उन सभी उपायों को कार्यान्वित करेंगे जिससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़े। यों तो उनकी कुछ न कुछ शिकायतें रहेंगी ही क्योंकि उनकी संख्या नौ लाख है। केन्द्रीय वेतन आयोग की कुछ त्रुटियों से कर्मचारियों का वेतन ठीक नहीं नियत हुआ है। उदाहरण के लिये गाड़ी निरीक्षकों, टिकट कलक्टरों को अप्रविधिक कहा गया है। गाड़ी निरीक्षक वास्तव में कारखाने के चार्जमैन के समाने ही कार्य करते हैं। इसी प्रकार गार्डों, ड्राइवरों तथा स्टेशन मास्टरों के वेतन के विषय में भी कहा गया है। माननीय मंत्री इन सब बातों पर विचार करेंगे और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे। हस्सन मंगलौर की नई लाइन बनवाने का विचार बड़ा अच्छा है इससे मंगलौर से मद्रास के फासले में दो सौ मील की कमी हो जाती है। श्री रामचन्द्र रेड्डी ने कहा है कि यह लाइन बनाना बड़ा कठिन कार्य है। प्रत्येक सदस्य अपने-अपने प्रान्त को पिछड़ा बताता है और विकास कराना चाहता है। तथा यह भी चाहता है कि और सभी प्रान्तों में कार्य को रोक कर उसके प्रान्त को ही प्राथमिकता दी जाये। मैं श्री खांडू भाई देसाई से सहमत हूं कि इन नई लाइनों के विषय में हमारी धारणा बदल जानी चाहिये। रेल राष्ट्र हित की चीज़ है, वह वाणिज्यिक संस्था मात्र है। सम्भव है हमें इन्हें वाणिज्यिक रूप में चलाना पड़े क्योंकि हम रेलवे आय-व्ययक में घाटा नहीं चाहते हैं।

आज हम चारों ओर सभी राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक में घाटे की ही बात सुनते हैं। केवल रेलवे मंत्री ही इस सम्बन्ध में बधाई के पात्र हैं कि उनके आय-व्ययक में आधिक्य है। इस राशि को नई रेलवे लाइनों के निर्माण पर व्यय किया जाना चाहिये। आज की हमारी सबसे प्रमुख आवश्यकता सामरिक आवश्यकता है। अमरीका तथा पाकिस्तान के गठबन्धन हो जाने से स्थिति और भी गम्भीर बन गई है। हमारी दूसरी आवश्यकता है पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना जैसे आन्ध्र आदि। इस सम्बन्ध में मैं रेलवे मंत्री के सम्मुख यह सुझाव रखूंगा कि वह किन लाइनों को प्राथमिकता दें; इसकी तथा सामरिक आवश्यकताओं एवं पिछड़े क्षेत्रों की जांच के लिये एक समिति की नियुक्ति कर दें।

अन्त में सदन मुझे इसके लिये क्षमा करे क्योंकि मैं भी दक्षिण का रहने वाला हूं, और यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यह बताना चाहता हूं। मैं माननीय रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह बेजवाड़ा से मद्रास तक की लाइन को दोहरी करवा दें और तम्बारम-चेंगलेपूत विद्युत रेलवे के समान ही इस पर ध्यान दें।

ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस लाइन पर भोजन की व्यवस्था बड़ी खराब है। मैं इस शिकायत

को संसद् में इसलिये रख रहा हूं कि इस पर अधिक ध्यान दिया जा सके। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भोजन का जो डब्बा इसमें लगा रहता है वह बालहरशाह में काट दिया जाता है। इसके आगे तीन-चार सौ मील तक यात्रा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार के प्रतिरोध में भी मुझे एक पत्र मिला है। इन लाइनों पर सोडावाटर आदि भी नहीं मिलता है। आशा है इन सब बातों पर ध्यान दिया जायेगा और इन चीज़ों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायेगा।

नव-निर्मित आन्ध्र राज्य के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भारत के रेलवे के मान-चित्र में इस राज्य में दो ऐसे चिह्न हैं जहां रेले नहीं हैं। हो सकता है कि बाद को ये स्थान विशाल आन्ध्र के अंग हो जायें। अतः इस पर अभी रेलवे मंत्रालय ने उचित ध्यान नहीं दिया है। आशा यह की जाती है कि आन्ध्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस के विकास की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा। यदि आंगोल से कुडड्पा तक लाइन बन जाये तो यह एक सीधी लाइन हो जायेगी और इससे उस क्षेत्र में रेल द्वारा आने जाने में बड़ी सुविधा हो जायेगी। मैं समझता हूं कि भारत के इस क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह रेलवे लाइन रायलासीमा के ज़िलों से होकर जाया करेगी, जिसमें अकाल पड़ा करते हैं। इससे देश की उन्नति तथा विकास में सहायता मिलेगी। अतः इस कार्य को तत्काल ही आरम्भ किया जाना चाहिये।

मैं माननीय रेलवे मंत्री को अपनी ये कुछ छोटी-छोटी शिकायतें सुना कर भी बधाई ही देता हूं। वास्तव में उन्होंने अभी तक जो कुछ किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। अन्य सदस्य भी उन्हें बधाई दे ही चुके हैं। अतः अगले वर्षों में वह रेलों की कार्य कुशलता में वृद्धि करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सभापति जी, रेलवे विभाग के मंत्री महोदय ने जो भाषण रेलवे बजट पर दिया है मैं उस का स्वागत करता हूं। पर इस के साथ ही साथ मैं यह ज़रूर कहूंगा कि उन्हों ने जो रिग्रुपिंग की है उस से जो कोई खास मदद मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। मैं इस पर ज्यादा न कह कर आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्लास २ श्रेणी की सर्विसेज़ को जो तरक्की सन् १९४६-४७ से मिलनी चाहिये थी वह भी नहीं मिली है। मंत्री महोदय ने अपने गत वर्ष के भाषण के सफ़ा १५ पर यह बताया था कि :

"उन में से एक दूसरी श्रेणी की सर्विस में तरक्की का अनुपात है, यानी खाली पदों में २५ प्रतिशत तरक्की, जो उन्हें मिलनी चाहिये, नहीं दी गई है। मैं ने इस का पता लगाया और यह शिकायत सही मालूम हुई। इसे दूर करने की व्यवस्था की जा रही है और यह काम जल्दी पूरा किया जायगा। मैं ने यह भी निश्चय किया है कि २५ प्रतिशत के अनुपात को बढ़ा कर ३३ १/३ प्रतिशत कर देना चाहिये जिस से ज्यादा लोगों को तरक्की मिल सके।"

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हों ने जो २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ३३ १/३ प्रतिशत कर दिया था उस पर एक साल तक कोई हुक्म जारी नहीं हुआ था। और हुक्म ताक़ पर ३१ जनवरी, १९५४ तक रक्खा रहा। वहां के कोई कागजात नहीं भेजे गये और यदि इस तरह से कार्य होगा तो जो दूसरी श्रेणी के अफसर लोग हैं उन का क्या होने वाला है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

[सरदार ए० एस० सहगल]

इस बार मंत्री महोदय नें कहा है :

"एकीकरण के बाद ६ रेलों के दूसरी श्रेणी के सभी अधिकारियों को अग्रता कुछ नियमों के आधार पर तय कर दी गई है।" इस के बारे में मैं यह कहूंगा कि जितने द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी एकीकरण के बाद आये उन की सीनियारिटी के लिये जून, १९५३ में हुक्म दे दिया गया था, पर उस पर भी क़ुछ नहीं हुआ है और अभी सिर्फ़ अधिकारियों से उचित सूचना प्राप्त की जा रही है। मेरे खयाल से यह भी ठीक नहीं हुआ। सभापति जी, मंत्री महोदय ने सफ़ा १६ पर यहां कहा है कि "इस तरह की ५९ तरक़्क़ियों में से १३ के लिये आदेश दे दिया गया है और ३८ के बारे में यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन को लिखा गया है।" द्वितीय श्रेणी के जो काम करने वाले हैं उन की कुल ५९ जगहें बढ़ाई गई हैं। मगर जो ऐडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट शाया की जाती है उस के १९४६-४७ से ले कर के १९५२-५३ तक के आंकड़े अगर आप को दूं तो उस से मालूम होगा कि :

"१९४६-४७ में उच्च श्रेणी के भर्ती किये गये पदाधिकारियों की संख्या ५३ सीधे भर्ती किये गये की संख्या ५२ तथा द्वितीय श्रेणी के पदोन्नति किये गये अधिकारियों की संख्या एक थी।" निम्न आंकड़ों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रथम श्रेणी के पदों का २० प्रतिशत अंश द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों को दे कर नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस तरह से प्रमोटेड आफिसर्स का परसेन्टेज़ २० परसेन्ट के मुकाबले में १९ आता है। इसी तरह से अगर १९४७-४८ को लीजिये तो जो आफिसर्स सुपीरियर सर्विस में रिक्रूट हुए उन का नम्बर १०४ है और जो अफसर डायरेक्ट रिक्रूट हुए उन का भी १०४ नम्बर है मगर कुछ अफसर क्लास २ से प्रोमोट हुए; कुछ भी नहीं लिये, यानी परसेन्टेज आफ प्रमोशन कुछ भी नहीं रहा। १९४८-४९ कुल आफिसर्स सुपीरियर सर्विस में ११५ रिक्रूट हुए जिन में से १०७ डाइरेक्टली रिक्रूट हुए और ८ को क्लास २ से प्रमोशन मिला। इस का परसेन्टेज आता है ७०। १९४९-५० में क़ुल अफसर रिक्रूट हुए सुपीरियर सर्विस में लिये गये ३७ जिन में से ३४ अफसर डाइरेक्टली रिक्रूट हुए और क्लास २ से ३ अफसर लिये गये। इस का परसेन्टज हुआ ८०। १९५०-५१ में ३९ अफसर रिक्रूट हुए सुपीरियर सर्विस में लिय गये जिन में से ३६ डाइरेक्टली लिये गये और ३ क्लास २ से प्रोमोट हुए। इस का परसेन्टेज ७.७ आता है। १९५१-५२ में ५३ अफसर रिक्रूट सुपीरियर सर्विस के लिये गये जिन में से ४४ डाइरेक्टली रिक्रूट हुए और ९ क्लास २ से प्रोमोट हुए। इस का परसेन्टेज १७ आता है। १९५२-५३ में ४६ अफसर रिक्रूट सुपीरियर सर्विस में रिक्रूट हुए जिन में से ४२ अफसर डाइरेक्टली आए और ३ अफसर क्लास २ से लिये गये। इस का परसेन्टेज है ८.७। मेरे कहने का मतलब यह है कि कुल ४४७ अफसर १९४६-४७ से १९५२-५३ तक लिये गये। अगर आप इन आंकड़ों से हिसाब लगायें तो आप को मालूम होगा कि उन को कुल ६.३ प्रतिशत जगह मिलीं जबकि उन को २५ प्रतिशत के हिसाब से ९८ जगह मिलनी चाहिये थीं। मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों करा? कोई खास बात है। यों तो हम कहेंगे कि आगे बहुत कछ होगा। लेकिन अगर ९८ जगह में से कुल २८ को प्रमोशन देते हैं तो आखिर जो बाकी ७० बचे और जो ५८ मंत्री जी ने बताये हैं उस से फर्क है फिर उन का क्या होने वाला ?

इसी तरह से, सभापति जी, मैं आप को कुंजरू साहब की जो रिपोर्ट है उस के बारे में बतलाना चाहता हूं । उस रिपोर्ट के पृष्ठ १६५ पर यह है :

"चूंकि ये वे पदाधिकारी हैं जिन्हों ने अधीनस्थ सेवा में स्वामिभक्ति तथा कुशलता से तृतीय श्रेणी में कार्य किया है, अतः यह आवश्यक विषय है और उन का असन्तोष दूर करने के लिये कुछ किया जाना चाहिये ।"

प्रथम श्रेणी के रिक्त स्थानों पर द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये २० प्रतिशत स्थानों को रक्षित कर लेने की वर्तमान प्रणाली लाभदायक नहीं सिद्ध हुई है, अतः हम ने इस सम्बन्ध में राय कायम की है कि द्वितीय श्रेणी (गज़टेड से नीचे) के ज्येष्ठ पदाधिकारियों की इन पदों पर नियुक्ति करने के लिये कुछ अनुपात तय कर लिया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि २५ प्रतिशत स्थान रक्षित किये जाने चाहियें । इस प्रकार द्वितीय श्रेणी के उन ज्येष्ठ पदाधिकारियों को चुनाव के द्वारा पदोन्नति के लिये उचित अवसर रहेगा जो उन के लिये योग्यता रखते होंगे । यह रक्षित की जाने वाली संख्या उचित है और सभी रेलों में लागू की जानी चाहिये । तो इस तरह से इन अफसरों को भी जो जगह मिलनी थीं वह नहीं मिलीं ।

४ बजे म० प०

सभापति जी, मंत्री महोदय ने यह कहा है कि अब दूसरी श्रेणी के केवल उन्हीं अफसरों को पहली श्रेणी में तरक्की दी जाती रही है जिन की उम्र ५० साल से अधिक न हो मगर मैं कहूंगा कि अप्रेल ५२ के पहले ५० साल की कैद उन लोगों के लिये पहले नहीं थी । उस के बाद यह कैद हुई है । मगर जो अफसर पचास साल की उम्र में आ जायेंगे उन का क्या होने वाला है ? जो छोटी उम्र के हैं, जो पचास साल से नीचे हैं उन का तो बनेगा, लेकिन जो ५० साल की उम्र में आयेंगे उन का क्या होने वाला है ?

इसी तरह से मंत्री महोदय ने कहा है कि भविष्य में दूसरी श्रेणी से पहली श्रेणी में तरक्की पाने वाले अधिकारियों की अग्रता के लिये उन की दूसरी श्रेणी की स्थायी और लगातार अस्थायी सेवा काल का आधा उस में शामिल किया गया है लेकिन यह ५ साल से अधिक न होगा ।" मैं कहता हूं कि दूसरी श्रेणी से जो पहली श्रेणी में आने वाले हैं, स्वतंत्रता प्राप्त होने के पहले इस श्रेणी के अधिकारियों को ६ से ८ वर्ष की तुलना थी मगर यह ५ वर्ष पर लादा गया है । मगर मंत्री महोदय ने जो अपने भाषण में कहा है, मैं कहता हूं कि उस का उलटा असर पड़ेगा । मान लीजिये कि जिस की नौकरी दस वर्ष से कम है, तो दूसरी श्रेणी के अफसर जो ८ वर्ष से नौकरी कर रहे हैं, उन को चार वर्ष मिलेगा, इस हुक्म से पहले उन को ५ वर्ष मिलता था ।

रेलवे बोर्ड को कुंजरू कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि प्रथम क्लास सीनियर स्केल में जब तक कि वे ९ से ११ वर्ष का तजुरबा प्राप्त न कर लें न लिये जावें ।

इस से मैं कहूंगा कि अभी भी जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं जिन को कि ९ और ११ वर्ष का तजुरबा प्राप्त नहीं है न लिये जायें । आज उन में से जो तीन तीन वर्ष के तजुरबे के हैं यह उन को भी मौका दिया जा रहा है कि वे इस पर लिए जा रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि जो यह ईमानदार अफसर हैं, जो आप का काम कर रहे हैं, यह एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ अर्थात् "बैकबोन" हैं । इन की हालत पर हमें ठंडे दिल से विचार करना चाहिये और सब की उचित मांगों को हमें बराबर देना चाहिये

[सरदार ए० एस० सहगल]

क्योंकि जो हमारा विधान है उस के १६ अ में यह लिखा है कि :

"राज्याधीन नौकरियों या पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।"

हम समझते हैं कि हमें उन अफसरों का बराबर ख्याल रखना चाहिये।

सभापति जी, तीन अफसरों की एक कमेटी जिस को कि रेलवे बोर्ड ने डिप्यूट किया था वह सन् १९४८ में यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम आदि में तजुरबा प्राप्त करने गये। उन के ख्यालात मैं आप के सामने रख देना चाहता हूं। वे कहते हैं कि संसार के अन्य देशों में, विशेष कर इंगलैंड, कनाडा, रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र मध्य अर्जेन्टीना तथा नाइजेरिया आदि में रेलवे के बड़े पदों पर नियुक्तियां सामान्यतः छोटी श्रेणियों सें पदोन्नति द्वारा की जा सकती है।

इस के लिये मैं आप को एक चार्ट दे सकता हूं जिससे उन लोगों के बारे में मालूम होगा कि जो छोटी श्रेणी से ऊंची श्रेणी में जाते हैं। यह चार्ट मेरे पास रखा हुआ है। मैं पेश करना चाहता हूं। सभापति जी, इन शब्दों के साथ मैं आप से यह कहूंगा कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं और जो कि काम कर रहे हैं उन का पूरा ख्याल किया जाय। एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के सफा ८१ पर दिया गया है कि २४३४ अदमी क्लास १ और क्लास २ में हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि लगभग उन में से १००० आदमी दूसरे वर्ग के होंगे। इस में आधे से ज्यादा अभी मुस्तकिल नहीं हैं। इन के अलावा जो थर्ड और फोर्थ क्लास के लोग हैं उन की संख्या ९,२०,१६७ है। इस में लगभग ४००० क्लास ३ में काम करने वाले हैं। इन सब की तरक्की हो सकती है न कि मुस्तकिली जैसा कि एपिलबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है :

"पहले से नियुक्त छोटी श्रेणी के अधिकारियों की योग्यता के विकास की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी यदि योग्य हों तो उन की पदोन्नति नहीं रुकनी चाहिये।"

इतना कहने के बाद मैं, सभापति जी, रेलवे मिनिस्टर साहब से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि यह जो क्लास २ तथा ३ के अफसर हैं उन के ऊपर गौर से नज़र करें।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : श्रीमान् रेलवे के कार्यवहन के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उस के लिये मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं। रेलवे के राष्ट्रीयकरण से इस विभाग की स्थिति में पूर्ण परिवर्तन आ गया है और अभी हाल में हुए पुनर्वर्गीकरण से तो पूर्ण समन्वय हो गया है। इस के कार्यकुशलता के अतिरिक्त भाड़ा किराया आदि में एकरूपता तथा अन्य कितनें ही लाभ प्राप्त होने की आशा की जा सकती है।

हमारे रेलवे के आयव्ययक का सब से उत्तम लक्षण मझे यह जान पड़ा है कि डिब्बों, इंजनों इत्यादि के बारे में आत्मनिर्भरता का प्रयत्न किया गया है।

इस के अतिरिक्त मुझे इस बात से भी संतोष हुआ है कि यात्रियों के लिये कई प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है तथा अतिरक्त गाड़ियां चालू कर के भीड़ को कम किया गया है। तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये विशेष प्रयत्न कियें गये हैं। मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब उत्तम श्रेणी

तथा निचली श्रेणी की यात्रा की परिस्थितियों में कुछ विशेष अन्तर नहीं रह जायगा ।

यह देख कर खुशी होती है कि यातायात द्वारा प्राप्त आय में जो कमी १९५२-५३ में हुई थी वह इस बार नहीं हुई । किन्तु इस विषय में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि रेलवे को देश के आर्थिक विकास कार्य में योग देना है । मुझे उस की वित्तीय स्थिति के बारे में भय है । रक्षित निधि कम होती जा रही है । इस समस्या को हल करने का कोई न कोई साधन अवश्य निकालना चाहिये । अधिक आय के लिये हमें रेलवे की परिवहन सम्बन्धी क्षमता में वृद्धि करनी होगी ।

रेलवे के पूर्वोत्तर खण्ड में यात्रा सम्बन्धी सुविधायें इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी अन्य खंडों में गाड़ियों में पानी तथा पंखों के बारे में शिकायत रहती है । विशेष कर मान्सी-सहर्सा लाइन पर यात्रा अति कठिन है और असुरक्षित भी है । गाड़ी की चाल इतनी धीमी है कि यात्री उकता जाते हैं । इस समस्या का हल लखनऊ से कटिहार तक दुहरी लाइन बनानें से हो सकता है ।

अन्त में मैं कोसी क्षेत्र की लाइनों के पुनर्निर्माण के लिए कहना चाहता हूं । यहां आज से २० वर्ष पूर्व रेलों का जाल बिछा होता था परन्तु कोसी के कोप से यहां के लोग यातायात की इन सुविधाओं से वंचित हो गए । मैं माननीय रेलवे मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में शीघ्र कार्यवाही की जाय ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : मैं केवल तीन बातों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सब से पहले मैं अवक्षयण रक्षित निधि का जिक्र करूंगा । डा० कृष्णस्वामी ने कल कहा कि अवक्षयण रक्षित निधि पर्याप्त नहीं है और रेलवे प्रशासन इस निधि के लिये आयव्ययक में उचित व्यवस्था नहीं कर रहा है । उन के विचार चाहे जो हों, मैं इतना कहूंगा कि इस निधि में १०७ करोड़ रुपये हैं जो कम नहीं होते । इस भारी राशि का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि रेलवे प्रशासन छः या सात तक इस निधि में से खर्च कर के भी अभी तक अपनें खर्च की ठीक तरह से व्यवस्था नहीं कर सका है । इस का कारण यह है कि हमें अपने माल के लिये विदेशों पर निर्भर रहना होता है । इसीलिये हमारे पास इतनी बड़ी अवक्षयण निधि होते हुए भी हम रेलवे-विभाग की पूरी तरह से पुनर्व्यवस्था नहीं कर पाये हैं । अतः मेरा यह सुझाव है कि इस निधि का भारत में ही प्रयोग किया जाय । इस सम्बन्ध में मैं एक खास सुझाव यह देना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन स्वयं एक इस्पात का कारखाना खोले । बजाय इस के कि इस राशि से १ १/२ या २ प्रतिशत ब्याज हर वर्ष मिले, हम यदि इसे एक इस्पात का कारखाना खोलने में लगा दें तो इस से हम रेलवे संबंधी बहुत सी जरूरी चीज़ों का यहीं उत्पादन कर सकते हैं और विदेशों से माल मंगवानें की कठिनाई से छुटकारा पा सकते हैं । आजकल की डांवाडोल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, यह हो सकता है कि हमें ये माल बराबर न मिलता रहे और कुछ खास चीजें तो बिल्कुल ही न मिलें । इसलिये रेलवे प्रशासन को चाहिये कि वह इस निधि को देश के हितों के लिये उचित रूप से काम में लाये ।

पिछले वर्ष, रेलवे आयव्ययक पर बहस करते हुए मैंने यह सुझाव दिया था कि भाड़े की दरों में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए । हमारे जैसे देश में जहां, अर्थ-व्यवस्था का विकास हो रहा है, भाड़े की दरें

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

देशकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही निश्चित की जानी चाहियें ।

जहां तक नई लाइन बिछाने का प्रश्न है, स्वयं माननीय मंत्री ने इस बात को माना है कि इस विषय में एक साहसपूर्ण नीति का अनुसरण किया जाना चाहिये । इन नई लाइनों में से बहुत सी लाइनों के लिये रुपया विकास निधि में से दिया जाता है, जो एक बहुत छोटी सी निधि है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री बिना इस पर ध्यान दिये कि अमुक योजना में कितना पैसा लगेगा, नई लाइनों के बिछाने का काम शुरू कर दें ताकि देश के विभिन्न भागों में यातायात सम्पर्क स्थापित हो सके ।

श्री देवेश्वर सर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) मैं आप को भारत के उस भाग की दशा के बारे में कुछ बताऊंगा जो विभाजन के बाद, परिवहन की दृष्टि से, इस देश से एकदम अलग हो गया है । इस क्षेत्र में परिवहन संबंधी विकास के लिये कुछ नहीं किया गया है जिस के कारण भारत की इस सीमा पर सुरक्षा की व्यवस्था भी ठीक नहीं है । क्या माननीय मंत्री इस प्रदेश को यों ही रहने देना चाहते हैं और भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां परिवहन का ठीक प्रबन्ध नहीं करना चाहिये । मैं यह प्रश्न उन से इसलिये पूछ रहा हूं कि जब ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने का प्रस्ताव किया गया था तो उस का यह उत्तर दिया गया था कि चूंकि वहां इतना यातायात नहीं है इसलिये इतना खर्चा नहीं किया जा सकता । क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, केवल रुपयें के लिये हिचकिचाना और योजना त्यागन उचित है ? देश की उस सीमा के परे स्थिति शान्तिपूर्ण नहीं है; वहां चाहे जब गड़बड़ हो सकती है और जब से पाकिस्तान के पास अमरीकी हथियार आ रहे हैं तो यह खतरा और भी बढ़ गया है । इसलिये इस पुल का बनाया जाना बहुत आवश्यक है । आसाम के इस ऊपरी भाग में केवल नाहोरकाटिया द्वारा ही रेल का रास्ता है; दिहंग नदी पर जो पुल था वह १९५० में भूकम्प आने से और एक वर्ष बाद बाढ़ आ जाने के कारण टूट गया था और वह सारा क्षेत्र बिल्कुल अलग हो गया था । इस के अलावा, यदि आप इस बात का पता लगायें कि आसाम में हवाई जहाजों से कितना माल पहुंचाया गया तो आप देखेंगे कि आसाम रेलवे कड़ी से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है । मैं यह नहीं कहता कि इस से कोई लाभ नहीं निकला है । यह एक बहुत बड़ा काम था; परन्तु इस रेलवे द्वारा कितना माल ले जाया गया ? हमें याद रखना चाहिये कि उस क्षेत्र में नदियों से माल लाने ले जाने का काम आर० एस० एन० और आई० जी० एन० नामक दो यूरोपीय कम्पनियों द्वारा ही किया जाता है । इन के स्टीमरों पर पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नौकर नहीं है । वहां की स्थिति ऐसी है ; इसे ध्यान में रख कर ही आपको इन सारे मामलों पर निर्णय करना चाहिये ।

मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा । डिब्रूगढ़ रेलवे वर्कशाप में कुछ मशीनें लगाई गई थीं । कुछ समय बाद, पता नहीं किस ख्याल से इन मशीनों को हटा कर गोरखपुर भेज दिया गया और जब यहां सदन में इस का कारण पूछा गया तो उत्तर मिला कि ये मशीनें गोरखपुर के लिये ही थीं और चूंकि वहां "जगह नहीं थी इसलिये इन्हें डिब्रूगढ़ भेज दिया गया था और चूंकि अब जगह हो गई है इसलिये उन्हें

गोरखपुर वर्कशाप में भेज दिया है ।' क्या कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास कर सकता है कि बम्बई या कलकत्ते से इन भारी मशीनों को डिब्रूगढ़ इसलिये भेजा गया था क्योंकि गोरखपुर में जगह नहीं थी । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह के उत्तर नहीं दिये जायेंगे ।

गत युद्ध में शिवसागर-खोवांग रेलवे पर मोरानहाट से खोवांग का टुकड़ा तोड़ दिया गया था । यदि इसे फिर बना दिया जाये तो इस से उस क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकेगा । इसी तरह यदि त्रिपुरा को भी कलकालीघाट से रेलवे लाइन द्वारा मिला दिया जाये तो बहुत अच्छा रहेगा ।

गारो पहाड़ियों में जो परिमाप-कार्य किया जाने वाला है उस के लिये हम आभारी हैं । परन्तु जब तक इस बात की जांच न की जाये कि यहां कितना कोयला मिलने की आशा है तब तक यहां के यातायात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । इसलिये पहले कोयले के बारे में जांच-पड़ताल होनी चाहिये ।

हमारे यहां चटक में एक सीमेंट का कारखाना था जो अब पाकिस्तान में चला गया है । हम उन्हें सीमेंट बनाने का पत्थर भेजते हैं परन्तु इस के बदले में वे हमें सीमेंट नहीं देते । हमें सीमेंट बहुत महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है । हम गारो पहाड़ियों में सीमेंट का कारखाना क्यों न खोल दें और चटक के कारखाने को पत्थर देना बन्द क्यों न कर दें । आसाम में परिवहन की सुविधाओं के न होने से वहां की जनता को हरेक चीज़ बहुत महंगे दामों पर ख़रीदनी पड़ती है ।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने रेलों पर दी जाने वाली सुविधाओं आदि के बारे में एक जांच समिति नियुक्त की है । उस ओर के रेल कर्मचारियों में अनुशासन की कोई भावना नहीं है और न ही स्टेशनों पर कोई ठीक प्रकार की व्यवस्था है जिस से सफ़र करने वालों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ।

अन्त में मैं, आसाम के रहने वाले लोगों को रेलवे विभाग की नौकरी न दिये जाने के बारे में कहूंगा । बड़े बड़े पद तो दूर रहे, आसाम-वासियों को चौथी श्रेणी की नौकरियां भी नहीं दी जातीं । यदि आप चितरंजन में देखें तो आप को पता लगेगा कि वहां आसाम का एक भी आदमी नौकर नहीं है । डिब्रूगढ़ में एक ट्रेड एप्रेन्टिसशिप की क्लास चल रही थी, वह भी बन्द कर दी गई है । सरकार ने इस का कोई ठीक सा कारण नहीं बताया है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन सब बातों पर उचित रूप से ध्यान देंगे ।

श्री पी० सुब्ब रावा (नौरंगपुर) मैं यह चाहता हूं कि देश के ऐसे भागों में जहां पिछड़े हुए लोग रहते हों और जहां यातायात के कोई उचित साधनों का विकास नहीं किया गया हो, वहां रेलें बनाई जानी चाहियें । राजस्थान, उड़ीसा और मध्य भारत में ऐसे कई इलाक़े हैं जहां रेलों की बहुत ज़रूरत है । बहुत से स्थानों में रेल बनाने के लिये परिमाप-कार्य किया गया था, परन्तु अब वे योजनायें ख़त्म कर दी गई हैं और नये स्थानों को चुना जा रहा है । मैं नहीं समझता कि इस के क्या कारण हैं । वर्ष १९४६ से पहले शेरकेला से तालचेर तक और सम्बलपुर से जितलागढ़ तक रेल बनाने के लिये परिमाप किया गया था । परन्तु अभी तक वहां कोई रेल नहीं बनाई गई है । इसी तरह और कई जगह हुआ है । मैं चाहता हूं कि सरकार उचित प्रकार से जांच कर के इन पिछड़े हुए राज्यों में रेलवे लाइनें खोलने की व्यवस्था करे ।

[श्री पी० सुब्बा राव]

जैसा सब जानते हैं, पैसेन्जर गाड़ियों और एक्सप्रेस गाड़ियों के किरायों में अन्तर है परन्तु इस से केवल जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है । पैसेन्जर और एक्सप्रेस गाड़ियों की गति में बहुत कम—बल्कि कहीं कहीं तो कोई अन्तर नहीं है । अजमेर-खंडवा सेक्शन में एक्सप्रेस और पैसेन्जर गाड़ियों में कोई अन्तर नहीं है । एक्सप्रेस २१ घंटे ४८ मिनट लेती है और पैसेन्जर २२ घंटे ९ मिनट । इस पर भी एक्सप्रेस के लिये ज्यादा किराया लिया जाता है । इसी तरह बड़ी लाइन और छोटी लाइन की गड़ियों में एक ही दर से किराया लिया जाता है, हालांकि छोटी लाइन में खर्चा कम पड़ता है और सुविधायें भी कम दी जाती हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे ।

रेलों पर माल की चोरियां भी बढ़ती जा रही हैं । कहीं पारसल ग़ायब कर दिये जाते हैं और कहीं उन की चीज़ें निकाल कर पत्थर भर दिये जाते हैं । अक्सर रेल कर्मचारी स्वय ये हरकतें करते हैं जिन से रेलवेज़ को नुक्सान भुगतना पड़ता है ।

यद्यपि रेलवे सेवा आयोग के पास विज्ञापित पदोंके लिये बहुत से प्रार्थना-पत्र आते हैं परन्तु उन की ठीक तरह से जांच नहीं की जाती । मेरी राय यह है कि हरेक खंड के लिये अलग अलग सेवा आयोग हों ।

मैं समझता हूं कि खाने के डिब्बों (डाइनिंग कार) से कोई विशेष सुविधायें नहीं मिलतीं । जहां तक उच्च श्रेणी के यात्रियों का सबंध है, यह मान लिया गया है कि खाने के डिब्बे नुक्सान पर चलते हैं । जो रुपया वे कमाते हैं वह अधिकतर तीसरी श्रणी के यात्रियों से मिलता है । परन्तु फिर भी वे नुकसान पर चलते है जब प्लेटफ़ार्मों पर होटल है और खाने पीने की व्यवस्था होती है तो इन डिब्बों के चलाने से कोई लाभ नहीं है । पुरी और राची में दो होटल हैं जो पश्चिमी ढग पर चलाये जाते हैं । इसे अग्रेज़ों ने बनवाया था और अब वहां कोई नहीं जाता । ये होटल शहर में हैं प्लेटफ़ार्म पर नहीं । मुझे अच्छी तरह पता है कि ये नुक्सान पर चल रहे हैं । इन्हें जितनी जल्दी बन्द कर दिया जाये उतना ही अच्छा है ।

यद्यपि गाड़ी छूटने के स्टेशनों पर सीटें रिज़र्व कर दी जाती हैं परन्तु रास्ते में जो भीड़ आती है उस के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है । फिर यह जानते हुए भी कि गाड़ियां भरी हुई आ रही हैं बीच के स्टेशनों पर टिकट जारी कर दिये जाते हैं जिस से यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है । टिकट उसी हिसाब से मिलने चाहियें जितनी गाड़ी में जगह हो ।

चलती गाड़ी में भिखारियों और सौदा बेचने वालों का आना-जाना उसी तरह चल रहा है । इस का एक इलाज यही है कि दो स्टेशनों के बीच में गाड़ी रोक दी जाये और उन्हें उतार दिया जाये । बिना टिकट सफ़र करने पर भी किसी तरीके से रोक लगाई जानी चाहिये । टी० टी० ई० और मुसाफ़िर एक दूसरे से मिले होते हैं जिस के कारण यह चीज़ चली आ रही है । गाड़ियों में बीड़ी सिगरेट पीने की बिल्कुल मनाही होनी चाहिये । थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़े स्टेशन आते ही हैं और जो लोग सिगरेट पीना चाहें वे उतर कर पी सकते हैं । कभी कभी सिगरेट आदि से डिब्बों में आग लग जाती है; इसलिये जब तक गाड़ी में आप इस का पीना बिल्कुल बन्द न कर देंगे तब तक इस का इलाज नहीं हो सकता ।

श्री राधलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय, मुझे आप ने बोलने का समय दिया इस के लिए मैं धन्यवाद देता हूं ।

इस वर्ष के बजट में जो बहुत सी विशषताय हैं उन के लिये मैं माननीय मंत्री जी को

बधाई देता हूं। सब से बड़ी बात जो उन्हों ने की है वह यह है कि उन्हों ने रेलवे विभाग में हिन्दी को स्थान दिया है। ज्यादा अच्छा होता यदि वह सरकारी कर्मचारियों को यह हिदायत देते कि वह कुछ समय के अन्दर हिन्दी सीख लें और हर १५ दिन बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहा करें। अगर ऐसा हो तो हिन्दी बहुत जल्दी फैल जायगी।

दूसरा अच्छा काम जो उन्हों ने किया है वह यह है कि रेलवे के काम के लिए खादी लेने का निश्चय किया है। इस के साथ ही यदि वे उन लोगों को जो कि रेलवे से सम्बन्धित हैं, जैसे कि ठेकेदार आदि, यह आदेश देते कि वे भी खादी या हैंडलूम के कपड़े का प्रयोग करें तो मेरा ख्याल है कि इस से हमारे देश में बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता और रेलवे में भी खादी का अधिक प्रचार होता।

निर्माण कार्य में भी बहुत प्रगति हुई है। काफी खरीद हो रही है। बहुत से इंजिन भी आ रहे हैं और चित्तरंजन में दो दो तीन तीन शिफ्ट काम कर के २०० इंजिन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस से ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है।

यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी काफ़ी प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन कई माननीय सदस्यों ने बतलाया है कि अभी तीसरे दरजे के यात्रियों की सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, श्री राघवाचारी ने कहा, दक्षिण में बड़ा अच्छा भोजन मिलता है। मैं भी गत वर्ष उधर गया था। मैं भी कह सकता हूं कि अच्छा ही नहीं बल्कि दस आने में भर पेट भोजन मिलता है। लेकिन उधर उत्तर में सवा रुपये में भी एसा भोजन नहीं मिलता। ज्यादा अच्छा होता यदि हम इस काम को आल इंडिया विमैन्स फूड कांउंसिल के सुपुर्द कर देते। मैं समझता हूं कि वे ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगी।

दूसरी बात जो मुझे आप की सेवा में निवेदन करनी है वह यह है कि किसी स्थान पर सुविधायें हैं और किसी स्थान पर नहीं हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि योजनाबद्ध काम नहीं हो रहा है। आप को यह विदित है कि दक्षिण में यात्रियों को सुख सुविधायें देने के लिये रमन कमेटी बनी थी और इसी तरह से आसाम में भी एक कमेटी बनी थी। ज्यादा अच्छा होता अगर सभी ज़ोनों के लिए इस तरह की कमेटियां बनायी जातीं और वह देखें कि कहां कहां क्या क्या सयलियत हैं और कहां कहां किस की ज़रूरत है और वह कमेटी एक योजना बना कर और प्रायरिटी दे कर फिर उस काम को करे तो ज्यादा अच्छा होगा और पैसा भी फिजूल खर्च नहीं होगा और लोगों को शिकायत का मौका नहीं रहेगा। आज बहुत से लोगों को शिकायतें हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बतलाता हूं कि खाचरौट के स्टेशन पर जहां कि बहुत यात्री होते हैं वहां पानी की सुविधा नहीं है और मद पुर आदि बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहां यात्री कम हैं लेकिन वहां पानी मिलता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वे दूर होनी चाहिय और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि योजनाबद्ध काम न हो। यह कहा जाता है कि हम ने एडवाइजरी कमेटीज़ नियुक्त कर दी हैं लेकिन सारी चीजें उन के सामने नहीं आती हैं। इसलिए जैसा कि दक्षिण में और आसाम में किया गया है वैसी ही कमेटियां और ज़ोनों के लिए भी मुकर्रर की जानी चाहियें। दूसरे भोपाल और उज्जैन के बीच और उज्जैन और नागदा के बीच थोड़े साल हुए दो तीन गाड़ियां चल रही हैं, पर इन सब गाड़ियों में से एक्सप्रेस ट्रेन कोई

[श्री राधेलाल व्यास]

भी नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तीन गाड़ियां जो हैं, इन में से एक एक्सप्रैस ट्रेन कर दें तो इस में कोई पैसा तो लगने वाला नहीं है, पर इस तरह एक एक्सप्रैस ट्रेन हो जाने से वहां यात्रियों को बहुत सुविधा हो जायगी।

इस के अलावा मैं निवेदन करूंगा कि मध्य भारत में पहले सिन्धिया स्टेट रेलवे थी। अब की बार खुशी की बात है कि माननीय मंत्री महोदय वहां पधारे और उन्हों ने वहां की स्थिति देख ली। सिन्धिया स्टेट रेलवे जब थी तो उस के केन्द्र द्वारा लिए जाने पर उस रेलवे से दो तीन करोड़ रुपया नकद भी केन्द्र को मिला। लेकिन केन्द्र में आने के बाद उस की हालत बहुत खराब हो गयी है। यहां ग्वालियर से शिवपुरी तक जाने में छः घंटे लगते हैं जब कि बस से दो घंटे में ही पहुंचा जा सकता है। किराया भी यहां पर ५ पाई के बजाय साढ़े सात पाई प्रति मील के हिसाब से लिया जाता है। इस रेलवे की हालत जो इतनी खराब है, इस की ओर आप को ध्यान देना चाहिये, विशेष कर इस परिस्थिति में कि मध्य भारत से आप को इस रेलवे से पैसा भी नगद मिला है। मैं चाहता हूं कि इस नैरो गेज को मीटर गज कर दिया जाय। यह नैरो गेज नक्शे में आप देखें तो वहां तो यह दिखाई देती है, लेकिन इस से जनता को कोई लाभ नहीं है और न सरकार को ही इस से लाभ होता है। यहां पहले मध्य भारत गवर्नमेंट को इस से लाभ था वहां अब सैंट्रल गवर्नमेंट को इस लाइन से प्रति वर्ष आठ दस लाख रुपये का नुक़सान होता है और इस लाइन से लोगों को भी तकलीफ है। मेरा सुझाव है कि यहां मीटर गेज़ लाइन ही जाय। वह ग्वालियर से भिंड हो कर जाय और इटावा को कनैक्ट कर दिया जाय। इस के बाद ग्वालियर से शिवपुरी तक मीटर गेज होकर लाइन निकले। फिर शिवपुरी से गुना होकर आगरे होती हुई वह लाइन उज्जैन में मिल जाय। इस तरह से दक्षिण से उत्तर को एक मीटर गेज लाइन से मिलना चाहिए। यह देश के लिए बहुत जरूरी है कि मीटर गेज से उत्तर से दक्षिण तक सम्बन्ध हो जाय। पहले यह योजना रेलवे बोर्ड के सामने भी थी। यह स्ट्रैटजिक प्वाईंट आफ व्यू से भी जरूरी है कि हमारे दक्षिण का उत्तर से मीटर गेज से सम्बन्ध हो। मैं समझता हूं कि रेलवे बोर्ड इस ओर ध्यान देगा।

चेयरमैन महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि मध्य भारत ही एक ऐसी स्टेट है कि जहां से मुझे अकेले ही बोलने का चान्स मिला है और वह भी तीन दिन तक यहां लगातार बैठे रहने के बाद। शेष और राज्यों से पांच पांच और छः छः सदस्य भी बोल सके हैं। इसलिये आप की इजाज़त हो तो मैं थोड़ा और बोल लूं।

मिस्टर चेयरमैन : आप बोलिये।

श्री राधेलाल व्यास : मैं एक बात आप से यह निवेदन करता हूं कि नयी गाड़ियों के लिये मन्त्री जी ने बतलाया कि पैसा कम है, आमदनी अधिक नहीं है और आमदनी बढ़ाने का कोई अभी स्थान दिखता नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि आमदनी जो बहुत ज्यादा हो गयी है उस में से कुछ अंश निकल जाता है मेरा यह अनुभव है और उस के आधार पर मैं कह सकता हूं कि बहुत से टिकट कलैक्टर इस रेलवे की आमदनी में से बहुत सा रुपया अपनी जेबों में रख लेते हैं। मैं ने खुद देखा है कि यह टिकट कलैक्टर अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों को बग़ैर टिकट ट्रैवल कराते हैं।

अगर इस सम्बन्ध में सख्ती से अमल किया जाय और ये सब लोग टिकट लें तो लाखों रुपये की आमदनी हो सकती है ।

इस के अलावा तीन चार करोड़ रुपया हमें जो माल चोरी में चला जाता है उस के नुक़सान का देना पड़ता है । चोरी कौन करता है ? श्रीमान् चोरी यही रेलवे वाले करते हैं और यह सारा पैसा पब्लिक का और टैक्स पयर का जाता है । इस के लिये आप ने जो एन्टी करप्शन स्टाफ या सिक्योरिटी स्टाफ़ रखा है, उस से कोई लाभ नहीं होने वाला है, यह चोरी उस से बन्द होन वाली नहीं है, क्योंकि वह सब रेलवे बोर्ड के मातहत ही हैं । इन का अलग डाइरैक्ट किसी और से सम्बन्ध होना चाहिये और इन को रेलवे बोर्ड के मातहत नहीं होना चाहिये, क्योंकि रेलवे से मिलने वाले ही चोरी करते हैं, बग़ैर उन की मदद के चोरी नहीं हो सकती है । रेलवे यार्ड में कोई दूसरा आदमी जा कर कैसे चोरी कर सकता है, यह ग़ैर मुमकिन बात है कि कोई चोरी कर सके । मैं ने कई रेलवे वालों से बातें की हैं और उन्हों ने माना है कि यह चोरियां रेलवे वालों से ही होती हैं और इन के लिये वही जिम्मेदार हैं ।

अब अन्त में मुझे सिर्फ़ एक बात यह निवेदन करनी है कि इन्दौर उज्जैन ब्राड गेज़ लाइन की ओर कोई क़दम अभी तक नहीं उठाया गया है । आप को मालूम है कि चंडीगढ़ नयी राजधानी अभी बनी है और उस के लिये फौरन् हुक्म होगया कि उस को मिला दिया जाय लेकिन हम पार्ट बी स्टेट के हैं । हमारे वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होते हुए भी यह लाइन नहीं बन सकी, अभी केवल वहां सरवे ही हो रहा है । सरवे भी वहां तीन तीन जगह का हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि उज्जेन का महत्व विशेष है । ब्राड गेज़ वहां है, मीटर गेज़ वहां है और नरो गेज़ भी है । तो उज्जैन को छोड़ कर तराना और मक्सी को नया जंक्शन आप बनायगें तो इस से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इस में ज्यादा खर्च होगा । ब्राड गेज़ के लिये इस तरह तीन तीन जगहों का सरवे करा कर बहुत रुपया खर्च किया गया है । अगर मक्सी या तराना को चुना गया तो इस से तीस मील की और ज्यादा डिस्टैंस बढ़ जायगी और सफर भी बढ़ जायगा । इसलिये उज्जैन से ही वह ब्राडगेज लाइन हो यह मेरा निवेदन है । इस के लिये ख़ास तौर से उज्जैन के लोगों की और इन्दौर के लोगों का भी आग्रह है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस के लिये मंजूरी देने की कृपा करेंगे ।

767 P S D

बातें तो मुझे और भी रखनी थीं, लेकिन मैं अब जो थोड़ा समय मिला उसी में मैं यह अपनी बात रख कर आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री नवेटिया (ज़िला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी –पूर्व) : माननीय रेलवे मंत्री ने जो बजट पेश किया है उस के लिये वह बधाई के पात्र हैं । उन्हों ने अपने बजट में साधारण व्यक्तियों का भलीभांति ख्याल रखा है । वर्तमान परिस्थितियों में इस से अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था ।

युद्ध के पश्चात् हमें जो इंजन और डब्बे मिले थे उनसे हमारा काम अधिक दिनों तक नहीं चल सकता था । इंजन और डब्बे काफ़ी पुराने थे । फिर भी, इस ओर जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक है । १–४–१९५१ को पुराने इंजनों की प्रतिशतता ३१ प्रतिशत थी और यदि इस सम्बन्ध में कुछ न किया गया होता तो पंच वर्षीय योजना के अन्त में पुराने इंजनों की प्रतिशतता ४४ प्रतिशत हो जाती । लेकिन आयात तथा देशीय उत्पादन के कारण पंच वर्षीय योजना के अन्त में यह प्रतिशतता

[श्री नवेटिया]

घट कर २४ प्रतिशत रह जायेगी। देशीय इंजन बनाने के सम्बन्ध में प्रगति हुई है, फिर भी, मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में और प्रयास किया जाये। यदि इस ओर प्रयत्न किया गया तो हम न केवल इंजनों के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हो जायेंगे बल्कि बेरोजगारी को भी कम कर सकेंगे।

मालगाड़ी के डब्बों के सम्बन्ध में स्थिति अधिक संतोषजनक है। पहले पुराने डब्बों की प्रतिशता २४ प्रतिशत थी मगर अब पंचवर्षीय योजना के अन्त में इतने अधिक डब्बे हो जायेंगे कि यह प्रतिशता घट कर केवल ७ प्रतिशत रह जायेगी।

पैरेम्बूर में इन्टेग्रल कोच फैक्टरी के स्थापित हो जाने से हम सवारी गाड़ी के डब्बों के सम्बन्ध में भी आत्म-निर्भर होने की आशा रखते हैं।

सभापति महोदय: क्योंकि अब हमें दूसरा कार्य हाथ में लेना है, इसलिये, मेरे विचार में यदि आप अपना भाषण कल तक के लिये उठा रख तो अच्छा होगा।

औद्योगिक वित निगम जांच कमेटी की रिपोर्ट

सभापति महोदय: अब हम डा० लंका सुन्दरम् द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को लेते हैं जिस में औद्योगिक वित्त निगम जांच कमेटी की रिपोर्ट पर बहस की जायेगी।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): मैं औद्योगिक वित्त निगम जांच कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में चर्चा इसलिये उठाना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह मेरा परम कर्तव्य है। जनता के हित म मेरे लिये ऐसा करना आवश्यक है। मैं अपने भाषण के दौरान में यह बतलाऊंगा कि औद्योगिक वित्त निगम किस प्रकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। किस प्रकार न केवल इस निगम के कार्यकर्ताओं बल्कि उन से सम्बन्ध रखने वाले व्यापारियों को बचाने की कोशिश की गई है। किस प्रकार पिछले पांच या छः वर्षों से कुछ व्यापारियों ने आपस में मिल कर इस निगम से लाभ उठाया है। अन्त में, मैं यह भी बतलाऊंगा कि किस प्रकार भारत सरकार के अधिकारियों ने व्यापारियों से सांठ गांठ कर के एक अपनी दुनिया अलग ही बना रखी है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब इस निगम को नियमितरूप से उचित दिशाओं की ओर ले जाने के लिये एक संशोधन विधेयक की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस के पहिले कि मैं ऊपर कही गई बातों के विस्तार में जाऊं मैं प्रभारी मंत्री से केवल कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। सुचेता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट पर १ मई १९५३ तारीख पड़ी हुई है। भारत सरकार का संकल्प कब प्रकाशित किया गया? देखने से पता लगता है कि वह ३ दिसम्बर, १९५३ को प्राकाशित किया गया था। इस का अभिप्राय यह हुआ कि सरकार को एक जांच कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में निश्चय करने में सात महीने लग गये जब कि स्वयं कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पांच ही महीनों में दे दी थी। मैं पूछता हूं कि इस संकल्प का ही क्या लाभ हुआ जब कि उस में सोदपुर ग्लास कम्पनी के मामले में कुछ नहीं कहा गयाजो कि इस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण भाग था। मेरे विचार में यदि कमेटी को थोड़ा समय और दिया गया होता तो वह इन मामलों की तह तक पहुंच जाती।

आप देखेंगे कि जब से यह निगम स्थापित किया गया है तब से ही इस के कार्याकर्ताओं के कारनामों को छपाने की कोशिश की गई है। उन के बारे में सफाई देने का प्रयत्न किया गया है। २७ नवम्बर १९५२ तथा २ दिसम्बर १९५२ को स्वयं प्रधान मंत्री ने सदन में जिस भाषा का प्रयोग किया था उस से पता चलता है कि इन कार्यकर्ताओं के ऊपर कितना बड़ा हाथ है। उन्हें हर प्रकार से बचाने की कोशिश कीं जाती है। यदि उन्ह शुरू से ही बचाने की कोशिश न की गई होती तो आज इस प्रकार की चर्चा करने का अवसर ही उत्पन्न न होता। लेकिन अब तो सारी बात इस सदन और देश के सामने आ ही गई है।

मैं प्रभारी मंत्री श्री गुहा से पूछना चाहता हूं कि जब से उन्हों ने कार्यभार संभाला है तब से वह इस निगम की बुराइयों को कहां तक दूर कर सके हैं ? उन्हों ने ऐसा करने का सदन को आश्वासन दिया था। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि उन्हों ने सुचेता कमेटी की सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया है ? मैं पूछता हूं कि ३ दिसम्बर, १९५३ को जो सरकारी संकल्प जारी किया गया था उस में मेरे माननीय मित्र श्री ए० सी० गुहा का कितना हाथ था ?

सुचेता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ३१ दिसम्बर १९५२ तक १५,२२,७०,००० रुपया निगम द्वारा उधार दिया गया और इस में से ८,५६,१७,००० रुपया निगम के छः सदस्यों को मिला। इस प्रकार देखा जाये तो डाइरेक्टरों ने ही मिल कर लगभग आधा रुपया उधार ले लिया। परन्तु इस सम्बन्ध में डाइरेक्टरों के बोर्ड की तो धृष्ठता देखिये यदि के कहते हैं कि सुचेता कमेटी की सिफारिशों के अनुसार यह मान लिया जाता है कि यदि निगम के डाइरेक्टरों में से कोई किसी कम्पनी का डाइरेक्टर, साझीदार या शेयरहोल्डर हो तो उस कम्पनी को कर्जा नहीं दिया जाना चाहिये, तो आप को इस निगम के बोर्ड पर काम करने के लिये ऐसे व्यक्ति नहीं मिल सकेंगे जिन्हें कारबार का पर्याप्त अनुभव हो।

मैं पूछना चाहता हूं कि यह डाइरेक्टर कौन सी ऐसी सेवा करते हैं जिन के लिये और दूसरे व्यक्ति प्राप्त नहीं हो सकते हैं ? यदि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालें तो मैं उन का आभारी होऊंगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। श्री वी० आर० सोनालकर कार्यपालिका-कमेटी के अध्यक्ष थे और उन का नाम डाइ-रेक्टरों की सूची में भी था। उसी तरह श्री एल० श्रीराम डाइरेक्टरों के बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा कार्यपालिका कमेटी म उन का नाम था। इस प्रकार यह दोनों व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर काम कर लेते थ। इस प्रकार का द्वैध नियंत्रण एक असाधारण सी बात है और ऐसी व्यवस्था मैं ने किसी अन्य कम्पनी के प्रबन्ध के बारे म नहीं देखी है।

औद्योगिक वित्त निगम जांच कमेटी की रिपोर्ट में कुछ समवायों के सम्बंध में जो निष्कर्ष दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं। जो इंजीनियरिंग वर्क्स मिलिमिटेड के सम्बन्ध में कहा है कि इसे ३६ लाख का ऋण दिया गया है। समवाय की पूंजी बहुत कम है और स्वतन्त्र मूल्यांकन नहीं हैं। बंगाल पाटरीज़ लिमिटेड के सम्बन्ध में कहा गया है कि समवाय के बोर्ड में निगम का कोई प्रतिनिधि नहीं है और इस निगम के लेखों में गड़बड़ की गई है। इसी प्रकार उड़ीसा टक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में कहा गया है कि भारत सरकार के उद्योग तथा संभरण मंत्रालय ने उसे ऋण

[डा० लंकासुन्दरम्]

देनें का समर्थन किया था यद्यपि उन्होंने यह भी कह दिया था कि मिल की आर्थिक पूंजी लागत के कारण पहिले तीन से पांच वर्षों तक उसमें पर्याप्त काम नहीं होगा। इस मिल के प्रबंधक अभिकर्ताओं के हिस्सेदार कौन हैं? एक ला० श्रीराम के भाई के जमाता हैं दूसरे का उस समय के मंत्रियों में से एक के साथ सम्बन्ध था।

सरकार ने अपने संकल्प में एक असाधारण वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि वे समिति के इस मत से सहमत हैं कि निगम के विरुद्ध पक्षपात और कुनबापरबरी के आरोप सिद्ध नहीं हो सके। मेरा श्री गुहा से यह अनुरोध है कि वे एक भी एसा वक्तव्य बता दें जिसमें जांच समिति की आपत्तियों का यह निष्कर्ष निकाला गया हो। वरन समिति ने तो प्रतिवेदन में एक स्थान पर यह बताया है कि निगम की कार्यपालिका ने ऋण के प्रार्थी की आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है। एक और स्थान पर कहा है कि इम्पीरियल बैंक के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को सोदपुर ग्लास वर्क्स का महाप्रबन्धक बनाने का सुझाव किया गया था। इसी प्रकार का एक यह मत समिति द्वारा प्रकट किया गया है कि ला० गुरचरण लाल के पास ला० श्री राम द्वारा श्री भगत की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं था और न ही श्री भगत का उस प्रबन्धक अभिकरण में पद स्वीकार करना; जबकि केवल कुछ मास पूर्व ही उसने निगम की ओर से एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ की हैसियत से भुरकुंडा ग्लास वर्क्स की जांच की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सोदपुर ग्लास वर्क्स के सम्बन्ध में मनेजिंग डाइरेक्टर ने दूसरे ऋण की मंजूरी में अपन प्राधिकार द्वारा ऐसी शर्त बढ़ा दी हैं जो बहुत सख्त हैं।

इस प्रकार तो प्रशासन चल रहा है और सरकार का कथन है कि वह इस बात से सहमत है कि भ्रष्टाचार तथा पक्षपात नहीं है।

मैं कुछ बातें लोक हित के लिए पूछना चाहता हूं। मैनजिंग डाइरेक्टर ने औद्योगिक वित्त निगम के कर्मचारियों में से कितने अपने लोगों को बोर्ड को बताये बिना पेशगी तरक्कियां दी हैं? क्या उन्होंने श्री पाई और श्री कारनिक को अपने पुराने बैंक से लाया है, और श्री कारनिक को श्री पाई से अधिक वेतन पर रक्खा है। क्या श्री त्रेसी के स्थान पर श्री जोशी को नियुक्त किया गया था और फिर उसे कार्यकुशलता हीन कह कर निकाल दिया गया था? क्या यह भी सच है कि इसके पश्चात् श्री जोशी को एक कम पूंजी के साथ के लिए तीन लाख रुपये का ऋण दिया गया था? क्या औद्योगिक वित्त निगम के दो डाइरेक्टरों ने इस ऋण पर आपत्ति की थी और अन्त में इनमें से एक डाइरेक्टर, श्री कैप्टन की अनुपस्थिति का लाभ उठा कर ऋण की मंजूरी दी गई थी? क्या यह सच है कि जब इस ऋण पर आपत्ति उठाई गई थी तो कार्यपालिका समिति ने लाला श्रीराम की अध्यक्षता में मैनेजिंग डाइरेक्टर को कार खरीदने के लिए २०,००० रुपये की मंजूरी दी थी, और इसके पश्चात मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने आक्षेप वापस ले लिए थे? सरकार ने, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय किये बगैर जिसके सम्बन्ध में सुचेता समिति के प्रतिवेदन में बहुत कुछ कहा गया ह, संकल्प प्रकाशित करने में इतनी शीघ्रता क्यों की है?

आरम्भ में श्री अम्बेगोकर भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव थे। तत्पश्चात् वे डाइरेक्टर बन गये। यह वही व्यक्ति हैं

जिनकी यह सारी आलोचना की गई थी जो कि प्रतिवेदन में दी गई है। अकस्मात वे भारत सरकार के सचिव बन गये और ३ दिसम्बर, १९५३ को उन्होंने सरकार के इस संकल्प पर हस्ताक्षर किये। मैं पूछता हूं कि क्या यह प्रशासन है ? इस के आधार पर मैं सरकार पर पक्षपात का गम्भीर आरोप लगाता हूं।

मेरा यह सुझाव है कि मैनेजिंग डाइरेक्टर के साथ ही वेतन पर एक प्रधान रखा जाय जिसका अपना कोई हित सन्निहित न हो तभी यह निगम प्रगति कर सकता है।

इसके पश्चात् मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। प्रतिवेदन में लिखा है कि सोदपुर ग्लास वर्क्स को २,०००, ३,०००, ६,००० और ५,००० रुपये की छोटी छोटी राशियों में ऋण दिये गये हैं। इस प्रकार संस्थाओं को नष्ट किया जाता है। आवश्यकता है कि एक संशोधक विधेयक प्रस्तुत किया जाय जिससे निगम की त्रुटियां दूर हो जायें और भविष्य में जनता के धन को निजी लाभ के लिए नष्ट न किया जाय।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमती सुचेता कृपलानी के विरुद्ध मुझे केवल यही शिकायत है कि उन्होंने औद्योगिक वित्त निगम की कृतियों और त्रुटियों के साथ बहुत नम्र व्यवहार किया है। परन्तु मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि सरकार यह कहती है कि पक्षपात इत्यादि जिन आरोपों का संसद् में वर्णन किया गया था वे सिद्ध नहीं हुए। या तो संकल्प तैयार करने वाले व्यक्ति ने प्रतिवेदन को पढ़ा नहीं या जान बूझ कर इसका गलत अर्थ निकाला गया है।

यह एक गम्भीर विषय है और इस बारे में संसदीय पड़ताल न होने देने का प्रयत्न किया गया है। ३१ दिसम्बर को समिति नियुक्त करने के पश्चात् उसे थोड़ा ही समय दिया गया था। समिति ने बहुत शीघ्रता और निष्ठा से कार्य किया और ७ मई को प्रतिवेदन दे दिया। परन्तु सरकार ने इसे जानबूझ कर २३ दिसम्बर तक प्रतिवेदन को रखे रखा। मेरा आरोप यही है कि नौकरशाही संसद् के प्रभावी नियंत्रण में बाधा डाल रही है। यह उपयुक्त नहीं है। सरकार को अपना संकल्प पहले प्रस्तुत करना चाहिये था। मेरा सुझाव है कि सरकार को समिति की कार्यवाही को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। ऐसी कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई ? प्रशासन कार्य की वास्तविक त्रुटि यही है कि अधिकार और कार्य भार एक व्यक्ति के हाथ में हैं। मैं डा० लंका सुन्दरम के सुझाव का समर्थन करता हूं कि निगम के प्रबन्ध संचालक को हटा देने में ही निगम का भला है। समिति ने यह भी बताया है कि असंतोषजनक और कार्यकौशल-हीन प्रशासन का यही कारण है कि अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में दे दिये गये हैं। समिति के इस कथन में भी एक प्रकार का निन्दा प्रस्ताव ही है कि यद्यपि ऋण केवल पूंजीपतियों के एक वर्ग को नहीं दिये जाते परन्तु यह तथ्य है कि अधिक ऋण के लिए प्रार्थनापत्र बड़े बड़े व्यापारियों की ओर से आये हैं। आपने इस शिकायत को दूर करने के लिए क्या किया है ?

समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि पूरे समय के लिए वेतन पर एक प्रधान रखा जाना चाहिये। इतने अधिक अधिकार एक व्यक्ति के हाथ म दे देने से वह अपन आपको स्वामी और अधिनायक समझने लगता है। सरकार का यह उत्तर होगा कि वह यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से इस बात से सहमत है कि पूरे समय के लिए वेतन पर एक प्रधान रखा जाए परन्तु इसके लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। मैं

[श्री एन० सी० चटर्जी]

पूछता हूं कि वे ऐसे संशोधन का विधेयक क्यों प्रस्तुत नहीं करते ? समिति ने प्रतिवेदन में कहा है कि आस्तियों का मूल्यांकन और उसमें छत का निर्णय वस्तुतः प्रबन्ध संचालक की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है । यह निरंकुश स्वेच्छा समाप्त होनी चाहिये । न्याय का यह प्रमुख सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति को एसा पद नहीं मिलना चाहिये जहां उसके हितों और कर्तव्यों में संघर्ष हो । इसीलिए समिति ने कहा है कि कार्यपालिका में उस समवाय का संचालक नहीं होना चाहिये, जिसने ऋण के लिए प्रार्थनापत्र दिया हो । सरकार कहती है कि यह अव्यवहारिक सुझाव है । परन्तु मैं नहीं समझता कि भारत में लोक हित की भावना वाले व्यापारी नहीं है । मुझे आशा है कि इस सुझाव को कार्यान्वित किया जायेगा अन्यथा भले ही प्रशासन कितना कार्यकुशलपूर्ण हो उस पर संदेह होता रहेगा ।

मुझे आशा है कि सरकार समिति के रचनात्मक सुझाव को स्वीकार करेगी और अधिनियम का संशोधन करने के लिए कार्यवाही करेगी ।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर–उत्तर): गत वर्ष संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए जो कई आरोप लगायें गये थे उन के फलस्वरूप समिति नियुक्त की गई थी । उस समिति के प्रतिवेदन पर सभा को कई दिन के लिए वाद विवाद करने का अवसर दिया जाना चाहिये था ।

पूर्व वक्ता डा० सुन्दरम ने जो विरोध किया है उसका मूल आधार संचालकों को दिया गया ऋण है । १९४८ के मूल अधिनियम को अधिक कार्य कौशलपूर्ण बनाने के लिए १९५२ में इसका संशोधन किया गया था मूल अथवा संशोधित अधिनियम में कहीं कोई ऐसा उपबन्ध नहीं था कि उन समवायों को ऋण न दिया जाये जिनमें निगम के संचालकों को हित हो । समिति ने अपने अधिकतर सुझावों में उस प्रकार की प्रवृत्ति का ध्यान रखा है, जो प्रायः हम नई संस्थाओं के बारे में रखते हैं । अन्यथा समिति के प्रतिवेदन में ही यह कहा गया है कि जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि जिन समवायों को ऋण दिया गया है वे ऋण प्राप्त करने के योग्य नहीं थे, अथवा प्रधान या संचालकों ने ऋण के अनुदान के लिए अनावश्यक प्रभाव डाला है, या ऋण की शर्तों या नियमों को ढीला किया है, तब तक कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता ।

समिति के सब सुझावों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया और सभा के सब सदस्य इस पर अपना मत प्रकट करने का अधिकार अवश्य रखते हैं । परन्तु सरकार ने कुछ सुझावों को स्वीकार किया है, और उसने यह स्वीकार किया है कि जिस समवाय के ऋण पर चर्चा हो रही है, उसमें हित रखने वाले संचालक को उस बैठक में उपस्थित नहीं होना चाहिये ।

सरकार न इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि निगम ऐसे समवायों को दिये गये ऋणों के अनुदान के सब मामलों के सम्बन्ध में सरकार को सूचित करे, जिनमें निगम का कोई संचालक, संचालक प्रबन्ध-संचालक अथवा साझीदार हो ।

सरकार ने इस पर भी सहमति दी है कि यदि उस समय, जब किसी संचालक से सम्बन्धित किसी समवाय के लिये ऋण के बारे में विचार किया जा रहा हो, बैठक में निगम बोर्ड के आधे से कम सदस्य हों तो ऐसे मामलों के बारे में सरकार को सूचित किया जाए ।

अन्त में मैं कहूंगा कि औद्योगिक वित्त निगम देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है और सभा को इस सारे प्रश्न पर विचार करते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग अपनाना चाहिये।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व) : यह एक ऋण देने वाले निगम का मामला है और हमें यदि आलोचना भी करनी है तो पूरी जिम्मेवारी के साथ करनी चाहिये। मेरी विचारपूर्वक राय यह है कि यह प्रतिवेदन पूर्णतया संतुलित तथा उचित है। मैं चाहता हूं कि सरकारी प्रस्ताव में भी इसकी इसी प्रकार इज्जत की जानी चाहिये थी न कि केवल इसके अनुकूल अभिप्रायों से लाभ उठाया जाना चाहिये था। मेरे विचार में सरकारी संकल्प के पहले भाग में, अर्थात् कंडिका ३ में, समिति के साथ अन्याय किया गया है। मैं व्यौरे में नहीं जाना चाहता किन्तु यह अवश्य कहुंगा कि समिति ने जिन अनियमितताओं पर प्रकाश डाला है उन पर सरकार को गम्भीरता-पूर्ण विचार करना चाहिये और समिति के सिफारिशों के अनुसार चलना चाहिये।

मुझे इस बात का भी अचम्भा हुआ कि बोर्ड के सभापति ने बोर्ड की कार्यपालिका समिति पर केवल सदस्य के नाते काम करना स्वीकार किया। यह अनिष्ट है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह तो अधिनियम के अनुसार ही हुआ है। अधिनियम में यह उपबन्ध है कि प्रबन्ध संचालक कार्य-पालिका समिति के सभापति होंगे और समिति के अन्य सदस्यों का चुनाव होगा।

श्री टी० एन० सिंह: जी हां, किन्तु अधि-नियम में यह नहीं कहा गया है कि बोर्ड के सभापति समिति के सदस्य होंगे। मैं अनावश्यक गरमागरमी नहीं पैदा करना चाहता हूं। किन्तु यह अवश्य चाहता हूं कि इस ऋण-निगम का कारोबार संदेहातीत होना चाहिये। जिन धंधों को ऋण दिये जाते हैं उनके प्रबन्ध संचालकों का इस निगम के कार्य पालन से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। ऐसे लोग अपने पद से अपने धंधे के लिए लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। यह किसी संस्था के लिए ठीक नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री से साग्रह अनुरोध करता हूं कि वे इस स्थिति को शीघ्राति-शीघ्र बदल दें।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं इस वाद-विवाद को बहुत रुचि के साथ सुन रहा था- किन्तु माननीय सदस्यों की बात ठीक तरह मेरी समझ में नहीं आई। यह निगम किस उद्देश्य से बनाया गया है? इस देश का औद्योगिक विकास तेजी से करने के लिए औद्योगिक ऋण देने वाला यह निगम बनाया गया है।

अब मैं डा० लंका सुन्दरम द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर कुछ कहना चाहता हूं। जिन धंधों के संचालक इस निगम की समिति में हैं उन्हें ऋण दिये जाने की बात कही गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन संचालकों का इन धंधों मे कितना स्वार्थ निहित था? मैं पहले प्राध्यापक गाडगिल का ही उदाहरण लूंगा। जिस उद्योग में उनका स्वार्थ निहित है उसे १३,७५,००० रुपए का ऋण दिया गया है। उस उद्योग में प्राध्यापक गाडगिल के नाम पर केवल ४,५०० रुपए के अंश (शेअर्स) हैं। यदि किसी संचालक का किसी उद्योग में नियामक स्वार्थ है तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। अन्यथा मुझे इस आलोचना का कोई आधार प्रतीत नहीं होता। ये लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से संचालक बनाये गये हैं। उनके पास केवल उतने ही पूंजी-अंश है जितने संचालक बनने के लिए आवश्यक होते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो

[श्री तुलसीदास]

व्यक्ति किसी समवाय का संचालक है उसे इस निगम का संचालक नहीं बनाया जाना चाहिये ? फिर तो आपको एक भी अनुभवी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो औद्योगिक तथा व्यापारिक मामलों में निगम को परामर्श दे सके। यदि किसी ऋण निगम का संचालन अनुभवशून्य व्यक्तियों द्वारा किया गया तो स्थिति बहुत ही बिगड़ जाती है। लेकिन इस निगम की स्थिति कैसी है ? जिन उद्योगों को ऋण दिये गये हैं उन १०३ उद्योगों में से केवल एक उद्योग को दी गई रकम बट्टे खाते में डाली जाने की सम्भावना है। एक अनुभवी बैंक संचालक के नाते मैं कह सकता हूं कि यह स्थिति अत्यन्त सराहनीय है।

मैं यह नहीं कहता कि इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अन्ततोगत्वा, यह एक सरकारी निगम है। संसद् को इसकी आलोचना करने का अधिकार है। किन्तु हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिये कि किसी ऋण-संस्था का कारोबार इस तरह नहीं चलाया जाना चाहिये कि जिससे सम्बन्धित उद्योगों को नुकसान पहुंचे।

वैतनिक सभापति की नियुक्ति का प्रश्न भी उठाया गया था। अन्य बैंक इस निगम से सौ गुना अधिक राशियों के ऋण देते हैं किन्तु न केवल इस देश में अपितु विदेशों में भी उनका वैतनिक सभापति नहीं होता। सभापति तो ऐसा होना चाहिये जिसका बाज़ार से रोजाना सम्पर्क हो। वैतनिक सभापति तो अपने कमरे में बन्द रहेगा। अतः हमें यह विचार छोड़ देना चाहिये।

हम शीघ्र ही इसी प्रकार के और दो निगम बनाने जा रहे हैं। हमें इन बातों का गम्भीरतापूर्वक तथा जिम्मेवारी की भावना से विचार करना चाहिये। अन्यथा हमें लाभ की जगह हानि हो गी।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस थोड़े से समय में मेरे लिए सदन का ध्यान बहुत सी बातों की ओर दिलाना कुछ कठिन होगा; अतः मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर ही यहां निर्देश करूंगा।

सरकार को इस रिपोर्ट के प्रति अपना रवैया निश्चित करने में नौ अथवा दस महीने लगे हैं। इस विषय पर विचार करते समय हमें सदैव यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि औद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य प्राइवेट संस्थाओं के कार्यकलाप में भारी अन्तर है।

६ म० प०

यदि हम इस रिपोर्ट के अध्याय ७ का विश्लेषण करेंगे तो हमें मालूम होगा कि इस निगम ने ऋण के प्रार्थनापत्रों को रद्द करने में कुछ पक्षपात की भावना से काम किया है।

अब ज़रा हम देखेंगे कि यह निगम किस ढंग से कर्ज़े देता रहा है। ८ करोड़ रुपये के कर्ज़ों में से लगभग ६ करोड़ रुपये के क़र्ज़े एक विशिष्ट प्रकार के उद्योगपतियों को दिए गये हैं। क्या दूसरे प्रकार के उद्योगों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं थी ? इससे यह बात स्पष्ट है कि यह निगम एक ऐसे ढंग से काम करता रहा है जो कि राष्ट्र के हित में न होकर एक विशिष्ट वर्ग के हित में था।

बताया गया है कि सरकार इस निगम के लिए एक वैतनिक अध्यक्ष नियुक्त करने की बात पर विचार कर रही है। यदि कोई वैतनिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो न मालूम मंत्रालय की ओर से उस पर कितना दबाव डाला जायेगा। इसमें से इस बात की भी आशंका है कि वह अध्यक्ष अपने आप को सर्वाधिकार सम्पन्न समझने लगेगा।

समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश उन समवायों को कर्ज़े देने के सम्बन्ध में है जिनकी

प्रबन्ध-अभिकरण फर्मों के साथ इस निगम के संचालक सम्बन्धित हैं । इस विषय पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिये, हमें मालूम है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के किसी समवाय में २००० 'शेयर' हों, तो उसका उस समवाय पर कितना प्रभाव होता है, हमें इस सिलसिले में यह बात भी याद रखनी चाहिये कि निगम एक विशिष्ट प्रकार के उद्योगपतियों को कर्ज़ देता रहा है । पूर्व अवसर पर यह आरोप लगाए गए हैं कि इसने उन व्यक्तियों के ऋण के लिए प्रार्थनापत्र रद्द किये हैं जिनका या तो सामर्थ्य कम था या जिनकी सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंच नहीं थी ।

सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के सात महीने बाद सरकार ने एक संकल्प पेश करते हुये कहा है कि रिपोर्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं जिस पर कि सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये, यह बात समझ में नहीं आती है । कहा गया है कि सरकार के पास ऐसे तथ्य हैं जिनको दृष्टि में रखते हुये समिति की सिफारिशें आवश्यक नहीं हैं, यह एक विचित्र बात है, आखिर, इस निगम के संचालकों ने समिति के सामने अपने वक्तव्य दिए होंगे । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जानबूझ कर एक खास रवैया धारण कर रही है । मुझे मालूम नहीं कि क्या वित्त मंत्री ने अथवा वित्त उपमंत्री ने इस पर ध्यान देकर स्वयं यह निष्कर्ष निकाला है अथवा क्या उन्होंने केवल सचिव के लिखे पर अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : श्रीमान्, क्या किसी माननीय सदस्य के लिये यह कहना उचित है कि किसी दस्तावेज़ पर, जिस पर कि सचिव ने हस्ताक्षर किये हों, मंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया है आदि ?

श्री के० के० बसु : मैंने कहा कि मुझे मालम नहीं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं निवेदन करता हूं कि इतना कहना भी अनुचित है । सभी सरकारी आदेशों पर सचिवों के हस्ताक्षर होते हैं । परन्तु सारा काम मंत्रियों द्वारा किया जाता है—अर्थात् किसी भी अच्छाई अथवा बुराई के लिए मंत्री ज़िम्मेदार होते हैं, सचिव नहीं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहियें ।

श्री के० के० बसु : मेरा आशय यह नहीं था ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस बात को ज़रा स्पष्ट करना चाहता हूं । किसी मंत्री के लिए यह दिखाने का कोई तरीका नहीं कि क्या उसने किसी विषय विशेष पर ध्यान दिया है, कार्यवाही के नियमों के अन्तर्गत सभी आदेशों आदि पर सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिये । परन्तु ज़िम्मेदारी मंत्रियों की होनी चाहिये । यही बात मैं स्पष्ट करना चाहता था ।

श्री के० के० बसु : मैंने यह नहीं कहा कि मंत्री ज़िम्मेदारी नहीं लेते हैं........

सभापति महोदय : माननीय सदस्य चर्चा लम्बी करने की बजाय भाषण समाप्त करने की कोशिश करें ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, जब इस निगम के कार्यसंचालन के सम्बन्ध में सभी पक्षों की ओर तरह तरह के आरोप लगाए गये हैं तो सरकार को यह बातें ध्यान में रखनी चाहियें तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि इस निगम के कार्य-संचालन पर संसद् का अधिक नियंत्रण रहे ।

जहां तक सचिव का सम्बन्ध है मुझे मालूम नहीं कि वह इसमें कैसे आ जाता है । मुझे यह भी मालूम नहीं कि अध्यक्षपद के लिए

[श्री के० के० बसु]

एक उद्योगपति क्यों चुन लिया जाना चाहिये। उद्योगपतियों से आप निस्सन्देह परामर्श लीजिये परन्तु उनमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाना उचित नहीं। अध्यक्ष का बड़े बड़े उद्योगों अथवा उद्योगपतियों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि लोक-सेवा की भावना से प्रेरित हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब चेयरमैन साहब, आज जब मैं अपने चारों तरफ़ नज़र दौड़ाता हूं तो मुझे मिस्टर गुहा पर बहुत रहम आता है। मिस्टर गुहा उन अशख़ास में से हैं जो इस कमेटी के अप्वाइंटमैंट के और इस सारे ड्रामा के हीरो हैं। लेकिन आज जब मैं यह पाता हूं कि दरअसल उन्होंने जिस तरह से अपनी रेसपांसिबिलिटी को निभाया है, और गवर्नमैंट का जो काम्युनिके निकला है और सारी रिपोर्ट पर जो कुछ लिखा है उस का जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे यह तसल्ली होती है कि इन्होंने अपना काम निहायत ईमानदारी के साथ और बग़ैर डर के किया है। अगर उन की जगह कोई मुझ जैसा छोटा आदमी होता तो वह कह देता कि मैं ने ही तो सारा झगड़ा किया, मैं ने इन को बेईमान कहा और इन पर सारे इल्जाम लगाये, और अब इन को कैसे उस से बरी कर सकता हूं। लेकिन मैं इन को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने निहायत ईमानदारी से काम किया है और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया है।

जनाब वाला, जैसे मैं इस तरह इन के ऊपर रहम करता हूं, वैसे ही जब मैं अपनी दूसरी तरफ़ देखता हूं तो इन पर भी रहम करना पड़ता है। अभी जैसे श्री तुलसीदास साहब ने फ़रमाया, यह बड़ी कारपोरेशन का काम मुश्किल चीज़ है इस के लिये हमें इस के सारे आईडिया के पीछे जाना पड़ेगा कि यह कैसे काम करता है और कैसे हम इस को क्रिटिसाइज करें। जितने अशख़ास ने क्रिटिसाइज़ किया है, मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन के क्रिटिसिज्म में ईमानदारी नहीं है, लेकिन मुझे यह कहने में ज़रा भी ताम्मुल नहीं है कि वह भी अगर मिस्टर गुहा की तरह इस को गौर से देखते तो वह ज़रूर यह महसूस करते कि उन का क्रिटिसिज्म जायज़ नहीं था।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): अगर वह भी मिनिस्टर हो जायं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमारे बुजुर्ग साहब फ़रमाते हैं कि वह भी मिनिस्टर हो जायं। लेकिन इस के अन्दर यह चीज़ ग़ौर करने की है कि क्या ईमानदारी इधर बैठ कर ही रह सकती है और उधर बैठ कर क्या नज़रिया तबदील हो जाता है और ईमानदारी में फ़र्क आ जाता है ? मैं इस को नहीं मानता। मैं तो समझता हूं कि श्री कृपालानी साहब जैसे यहां बैठे हैं वैसे ही अगर उधर बैठेंगे तो भी उन की ईमानदारी में फ़र्क नहीं आयेगा, उन के नज़रिए में कोई तबदीली नहीं होगी। और आज मैं अपनी बहन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होने इस काम को किस खूबी के साथ किया है, किस तरह उन्हों ने इस के अन्दर जा कर कमेटी की रिपोर्ट लिखी। उन्होंने यह रिपोर्ट इतने माडरेशन से और रैस्ट्रैंट के साथ लिखी कि शायद इस को दूसरा कोई नहीं लिख सकता था।

आचार्य कृपालानी : गवर्नमैंट ने समझा ही नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : गवर्नमैंट ने समझा या नहीं, इस पर मैं अभी बाद में आता हूं। मैं दुनिया के एक तजुर्बेकार आदमी की हैसियत से कहता हूं। मैं ने अपनी सारी उम्र फौजदारी का काम किया है और उस क्रिमिनल

ला के काम की बिना पर मैं कहता हूं ।

आप बहुत खुश हैं, मेरे दोस्त हंसते हैं । खूब हंसिये । जिन्होंने क्रिमिनल ला का काम ही नहीं किया वह जान ही नहीं सकते कि क्रिमिनल क़ानून के एडमिनिस्ट्रेशन का असूल क्या है । मिस्टर चटर्जी साहब फ़रमाते हैं कि केनन आफ़ जस्टिस से इस रिपोर्ट को देखें । मैं इसी बेसिस पर इस रिपोर्ट को देखना चाहता हूं । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि कमेटी एक ओर तो यह कहती है कि इस में कोई बेईमानी का या नेपोटिज्म का केस साबित नहीं है ।

उस चैप्टर में जहां स्पैसिफिक इंस्टैंसैज का सवाल आता है वहां एग्जोनरेट कर दिया लेकिन दूसरी तरफ़ दूसरे चैप्टर में आहिस्ता से यह भी लिख दिया कि हम को मालूम ऐसा होता है कि सिवाय बिग विजिनेस के किसी और को रुपया दिया ही नहीं गया है । जनाब वाला, यह तरीक़ा बिल्कुल मुनासिब नहीं है । अगर कोई शख्स क्रिमिनल लायर होता या जस्ट आदमी होता तो इस तरह की रिपोर्ट पेश नहीं करता । यह एक निहायत नामुनासिब बात है कि एक तरफ़ तो आप किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगायें और उस को, जिस पर हमला किया गया हो उस को मौक़ा नहीं दें कि वह अपना जवाब दे । मैं मिस्टर चटर्जी साहब से पूछता हूं कि जिस किसी के बरख़िलाफ़ आप कोई नतीजा निकालें, उस को आप अपनी सफाई पेश करने का मौक़ा न दें, यह किस क़ानून के मातहत मुनासिब है ? जनाब वाला, इन लोगों की यह शिकायत है कि हमारे बरख़िलाफ़ नतीजा निकाला गया और हम को मौक़ा नहीं दिया गया । आप को मौक़ा देना चाहिये था कि हम यह नतीजा तुम्हारे बरख़िलाफ़ निकालते हैं, तुम को क्या कहना है !

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : नतीजा निकला हुआ है कि सिर्फ़ ख़ास इंडस्ट्रीज को दिया गया ।

सभापति महोदय : कोई अन्तर्बाधा न हो ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं इस का जवाब अभी देता हूं । मैं अभी यह कह रहा हूं कि उन की यह शिकायत बिल्कुल जायज है कि जिन लोगों के बरख़िलाफ़ आप ने लिखा उन को मौक़ा नहीं दिया कि उन के खिलाफ़ यह ऐलीगेशन्स थे । आप को उन को मौक़ा देना चाहिये था कि वह जवाब दें । वह ठीक जवाब नहीं देते तो आप इस से भी सख्त रिपोर्ट लिखते ।

अब, जनाब वाला, इस पर मुलाहज़ा फ़रमायें कि इन के ख़िलाफ़ शिकायत है क्या ? मेरे चन्द दोस्त कहते हैं कि चन्द इंडस्ट्रीज़ को रुपया दिया गया । कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जितना इन के पास रुपया था वह सारा का सारा एग्ज़ास्ट नहीं हुआ, वह और ज्यादा दे सकते थे । कहा जाता है कि छोटी इंडस्ट्रीज़ को नहीं दिया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि छोटी इंडस्ट्रीज़ को दरख्वास्त देने से किस ने रोका था । अगर इस रिपोर्ट में यह लिखा होता कि इन के पास रुपया नहीं था तो मैं समझता कि बड़ी इंडस्ट्रीज को ही दे दिया गया और छोटी इंडस्ट्रीज के लिये नहीं रखा गया, गो इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब यह बिल हमारे सामने आया तो श्री षण्मुखम् चेट्टी ने यह कहा था कि हम अभी यह नहीं बतला सकते कि कैसे सरकमस्टांसैज हों । जब यह ऐक्ट पास हुआ तो उस वक्त बतलाया गया था कि ज्यादातर यह बिग बिजिनेस के लिये है । अब जो स्टेट कारपोरेशन्स बने हैं उन में छोटी इंडस्ट्रीज के लिये जगह है । बड़ी इंडस्ट्रीज को उस वक्त मदद करनी थी, बैंक उन को रुपया नहीं दे सकते थे । कमेटी ने भी इस की ताईद की है कि सिर्फ बिग विजिनेस को भी रुपया नहीं दिया गया । लेकिन जब छोटे कामों के लिये कोई

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दरख्वास्त नहीं है तो हम किस मुंह से कह सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं कि बिग बिजिनेस के अलावा किसी और को रुपया नहीं दिया गया। यह बिल्कुल बेबुनियाद शिकायत है और बजा नहीं है। अगर हम वाक़यात को देखें तो कोई एक भी दरख्वास्त नहीं है जिस को इस बिना पर नामंजूर कर दिया गया हो कि हमारे पास रुपया नहीं है।

अब इस रिपोर्ट में इस बात की शिकायत की गयी है कि इंजीनियरिंग वर्क्स में बंगाल पाटरीज ने बोनस शेयर जारी कर दिया। खुद हाउस वाक़िफ़ है कि बोनस शेयर को जो जारी किया जाता है तो सरकार की इजाज़त से जारी किया जाता है। जब बहुत सारा डिविडेंड हो जाता है तो वह फ्रिटर न हो जाय इस के लिये बोनस शेयर जारी करते हैं, जिस के मानी यह हैं कि वह सारा का सारा रुपया कम्पनी ने रख लिया और वह उस का कैपिटल हो गया। दूसरी शिकायत यह है कि तीन लाख ८७ हजार रुपया लोन में से किस को दिया गया। मैं ने उन का जवाब पढ़ा है। जिस वक्त लोन दिया गया उस वक्त उन को बतलाया गया कि हम यह रुपया वापस देंगे और यह रुपया लोन में से नहीं दिया गया। यह सब क्वश्चन आफ फैक्ट हैं जिन के बारे में कमेटी ने ग़लतियां की हैं और जिस की वजह से सारे का सारा नतीजा ग़लत हो गया है। गवर्नमैंट ने बहादुरी से काम लिया और इस टैम्पटेशन को रिजिस्ट किया कि उन का कनडमनेशन कर दें। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया कि उन फैक्ट्स को फिर देखा। तीन लाख ८७ हजार रुपये पर जो कटाक्ष किया गया है वह बिल्कुल ग़लत है।

एक कम्पनी के बारे में यह कहा गया कि पहले कर्ज़ का दस लाख रुपया बीस लाख वाले दूसरे कर्ज़ में से दे दिया। मैं अर्ज़ करूंगा कि यह इस तरह जो बातें कही गयी हैं वह फैक्टस पर मबनी नहीं हैं। जो दूसरी कम्पनी को पाटरीज की कम्पनी पर शिकायत है तो, जनाब वाला, जो शिकायत है उस का मुलाहज़ा फ़रमायें और उन्होंने जो जवाब दिया उस को देखें तो पता लगेगा कि शिकायतें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और फैक्ट्स के बेसिस पर वह ग़लत हैं। अगर वह फैक्ट्स पर ग़लत नहीं होतीं तो मैं शिकायत को दुरुस्त समझता। लेकिन जिस तरह से फैक्टस हैं उन के मुताबिक मैं उन शिकायतों को दुरुस्त नहीं समझता। अगर यह बात होती कि जो मैनेजिंग डाइरक्टर था वह किसी खास इंडस्ट्री में इंटरैस्टेड था और दस में से एक दो को लोन दिया गया और बाक़ी को नहीं दिया तो कोई बात शिकायत की होती, लेकिन फैक्ट्स ऐसे नहीं हैं। इसी तरह अगर यह होता कि दरख्वास्तें आते ही मंजूर हो गयीं, महीने दो महीने की जगह लोन दस दिन में ही दे दिया गया तो दूसरी बात थी। गो अगर ऐसा होता तो, मैं मुबारकबाद देता कि उन्होंने इतनी जल्दी से जहां जरूरत हुई वहां काम किया और रुपया दे दिया। लेकिन फैक्ट्स इस तरह की शिकायतों के बिल्कुल बरअक्स हैं।

जनाब वाला, मैं निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि इन पांचों में से एक भी शिकायत ठीक नहीं है। इन पांचों चीजों के बारे में मैं ने सब बातों को ग़ौर से पढ़ा है और मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक भी मसला ऐसा नहीं है कि जिस के लिये यह कहा जा सके कि इस कारपोरेशन ने किसी भी रियायत की हो या बिग बिजिनैस की रियायत की हो।

आचार्य कृपालानी : चेयरमैन ने क्यों रिजाइन किया ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : गरीबनिवाज़, चेयरमैन का रिजाइन करना ठीक था, अगर

आप वहां पर होते और पार्लियामेंट में इस तरह मड फेंका जाता तो हर शख्स जिस को अपनी इज्जत का ख्याल होता यही करता ।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : यहां हाउस में तो कोई मड होता ही नहीं, कीचड़ फेंकने का जो फिर आप ने यह तसव्वुर किया वह ग़लत तसव्वुर फ़रमाया ।

सभापति महोदय : कोई अन्तर्बाधा न हो । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब वाला, मेरे दोस्त जिन्हों ने अभी मड के बारे में इंटरप्शन किया उन को अभी अंग्रेज़ी और पढ़नी पड़ेगी । जब वह मिट्टी के मड से ही सने हों तो वह फिजिकल मड को ही जान सकते हैं, दूसरे मड को वह क्या जानें, जिस का ताल्लुक इन्सानी आत्म-सम्मान से है ।

अब जनाब वाला, मैं निहायत अदब से यह पूछना चाहता हूं इस हाउस से कि कोआपरेटिव सोसाइटियां किस बेसिस पर बनाई जाती हैं । कोआपरेटिव सोसाइटी में लोग रुपया दे कर उन्हीं आदमियों को कर्ज़ा देते हैं कि नहीं जो कि कोआपरेटिव सोसाइटी के मैम्बर होते हैं । यह रुपया किस तरह से आया ? यह रुपया सिर्फ़ सरकार का रुपया नहीं है । इस में बहुत सारा रुपया दूसरों का है, इस में जो रुपया लगा है, कारपोरेशन में, यह शिडचल्ड बैंकों का है । इस में रुपया इंश्योरेंस कम्पनियों का है । इस में ऐसे लोगों का रुपया है जो कि आम तौर पर लोगों को कर्ज़ा देते हैं । इस रुपये के वास्ते अगर यह कह दिया जाय कि फलां को दिया जाय, फलां को न दिया जाय, तो इस का फ़ायदा आधा ही रह जायगा । यह इसी तरह की बात हुई कि जिन के लिये यह कारपोरेशन बना हो उन्हीं को महरूम कर दिया जाय कि उन को रुपया न मिले ।

यह सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिन को हम देख सकते हैं । मैं नहीं जानता कि जिस तरह की यह कारपोरेशन है उस के अन्दर आप यह रूल कर दें कि यह लोग रुपया न ले सकें जो इस के कोई डाइरेक्टर हों । यह चीज़ जो बतलाई जाती है कि एक आदमी के जिसके इस कारपोरेशन में दस शेयर्स हैं उस को रुपया न दिया जाय, इस में कोई अक़ल की बात नहीं । हम ने जनाबवाला, ऐक्ट बनाते वक्त उस में यह शर्त्त नहीं रखी कि ऐसे किसी आदमी को रुपया नहीं दिया जायेगा जो डाइरेक्टर से कनक्टेड हो और जो इस का डाइरेक्टर बने, हम ने इस में ऐसा तो नहीं लिखा और यह जो ऐक्ट बनाया गया यह काफ़ी बहस और सोचविचार के बाद बनाया गया, इसलिये आज सिर्फ़ बहस के खातिर इस चीज़ को ज़ेरे बहस ला कर और उस के ऊपर कैंसिल बिल्ड करना मुनासिब नहीं है । मैं समझता हूं कि इस तरह की तरमीम ऐक्ट के अन्दर नहीं होनी चाहिये । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह लोन कमेटी जो इस ऐक्ट के अन्दर हम ने बनायी थी उस के कांस्टीट्यूशन में हम ने रखा था कि जो मैनेजिंग डाइरेक्टर हो वह प्रेसीडेंट होगा और दो डाइरेक्टर एक सेट से इलैक्ट किये जायेंगे और दो डाइरेक्टर दूसरे सेट की तरफ़ से इलेक्ट किये जायगे । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी पर भरोसा कर के उस को डाइरेक्टर बनाते हैं, तो इस में क्या हुआ कि एक आदमी मातहत हुआ और दूसरा ऊंचा हुआ, इस में कोई मातहती या ऊंचेपन की बात नहीं है, दोनों बराबर डाइरेक्टर हैं, उन के अन्दर इस किस्म का कोई सवाल पैदा नहीं होता और मुझे यह तसलीम करने में कोई झिझक नहीं कि इस कमेटी ने ठीक तरह से काम किया । साथ ही मैं यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि किसी कारपोरेशन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के एक एक ट्रांजेक्शन को माइक्रोस्कोपिक निगाह से देखना एक एबनार्मल चीज़ है कि कहां उस ने ग़लती की और कहां गलती नहीं की। उन केसेज़ के अन्दर जाने पर भी आप को मालूम होगा कि कुछ १०३ केसेज़ में चार केसेज़ सेलेक्ट किये गये। उन चार केसेज़ के बारे म भी हमारी कमेटी की यह राय है कि उन में हमें फेवरिटिज्म और नैपोटिज्म नज़र नहीं आया। बाकी उस कमेटी ने जो रिजेक्शन केसेज़ देखे, उन में सिर्फ एक केस रिजैक्शन का ऐसा बतलाया जाता है जिसके बारे में हाउस में किसी ने शिकायत भी की थी, उसके लिये उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर ने सफाई दी और बयान दिया कि यह एलिगेशन दुरुस्त नहीं है कि हमारे साथ कोई सख्ती नहीं की गयी, मैं नहीं समझ सकता कि इस से उस कारपोरेशन के काम के लिये इस से बेहतर सर्टीफ़िकेट और क्या मिलता ? इस कारपोरेशन को जो हम ने बनायी थी उस ने जिस तरह काम किया मुझे उस के अन्दर कोई ऐसी ग़लत चीज़ नहीं मालूम हुई जिस के लिये इस कारपोरेशन के बरखिलाफ़ और ऐसे पब्लिकमेन के बर-खिलाफ़ चिल्लाया जाय कि ये रुपया खा गये। यह ठीक है कि हमें हाउस के अन्दर अगर कोई गलती नज़र आये तो उस के खिलाफ़ शिकायत ज़रूर करनी चाहिये, इस सिलसिले में मैं बतलाऊं कि जो भी शिकायतें हमारे पास आईं उन के बारे में हम ने देखा तो उन में कोई ग़लती नहीं निकली। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमैंट का जो ऐलान है वह निहायत वाजिब और दुरुस्त है और उन वाक्यात की बिना पर है जो कि गवर्नमैंट के सामने आये। इस को हम सब को सपोर्ट करना चाहिये और महज इस वजह से कि इस के अन्दर बिग बिजनैसमैन लाला श्रीराम का नाम आता है, हम को इस को कंडम नहीं करना चाहिये और ऐसा करना हम को शोभा नहीं देता। उधर यह कहना कि उन्हों ने कोई नेपोटिज्म और फ़ेवरिटिज्म नहीं किया और इधर यह कहना कि कहीं कहीं से बू आती है या छोटे बिजिनैसेज़ के लिए कुछ नहीं किया, यह दोनों कंट्रैडिक्टरी चीज़ हैं। गवर्नमैंट ने इस बारे में उन को लिखा और उन्हों ने लिख दिया कि इस ऐलिगेशन का कोई बेसिस नहीं है इस शिकायत के वास्ते कोई माकूल वजह या माकूल फाउंडेशन नहीं है। इन हालात में मैं अदब से कहना चाहता हूं कि कौन शख्स इस के बरखिलाफ़ कह सकता है सिवाय उस आदमी के जिस को गवर्नमैंट को बुरा ही कहना हो ? मैं समझता हूं कि गवर्नमैंट का इस बारे में ऐलान निहायत वाजिब और मुनासिब है और गवर्नमैंट ने कई बात जो ठीक और वाजिब थीं, मानीं और गवर्नमैंट चाहती है कि इन चीज़ों में तरमीम कर दे। मेरे ख़याल में उन्हों ने निहायत अच्छा काम किया।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, २४ दिसम्बर को जारी किये गये एक संकल्प म सरकार ने बताया है कि 'सोदेपुर गिलास वर्क्स' का मामला अभी सरकार के विचाराधीन है, जब कि १८ फरवरी को उन्हों ने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि औद्योगिक वित्त निगम इस समवाय को दिये गये कर्जे के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के मामले पर विचार कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अपनी ज़िम्मेदारी को अब टाल क्यों रही है जब कि पहले कहा गया कि मामला सरकार के विचाराधीन है।

इस मामले के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े तथा दोहरे नियंत्रण के कारण मामला पेचीदा हुआ दिखाई देता है। जिस के परिणामस्वरूप प्रबन्ध कार्य खराब हुआ है। आदि, आदि।

मैं श्री गांधी से, जो कि इस समिति के सदस्य थे, जानना चाहता हूं कि क्या वह इन शब्दों से सहमत हैं ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहां यह लिखा है कि निगम पर पक्षपात आदि के जो आरोप लगाये गये थे वह सही सिद्ध नहीं हुए हैं--जैसे कि सरकारी संकल्प में कहा गया है । रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात नहीं । मुझे मालूम नहीं कि सरकार ने यह दो चीज़ कहां से ली हैं । कुछ भी हो, यह सरकार की ज़िम्मेदारी है । वित्त सचिव इस निगम का न केवल एक संचालक है अपितु कार्यपालिका समिति का एक सदस्य भी है । समिति ने जिन सौदों की आलोचना की है, क्या उन के लिए सरकार ज़िम्मेदार नहीं ? या तो आप को समिति की रिपोर्ट मान लेनी होगी या आप को सरकारी संकल्प स्वीकृत करना होगा । यदि सरकार कोई समिति नियुक्त करती है तो सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या उन्हें उस की सिफारिशें स्वीकृत करनी चाहिये अथवा नहीं । यह एक महत्वपूर्ण बात है । यदि सरकार किसी नियुक्त की गई समिति की सिफ़ारिशों की न केवल उपेक्षा करती है अपितु उन के विरुद्ध अपना निश्चय करती है तो यह निस्सन्देह इस सदन के लिए तथा सारे देश के लिये एक गम्भीर मामला है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समिति के अध्यक्ष को बोलने के लिए कहा जाये जिस से कि स्थिति स्पष्ट हो जाये ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : श्रीमान मुझे खेद है कि समिति की रिपोर्ट में उस साक्ष्य का संक्षिप्त ब्यौरा नहीं दिया गया है जो कि इस के समक्ष रखी गई थी ।

इस समिति की उपपत्तियां गम्भीर हैं । इस की सिफ़ारिशों पर न केवल सरकार को अपितु सारे देश को ध्यान देना चाहिये । मुझे खेद से कहना पड़ता है कि इस निगम का कार्यसंचालन अधिकांश रूप से केवल एक वित्तीय निगम के रूप में होता रहा है । 'सोदेपुर गिलास वर्क्स' से इस तरह से व्यवहार किया गया है जैसे कि किसी बैंक ने इस के साथ किया होता । अधिनियम के अन्तर्गत जितनी अधिकतम राशि दी जा सकती थी, वह देने के बाद निगम किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया । सब से बड़ी ग़लती यह की गई कि इस समवाय को बैंकरों के कार्यभार में रखा गया । निगम के प्रबन्ध संचालक तथा इस कम्पनी के संचालकों में जो वादप्रतिवाद चला है उस से पता चलता है कि स्थिति कितनी ख़राब हो गई है । इसे ठीक भी किया जा सकता है, परन्तु सब से दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बैंकरों ने इस निगम के उद्देश्यों का सत्यानाश कर दिया है ।

'बंगाल पॉटरीज़' के मामले को ही लीजिये । इस समवाय ने निगम से लिये गये ऋण का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया । परन्तु इस के साथ ही इस ने अपने अंशधारियों में बोनस वितरित करने की घोषणा की । यह तो ठीक बात थी, परन्तु निगम को इस से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है । समिति ने इस बात को नोट नहीं किया है । मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में निगम को अनुदेश देगी कि वह आगे के लिये समवायों को ऐसी नीति बरतने से रोके । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस निगम की कार्यपालिका समिति द्वारा ऋण के जो प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किये जाते हैं वह भी संचालक बोर्ड के समक्ष पेश होने चाहियें । हो सकता है कि कार्यपालिका समिति ने गलती की हो । संचालक बोर्ड के समक्ष वह प्रार्थनापत्र आने से ग़लती दूर हो सकती है ।

[डा० कृष्णस्वामी]

समिति की रिपोर्ट में एक ऐसा पैरा है जिस से मैं संतुष्ट नहीं। इस में कहा गया है कि इस निगम का पिछड़े हुए क्षेत्रों की आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं। यह एक ग़लत बात है। यह निगम एक अखिल भारतीय संस्था है, इसे सभी क्षेत्रों की ओर, विशेषकर आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रावणकोर-कोचीन तथा उड़ीसा के पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिये।

सिफ़ारिश की गई है कि इस निगम का एक वैतनिक अध्यक्ष होना चाहिये। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्यक्ष सिविल सर्विस का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिये। इस का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो कि देश के आर्थिक विकास की सम्भावनाओं का भलीभांति अनुमान लगा सके। इस के अलावा इस निगम का अपना टैक्नीकल कर्मचारीवर्ग होना चाहिये जोकि देश की औद्योगिक विकास सम्भावनाओं का ब्यौरा ले तथा देखे कि किस किस जगह पूंजी लगाई जा सकती है। मेरा विचार है कि प्रारम्भिक अवस्था पर सरकार को इस के लिये सिद्धान्त निश्चित करने चाहिय तथा इसे अनुदेश देने चाहियें।

अन्त में मैं समिति को इस बात पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ने भलीभांति अपना काम निभाया है।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद–दक्षिण): इस विवाद में कई सदस्यों की ओर से इस निगम के सभापति श्री श्रीराम तथा सचिव श्री अम्बेगांवकर की आलोचना की गई तथा कहा गया कि इन के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं इतने पर ही संतुष्ट नहीं हूं, अपितु निवेदन करता हूं कि सारी सरकार को इस के लिय कोप-भाजन बनाया जाना चाहिये।

कतिपय माननीय सदस्य: धन्य हो, धन्य हो।

डा० राम सुभग सिंह: समिति का मुख्य कार्य जांच करना और औद्योगिक वित्त निगम के विरुद्ध नवम्बर में लगाये गये आरोपों पर प्रतिवदन उपस्थित करना था। माननीय सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ठीक ही कहा था कि इस कार्य के मुख्य पात्र श्री ए० सी० गुहा हैं। समिति ने आरोपों की जांच की थी। समिति का कथन है कि यद्यपि निगम द्वारा दिये गये ऋण पूंजीवादियों के एक विशिष्ट वग तक ही सीमित नहीं थे, फिर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि ऋण प्राप्त करने के अधिकांश प्रार्थनापत्र बड़े बड़े व्यापारियों तथा उन के सहकर्मियों की ओर से ही दिये गये थे। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह भी कहा कि यदि निगम को बड़े उद्योगों की ओर से ही प्रार्थना पत्र मिले तो इस में निगम का कोई दोष नहीं है। यदि निगम उक्त हितों के प्राथनापत्रों को ही स्वीकार करते हुए दूसरे हितों की वंचना अथवा उपेक्षा कर देता तो ऐसी अवस्था में इस पर आरोप लगाया जा सकता था वस्तुतः निगम द्वारा एक सामान्य केमीकल वर्क्स को ५०,००० रुपये का ऋण मंजूर किया गया था। समिति ने आगे लिखा है कि केन्द्रीय निगम को अपनी कार्यवाही अपेक्षाकृत बड़े बड़े उद्योगों तक ही सीमित रखना चाहिये क्योंकि राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना हो जाने पर वे छोट छोटे उद्योगों की ओर ध्यान देंगे। मेरा विचार है यह वक्तव्य निगम को उस के प्रति लगाये गये समस्त आरोपों से बरी कर देता है। समिति ने यह भी व्यक्त किया है कि निगम छोटे छोटे उद्योगों के ऋण स्वीकार करने में नहीं चूका है। समिति ने निगम को इस आरोप से भी मुक्त कर

दिया है कि एक अथवा दूसरे संचालक पर प्रभाव डाले बिना ऋण प्राप्त करना असंभव था । जिन पांच फैक्ट्रियों को ऋण स्वीकार किये गये हैं उन के सम्बन्ध में भी समिति ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रतिवेदन के अनुसार सरकार अथवा संसद् द्वारा निगम की पूर्ण निन्दा को उचित ठहराने सरीखी कोई गम्भीर बात नहीं है ।

श्री टी० के० चौधरी : प्रतीत होता है कि सरकार ने प्रारम्भ से ही औद्योगिक वित्त निगम के कार्यक्षेत्र का निर्वचन उस ढंग से नहीं किया है, जिस ढंग से समिति ने किया है चुनांचि उस के प्रतिवेदन पर हम अभी विचार कर रहे हैं । अनेक स्थानों पर और विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में निगम द्वारा चालू पूंजी को किसी भी रूप में दिये जाने के विचार को अस्वीकृत किया है ।

१५,२७,७०,००० रुपये के कुल ऋण में से केवल एक गुट को, जिसे श्रीराम गुट कहा जाता है, ६,२४,७५,००० रुपये की रक़म अगाऊ दी गयी थी । अतः हमारी मांग है कि इन अवस्थाओं को शीघ्र ही उचित रूप प्रदान किया जाना आवश्यक है । यदि ऐसा ही तरीक़ा रहा तो देश का आर्थिक भविष्य अन्धकारमय है !

श्रीमती सुचेता कृपालानी : बहस में अन्तर्बाधा उपस्थित करना मुझे पसन्द नहीं है लेकिन कतिपय तथ्यों को स्पष्ट करने की दृष्टि से ही मैं ऐसा कर रही हूं ।

प्रारम्भ में ही मैं यह कह दूं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद सरकार ने उसका जो कुछ बनाया है उससे जांच समिति के सदस्यों और मेरे साथियों को अत्यधिक निराशा हुई है । काम को आरम्भ करते समय हम उसकी गहनता से अपरिचित थे और सम्बन्धित प्रलेख देखने में इतना समय लगने की सम्भावना थी कि हमारे लिये जांच-अवधि को बढ़ाना आवश्यक हो गया । लेकिन हमने ऐसा नहीं किया । क्योंकि संसद् और जनता यह जानने के लिये उत्सुक थी कि समिति का क्या हुआ । इसीलिये मैं संसद् की सभा स्थगित होने के पूर्व ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये तैयार थी । मैंने इसे ७ मई को प्रस्तुत कर दिया था । लेकिन मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि २३ दिसम्बर, संसद् की सभा के अन्तिम दिवस, तक यह प्रतिवेदन प्रकाश में नहीं आया । दूसरी आश्चर्यजनक बात यह थी कि संसद् के सदस्यों को प्रतिवेदन की प्रतियां नहीं दी गईं । प्रतिवेदन के साथ साथ समिति के विचारों पर सरकारी निर्णय को मूर्तरूप देने के आशय से सरकार ने एक संकल्प उपस्थित कर दिया । मेरा विचार है कि जब संसद् द्वारा मांग करने पर इस जांच समिति की नियुक्ति की गई थी तो श्रेयस्कर यही था कि उसे चर्चा के लिये संसद् के समक्ष उपस्थित किया जाता । खैर, प्रतिवेदन और सरकार का संकल्प अब सदन के समक्ष है ।

एक बात मैं यह भी कह दूं कि हमारा यह कार्य किसी न्यायिक जांच का कार्य नहीं था, इसलिये गवाहों से जिरह का प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ । लेकिन हम अपने आप से संतुष्ट थे और हमने ईमानदारी के साथ काम किया । समिति ने निगम के संचालकों के बोर्ड के साथ चर्चा द्वारा अपनी जांच का ब्यौरा दिया ।

हमारे पास समय की कमी थी । हम चुपचाप बैठ कर विस्तृत सामग्री के लिये महीनों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । प्रबंध संचालक द्वारा दिये गये तथ्यों को हमने देखा, और प्रतिवेदन के समस्त तथ्य एवं निष्कर्ष भारतीय वित्त निगम के कार्यालय में उपलब्ध प्रलेख पर निर्भर है । हम सबके बाद अब सरकार का संकल्प है । कई दृष्टियों से यह संकल्प तथ्यों को गलत रूप में रखता है । सरकार यह भावना पैदा करना चाहती है

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

कि समिति ने निगम को सब आरोपों से मुक्त कर दिया है। यह कार्य सर्वथा प्रतिवेदन के मंतव्य के विरुद्ध है। यदि सरकार को हमारे निर्णय पसन्द नहीं थे तो इन विषयों पर स्वयं ही निर्णय करने के स्थान पर वह इसे किसी अन्य पार्टी के पास निर्देशनार्थ भेजती।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि संकल्प पर वित्त मंत्रालय के सचिव श्री अम्बेगांवकर के हस्ताक्षर हैं। वह भारतीय वित्त निगम के संचालक बोर्ड के सदस्य होने के साथ साथ कार्यपालिका समिति में भी हैं। संचालक बोर्ड के सभापति और प्रबन्धकर्ता निदेशक के बाद भारतीय वित्त निगम के कार्य से अत्यन्त निकटरूप में सम्बन्धित उनका स्थान ही है। क्या सरकार के लिये यह उचित था कि जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में हम जांच कर रहे हैं उन्हें ही निर्णायकों के स्थान पर आसीन कर दिया जाये।

ऋण स्वीकार करने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने के आरोपों की जांच करने के लिये समिति से कहा गया था। कुछ विशिष्ट आरोप थे; कुछ मामलों का उल्लेख कर हमसे उनकी जांच करने के लिये कहा गया था। हमसे इस बात की जांच करने के लिये कहा गया था कि क्या निगम ऋण देने में बड़े बड़े व्यापारियों का पक्ष लेकर अन्य व्यक्तियों की उपेक्षा कर रहा है।

हमारा प्रतिवेदन पढ़ने के बाद सरकार द्वारा कहा गया कि हमने व्यापक रूप से व्याख्या किये बगैर ही वक्तव्य दे दिये हैं। श्रीमान्, आप भली भांति जानते हैं कि भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों को सिद्ध करना कितना कठिन है। जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं वे अपने बाद किसी तरह का ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ते कि जो गवाही का रूप धारण कर सके। फिर भी समिति के निष्कर्षों के साक्ष्य-स्वरूप प्रतिवेदन में पर्याप्त सामग्री है। उड़ीसा टैक्सटाइल मिल को ऋण देने में शीघ्रता बरती गई है और सोदपुर के कांच के कारखाने को ऋण देने में निगम ने बुद्धि के अभाव का परिचय दिया है। निगम ने सबके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया। यह कोई विशेष असाधारण बात नहीं है। सारी दुनिया में ऐसा होता है।

इसके बाद चालू पूंजी का प्रश्न है। मेटल कारपोरेशन आफ इण्डिया के प्रति निगम ने रूखी वृत्ति धारण की जब कि अन्य औद्योगिकों की प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई। हमने उक्त समवायों के मामलों का अध्ययन किया है और हमने इस विषय में स्पष्ट विचार व्यक्त कर दिये हैं। यह सच है कि हमने नरम भाषा का प्रयोग किया है! जब मैंने समिति का कार्य किया तो विरोधी दल के सदस्य की स्थिति में नहीं किया। भारत के नागरिक की हैसियत से मैंने यह काम किया। हम जानते थे कि निगम को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दिया जाना चाहिये। हमें मालूम था कि भारतीय वित्त निगम विश्व बैंक से वार्ता कर रहा है। हम इस संस्था की प्रगति को अवरुध नहीं करना चाहते थे। समिति ने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक काम किया। उसमें मेरे अतिरिक्त सभी सदस्य विशेषज्ञ थे। हमारी इच्छा इस संस्था को उचित मार्ग पर लाने की रही है। अतः मुझे यह जान कर खेद है कि प्रतिवेदन को सही अर्थ में नहीं लिया गया है।

प्रतिवेदन के पृष्ठ ११ पर हमने कहा है कि जिन चार उद्योगों में सभापति का वित्तीय हित सारभूत रूप में निहित है, उन्हें केवल ११३ लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया है तथा जिन दूसरे चार उद्योगों को, जिनसे

वह पारिवारिक सम्बन्ध में जुड़े हुए हैं, १२६ लाख रु० ऋण दिया गया। हमसे पूछा गया था कि जिन समवायों से सभापति सम्बन्धित हैं उन्हें वृहद् रकम मिली अथवा नहीं, तो इसका हमने स्वीकारात्मक उत्तर दिया है। इसके बाद हमने समवाय का विश्लेषण किया है। जय इंजीनियरिंग वर्क्स का उदाहरण लीजिये। परन्तु हमसे कहा गया है कि हमारे तथ्य ग़लत हैं। यदि केवल मेरी अकेली ही की आलोचना की जाती तो बात ठीक थी, लेकिन समिति के सभी सदस्य ऐसे नहीं हैं। बंगाल पौटरीज को २० लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया है और १६ लाख रुपये पंजाब नेशनल बैंक को वापस लौटाने की अनुमति दे दी गई।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ऋण दिया जाना तो परिस्थितियों पर निर्भर है।

सभापति महोदय : जब माननीय सदस्य बोलें तो ऐसा प्रतीत होना चाहिये कि जैसे वह मुझे सम्बोधन कर रहे हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : एक दूसरे समवाय के सम्बन्ध में जिसे उड़ीसा सरकार की ओर से वृहद् ऋण प्राप्त था उन्होंने उड़ीसा सरकार से आग्रह किया कि वह अपने ऋण की रकम वापस न ले।

किन्तु एक और समवाय, जिसने बम्बई सरकार से ऋण लिया था, उसे ऋण वापिस करना पड़ा। मैं यही कहना चाहती हूं कि सभी समवायों के साथ एक-सा व्यवहार होना चाहिये। और निगम ने जो कुछ भी किया है वह आपत्तिजनक है--एक समवाय के साथ नरमी बरती है और दूसरे के साथ सख्ती--क्या इसे परिवार-पोषण नहीं कहा जा सकता? बम्बई के एक और सार्थ को ऋण देते समय यह कहा गया था कि वह स्वयं शीशे की ट्यूबें बनाये, किन्तु हुआ यह कि वह किसी दूसरी कम्पनी से इनका निर्माण कराता रहा, और औद्योगिक वित्त निगम ने कोई भी आपत्ति नहीं की।

जिन १२७ सार्थों को ऋण नहीं दिया गया, उनके सम्बन्ध में जांच समिति ने पूछताछ की, और वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वही उन्होंने आपके सामने रिपोर्ट में पेश किया। चुनांचि उस अस्वीकृति का कारण भी उन्होंने बताया है। जो भी कारण बताये गये हैं, वे निगम के ही पत्रों पर आधारित हैं। भला, हमने उससे क्या निष्कर्ष निकाला है? जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, उनके प्रार्थना-पत्रों में कोई न कोई त्रुटि थी, जिसके आधार पर उन्हें ऋण नहीं दिया गया। अब बताइये कि इससे अधिक कारण और क्या बताये जा सकते हैं।

जय इंजीनियरिंग वर्क्स तथा बंगाल पॉटरीज के सम्बन्ध में जो टिप्पणी की हुई है उसकी ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया। डा० कृष्णस्वामी की आलोचना यह है कि पिछड़े क्षेत्रों को ऋण नहीं दिया गया। इसके लिये मैं निगम को दोषी नहीं ठहराती। सरकार को चाहिये था कि निगम को निदेश देती। आश्चर्य का विषय है कि सरकार ने इतनी अवधि में एक ही निदेश जारी किया है जो निगम के प्रबन्ध संचालक के नाम है, चुनांचि रिपोर्ट के पृष्ठ २२ में उसके सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है।

औद्योगिक वित्त निगम एक नई संस्था है। सरकार को समय समय पर निदेश देना चाहिये था। सरकार ने इस बात का यही उत्तर दिया था कि बोर्ड में दो सरकारी पदाधिकारी थे। यह ठीक है किन्तु......

आचार्य कृपालानी जो सो रहे थे!

श्रीमती सुचेता कृपालानी : ये समन्वय में प्रत्यक्ष रूप से सहायता तो दे रहे थे किन्तु

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

उनकी उपस्थिति मात्र से यह कमी पूरी नहीं हुई। वास्तव में सरकारी निदेशों की आवश्यकता थी। यदि निदेश दिये गये होते तो निगम पिछड़े क्षेत्रों की सहायता कर सकता। अन्यथा, औद्योगिक विकास निगम ही पिछड़े क्षेत्रों पर विचार कर सकता था।

सोदपुर गिलास वर्क्स के सम्बन्ध में मेरी यही राय है कि उसे यह ऋण नहीं दिया जाना चाहिये था। कुछ भी हो, मेरी यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि एक सार्वजनिक निकाय में ऐसी बातें भी हुआ करती हैं। रिपोर्ट के पृष्ठ ५० और ५२ पर इन सब बातों का उल्लेख किया गया है कि वहां क्या कुछ हुआ था। अनिच्छापूर्वक, श्री कृष्णस्वामी नाम के कोई व्यक्ति महाप्रबन्धक के रूप में नियुक्त हुये, किन्तु उनका इस काम का कोई भी अनुभव नहीं था, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उस कम्पनी का क्या हश्र हुआ होगा। इसमें सरकार की ग़लती है। श्री कृष्णस्वामी के पत्रों से, जिनका उल्लेख भी हम रिपोर्ट में कर चुके हैं, यही पता चलता है कि उस को कई एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दैनिक मजूरी के दिये जाने के सम्बन्ध में भी उन्होंने अपनी दैनिक रिपोर्ट में यही लिखा है कि मजदूरों को मजूरी नहीं दी गई है और इस तरह की अनियमितताओं के होते हुये काम नहीं चल सकता। तो इस ढंग से सरकार कम्पनियों के साथ बर्ताव करती रही है। यही हाल श्री भगत का भी रहा वह इस फैक्टरी का निरीक्षण करने के लिये भेजा गया था, और यह प्रबन्ध अभिकरण का एक साझीदार बना। इस तरह की धांधलियों के कारण इस फैक्टरी का दिवाला खिसक गया। जिस समय हमने पूछताछ की उस समय कम्पनी ६४ लाख रुपये खो चुकी थी। सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत ही सतर्क रहना चाहिये था।

अब मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि इस कारखाने की वर्तमान दशा क्या है, इसे कैसे चलाया जाता है, और इसके लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं। मैंने सुना है कि सरकार घाटे को पूरा करने के लिये इसे बेच रही है। अपनी रिपोर्ट में हमने यही कहा कि जब भी वे इस प्रकार का कारखाना बेचना चाहते हों तो उन्हें सरकार को उसकी ओर निर्देश कराना चाहिये, किन्तु हमारी यह सिफारिश नहीं मानी गई है।

इस प्रकार की बातों की छानबीन करने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यदि औद्योगिक वित्त निगम किसी सार्थ पर बिगड़ जाता तो वह उसे बर्बाद कर सकता, और बाद में वह किसी को भी बेचा जा सकता। इस प्रकार भी हो सकता था। इसीलिये हमने यह सिफारिश की कि जब भी औद्योगिक वित्त निगम कोई कारखाना बेचना चाहे, उसे सबसे पहले सरकार को उसका निर्देश करना चाहिये। इस विशेष फैक्टरी के सम्बन्ध में मैं उत्पादन मंत्री से पूछूंगी कि क्या वह इसे सम्भाल कर चलाने को तैयार हैं। मेरा विचार है कि सरकार ने आज तक इस पर एक करोड़ रुपया व्यय किया होगा। अब सरकार ही इसे क्यों न चलाये। बेचने की बात ठीक है जहां तक घाटा पूरा करने का प्रश्न है, किन्तु अंशधारियों का क्या होगा ? वे तो बर्बाद हो जायेंगे।

सरकार ने हमारी इस सिफारिश को भी अस्वीकार किया है कि जो व्यक्ति ऋण चाहेगा, वह संचालक नहीं बन सकेगा। किन्तु सरकार ने इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। यदि कोई संचालक ऋण चाहता हो तो वह त्यागपत्र दे सकता है और उसके स्थान पर और कोई आ सकता है। इसमें कोई भी असम्भव बात नहीं। सरकार ने हमारे इस

प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया है कि संसद् की एक लोक निगम समिति होनी चाहिये। हम बहुत समय से इस प्रस्ताव को रखना चाहते थे; चुनांचि दिवंगत श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भी इसका उल्लेख किया था। इतने निगम बनाये जा रहे हैं और लोगों का पैसा उनमें फूंका जा रहा है। क्या यह ठीक नहीं होगा कि संसद् उन पर निगरानी रखे। मैं पुनः इस बात पर जोर देती हूं कि इस विषय में सरकार को संसद् की लोक निगम समिति की नियुक्ति करनी चाहिये।

सभापति महोदय : मेरे पास और सदस्यों की भी इस प्रकार की प्रार्थनायें पहुंची हैं कि हमें बोलने का समय दिया जाय। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, और कुछ समय ज़रूर दिया जाना चाहिये। सरकार को भी कई बातों का उत्तर देना है; अतः यह विवाद और किसी दिन पर उठा के रखा जाएगा।

इस के पश्चात् सभा, शुक्रवार, ५ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।